खण्ड-266, अंक-4
गुरूवार, 24 चैत्र, शक संवत् 1888
(14 अप्रैल, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३२७—३३१
प्रश्नोत्तर (जारी)	३३१—३४३
तारांकित प्रश्न १३ के स्थगन पर आपत्ति	३४३—३४७
प्रश्नोत्तर	३४७—३६९
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधन (संशोधनों की सूची मेज पर रखी गई) ..	३६९
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	३६९
वाराणसी जिले में अनावर्षण से क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३६९—३७०
विधान परिषद् सदस्य, डाक्टर ए० जे० फरीदी द्वारा लिखित पुस्तक से साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३७०—३७४
स्वतंत्र पार्टी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दी गई मान्यता का अस्थायी निलम्बन	३७४—३७५
३ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	३७६
राज्य के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में वक्तव्य	३७६—३७९
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्ते और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापित किया गया) ..	३७९—३८०
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापित किया गया)	३८०—३८१
प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (पारित)	३८१—३९९
तहसील व जिला नैनीताल तथा जिला उत्तर काशी की सेटिलमेन्ट रिपोर्ट, १९६३—६४, जिला टेहरी गढ़वाल की बन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५, जिला अल्मोड़ा की सेटिलमेन्ट रिपोर्ट १९६५ तथा जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेन्ट रिपोर्ट, १९६६ प्रस्ताव कि इन प्रतिवेदनों से सदन सहमत है स्वीकृत)	३९९—४१३
कार्बेट नेशनल पार्क की चौहद्दी में परिवर्तन के संबंध में संकल्प (पारित)	४१४—४२३
आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग ..	४२३—४२४
नत्थियां	४२५—४४१

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नौरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह श्री
बालकराम बैश्य, श्री

बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भनवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह ,श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम 'चौबे')
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री

विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वोरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन राम विशारद,
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह तथा शिक्षा उप मंत्री श्री राम नारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १४ अप्रैल, १९६६

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न)

सेठ पी० एन० पोद्दार हायर सेकेण्डरी स्कूल, मथुरा के हरिजन छात्रों-को छात्रवृत्ति

*१—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सेठ पी० एन० पोद्दार हायर सेकेण्डरी स्कूल मथुरा के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति के रुपये को शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने अभी रिलीव नहीं किया है इसके कारण हरिजन छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है और वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है इससे इस धन के लैप्स होने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कन्हैया लाल—

क्या यह सही नहीं है कि जब मैंने प्रश्न किया उस समय तक इस स्कूल को इन्स्पैक्टर आफ स्कूल्स ने ट्रेजरी से रुपया निकालने के लिये अथराईज नहीं किया । इसलिये पेमेन्ट नहीं हुआ यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का इसमें दोष नहीं है । चूंकि यह विद्यालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुका है और प्रदेश सरकार की मान्यता से हट गया है । अतः इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स ने वहां के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरों को प्रमाणित नहीं किया था । इसमें इन्स-पैक्टर आफ स्कूल्स का दोष नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल—

क्या मेरी यह सूचना सही नहीं है कि जिस स्कूल का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया वह स्कूल है सैन्ट्रल स्कूल पी० एन० पोद्दार हायर सेकेन्डरी स्कूल और यह है सेठ पी० एन० पोद्दार हायर सेकेन्डरी स्कूल । दोनों बिल्डिंग्स एक मील के फासले पर हैं । दोनों स्कूलों में अलग अलग फर्नीचर व कमरे वगैरह हैं । पहिले वाले में ६०० छात्र हैं और दूसरे में ३०० छात्र हैं । क्या यह सही नहीं है कि पी० एन० पोद्दार स्कूल के लड़के जिसको अनथराईज्ड बताया गया है—

श्री अध्यक्ष—

असल बात तो यह है कि सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि इस प्रकार का विलम्ब नहो । उन्होंने उत्तर दे दिया कि जी नहीं ।

श्री कन्हैया लाल—

श्रीमन्, इसमें यह वैधानिक प्रश्न भी उठता है। जब अनथराईज्ड होने के नाते सिग-नेचर्स अटैस्ट नहीं किये गये फिर भी वहां के लड़के बोर्ड आफ हाई स्कूल में रेगुलरली बैठ रहे हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य का प्रश्न था छात्रवृत्ति देने का २५ मार्च से। जुलाई से अक्तूबर तक की समस्त छात्रवृत्ति का वितरण हो गया। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है उसमें नियम यह था कि प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षरों को इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स प्रमाणित करते थे। चूंकि इस विद्यालय में प्रदेश सरकार की मान्यता हट गई भारत सरकार की मान्यता हो गई, अतः बैन्क और खजाने दोनों ने एतराज किया कि हम जब तक इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं होंगे हम कैश ड्रा नहीं करने देंगे। इस-लिये जब समाज कल्याण अधिकारी को पता लगा तो उन्होंने बैन्क अथारिटी से बातचीत की और यह जानकारी हासिल की और उसके बाद जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित करके यह आज्ञा प्राप्त की कि किसी भी गजटेड अधिकारी द्वारा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर प्रमाणित करके रुपया दे दिया जाय और बैन्क ने स्वीकृति दे दी। प्रमाणित होने के बाद रुपया निकाल लिया गया।

श्री कन्हैया लाल—

श्रीमन्, नीति का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले उसी प्रधानाचार्य के अनथराईज्ड स्कूल होने के नाते सिगनेचर्स अटैस्ट नहीं हुए फिर उसी व्यक्ति के सिग-नेचर्स उसी हैसियत में अटैस्ट हो गये। क्या कारण था कि इस तरह की बातें हुईं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इंसपैक्टर आफ स्कूल्स ने हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं किये चूंकि वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। समाज कल्याण अधिकारी ने गजटेड अफसर होने के नाते हस्ताक्षर प्रमा-णित किये और रुपया निकाला गया।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह छात्रवृत्ति इस प्रश्न के होने के बाद हुई या पहले?

श्री अध्यक्ष—

वह तो साफ है, प्रश्न १० मार्च का है और २५ मार्च को दिया है।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

जब मतदाता सूची में है कि वे हरिजन हैं तो उसे देखकर क्यों नहीं प्रमाणित कर दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—

यह मुश्किल बात है।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि हर तीन महीने के बाद बजीफा अवश्य मिल जाया करे।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

विलम्ब समाज कल्याण विभाग में नहीं होता है। १७ नवम्बर को समाज कल्याण अधिकारी के पास हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिये और २० तारीख को ही ३ दिन बाद ही, उन्होंने वापिस कर दिया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

जब सरकार का कोई मंत्री उत्तर देता है तो ऐसा नहीं समझा जाता है कि वह किसी दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी छोड़ दे ।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि छात्रवृत्ति जल्दी मिल जाया करें ।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य स्थानीय प्रधानाचार्यों से जल्दी करावें । वहीं तो देर होती है । आगे देर नहीं होती है । कमेटी भी जल्दी तय करने लगी है ।

*२-३--श्री बांके लाल (जिला देवरिया) श्री चन्द्र बली सिंह, (जिला देवरिवा) तथा श्री कृष्णा राय (जिला गाजीपुर)--

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।)

सहावर स्टेशन पर ट्रेन में हत्या

*४--श्री बेद राम, (जिला एटा), श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा) तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ मार्च, १९६६ को सुबह ८।। बजे जो रेलवे स्टेशन सहावर जिला एटा के पास पैसिन्जर गाड़ी खड़ी कर के जिस रेल के डिब्बे में ४ दरोगा मौजूद थे नीचे उतार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)--

घटना इस प्रकार है कि दिनांक ४-३-६६ को जब पैसेन्जर गाड़ी १२१ अप, सहावर स्टेशन पर ८-१५ बजे प्रातः खड़ी थी तो एक डिब्बे में जिसमें अब तक की जांच के अनुसार केवल एक ही दरोगा मौजूद था, ५ व्यक्तियों ने घुसकर एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी ।

इस संबंध में धारा ३९५-३०२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और जांच की जा रही है ।

श्री बेद राम--

क्या माननीय गृह मंत्री को जानकारी है कि बाल किशोर सब इंसपैक्टर सहावर भी बस स्टैन्ड पर जो वहीं हैं, मौजूद थे और वह वहीं खड़े थे और वह भी इसमें शामिल हैं ?

गृह मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--

वह सब इंसपैक्टर ससपैन्ड कर दिया गया है और जांच से यह मालूम हुआ कि उस डिब्बे में तो नहीं लेकिन उसी गाड़ी में दो सब-इंसपैक्टर और थे और एक कांस्टेबिल या हैड कांस्टेबिल भी था । उनको भी ससपैन्ड कर दिया गया है और जांच जारी है । इसलिये ज्यादा नहीं कहा जा सकता है ।

श्री बेद राम--

कुल कितने आदमी और किस किस पद के ससपेन्ड हुए हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--

३ सब इंसपैक्टर और एक कांस्टेबिल ससपैन्ड हुए हैं ।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा—

उस डिब्बे में कितने यात्री बैठे थे ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

इसकी सूचना तो नहीं है। इतना जरूर है कि उन यात्रियों में से भी किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति मारा गया है और जिन व्यक्तियों पर मारने का सन्देह किया जा रहा है उनमें आपस में कोई रंजिश थी और दरोगा के वहां मौजूद होते हुए वह उदासीन क्यों रहा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जो मारे गये हैं और जिन पर अभियोग है, इनमें रंजिश थी ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

जो दरोगा और सिपाही मुअत्तल किये गये हैं उनके पास हथियार थे या वे सादी वर्दी में ही सफर कर रहे थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

एक तो कांस्टेबिल वगैरह जो थे वे अभियुक्त ले जा रहे थे। दरोगा के पास आर्म्स थे या नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्हे निम्नम्बित इसलिये किया गया है कि उन्होंने अभियुक्तों को पकड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

कितने लोग अभी तक ३९५ और ३०२ में गिरफ्तार किये जा चुके हैं और क्या उनसे दरोगा से कोई सम्बन्ध हैं जिससे दरोगा ने उन्हें नहीं पकड़ा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नामजद रिपोर्ट ५ आदमियों की थी। उनमें से ३ पकड़े जा चुके हैं और चौथे ने अपने को सरेण्डर कर दिया है। दो अभी नहीं पकड़े गये हैं।

श्री रामसिंह—

क्या यह सही है कि उस डिब्बे में २५-३० सवारियां बैठी हुई थीं, उनको बदमाशों ने एक एक कर क उतार दिया और तब यह घटना घटी और जिसको मारा गया उसकी बन्दूक भी ले गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात सही है कि जब ५ आदमी घुसे तो कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन उन्होने मारने की धमकी दी। वे उतर गये और तब उन्होंने मलखानसिंह पर गोली चलाई।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि डिब्बे के लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और थानेदार ने उन्हें ऐसा करने से रोका ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दरोगा निलम्बित है और जब उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी तो ये तथ्य सामने आवेंगे। इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री बेदराम—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस घटना के तीसरे दिन ही फर्स्ट क्लास में एक महिला का कत्ल कर दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री इम्बेश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि सहावर के स्थानीय पुलिस के सहायक अधिकारी घटनास्थल से २५ गज की दूरी पर ही मौजूद थे ? क्या पुलिस को घटना के पहले कई प्रार्थना पत्र दिये गये थे कि इस दल से खतरा है और क्या पुलिस को घटना का पूरी तरह से ज्ञान होते हुए भी उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर मुकदमें

*५—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा इलाहाबाद के विद्यार्थियों पर हड़ताल के सम्बन्ध में कायम किये गये इंक्वायरी तथा केस समाप्त करा दिये गये है ? फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों के विरुद्ध इंक्वायरी बैठाये रहने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर हड़ताल के संबंध में कायम किये गये कुछ मुकदमे अदालत के विचाराधीन हैं और कुछ में जांच हो रही है। इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों पर इस संबंध में इस समय पुलिस द्वारा न कोई केस चल रहा है, न इन्क्वायरी।

श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार इससे अवगत है कि इस इंक्वायरी से विद्यार्थियों में काफी असन्तोष है ? इम्तहान का समय देखते हुये सरकार इंक्वायरी को वापस करने के आदेश देगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस के द्वारा अथवा किसी और के द्वारा यूनियन के सेक्रेटरी के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो बताया कि गोरखपुर और इलाहाबाद में कोई इंक्वायरी किसी के खिलाफ नहीं चल रही है।

श्री मुकुन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने बार बार विद्यार्थियों के प्रति उदारता दिखाई है और उन को कसूरवार होने पर भी छोड़ दिया है और इसी वजह से वह बार बार विश्वविद्यालय में कत्ल मचा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल

*७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क मिर्जापुर में ५ मार्च, १९६६ एवं ६ मार्च, १९६६ को पूर्ण हड़ताल रही? यदि हां, तो इसका कारण क्या था?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क में ५ व ६ मार्च, को आंशिक हड़ताल रही।

हड़ताल का कारण यह था कि बिना पूर्व सूचना के कुछ श्रमिकों ने होली के पूर्व पूर्ण वेतन पाने का आग्रह किया जब कि नियमानुसार उन्हें उस समय वेतन प्राप्तव्य नहीं था।

*८—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित) तथा श्री शिवनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस हड़ताल में उत्पादन की क्षति हुई और इस क्षति का जिम्मेदार कौन है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सम्पूर्ण क्षति अनुमानतः १,६९,००० रु० की हुई।

इस क्षति के जिम्मेदार अवैध रूप से हड़ताल करने वाले श्रमिक हैं।

श्री शिवनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि जिस दिन श्रमिकों ने अपने इस त्योहार के वेतन के लिये अधिकारियों को सूचना दी थी उस दिन चुर्क फैक्टरी के मैनेजर वहां पर उपस्थित नहीं थे और इसी कारण से खजाने से रुपया नहीं निकाला जा सका और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और उन्हें उसके फलस्वरूप हड़ताल करनी पड़ी?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

साधारण नियम यह है कि अमूमन १ से १० तारीख तक वेतन मिल जाया करता है, उन्होंने शनिवार की कहा कि इतना रुपया दिया जाय लेकिन उस दिन शनिवार था और इतना रुपया वहां नहीं था और इसलिये मैनेजर ने कहा कि इस वक्त उधार ले लिया जाय, उस दिन और इंतजाम नहीं हो सकता था, जब इंतजाम हो गया तब दे दिया गया इसमें नियम का सवाल नहीं है।

श्री झारखंडे राय—

क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि उनके और सरकार के अब तक के कुल प्रयासों के बावजूद चुर्क सीमेंट फैक्टरी की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी है और वहां के मजदूरों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण १० मई से सरकार को हड़ताल का नोटिस भी दिया गया है और अगर यह सही है तो सरकार इस चीज की रोकथाम के लिये क्या कर रही है?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

यह प्रश्न तो उठता नहीं, मेरे पास तो जो हड़ताल हुई उस की सूचना है, यह इससे सम्बन्धत प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि १ और १० तारीख के बीच में वेतन वितरण का नियम था और यह हड़ताल ५-६ तारीख को हुई और मजदूरों ने होली के त्योहार में पैसा लेने की सूचना पहले से दी होगी तो इस नुक्सान का जिम्मेदारी मजदूरों पर क्यों छोड़ी जाती है और उन को ५-६ बीच में वेतन की अदायगी क्यों नहीं की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

क्योंकि हड़ताल अवैधानिक थी इसलिये वही जिम्मेदार हैं।

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)—

आखिर जहां से रुपया ट्रेजरी से निकाल कर दिया गया क्या यह व्यवस्था हड़ताल से पहले नहीं की जा सकती थी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

इतवार को विशेष रूप से बैंक खुलवाया गया और बैंक खुलवाकर रुपया मंगवाया गया, छुट्टी के दिन बैंक खुलवाकर रूपए की अदायगी की गई इसके लिए तो आप को शुक्रगुजार होना चाहिये।

श्री गया प्रसाद—

क्या खासतौर पर रुपया इस हड़ताल से पहले नहीं मंगाया जा सकता था ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

वह हड़ताल वैधानिक नहीं थी, हो तो हर चीज सकती थी लेकिन वह कानूनी चीज नहीं थी।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

६ को रविवार था और उस दिन वेतन दे दिया गया और जब वह ५ को मांग कर रहे थे तो क्या उसी दिन वेतन नहीं दिया जा सकता था जिस से यह हड़ताल न होती और १ लाख ६९ हजार रुपये की बचत हो जाती ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जो चीज जायज नहीं है वह कैसे की जाय। वहां पर उतना रुपया नहीं था जो सब को दे दिया जाता। प्रयास किया गया और जब रुपया मिल गया तो वह उनको दे दिया गया।

मधुवन थाने में श्री राघव पांडेय की हत्या

*९—श्री दौलत लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मधुवन थाने के ग्राम रामपुर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री राघव पाण्डेय की हत्या दिन दहाड़े बन्दूक की गोली से दिनांक १२ मार्च, १९६६ को कर दी गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्री राघव पान्डेय, सदस्य संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, निवासी ग्राम रामपुर, थाना मधुवन की हत्या १२-३-६६ को ८ बजे दिन में बन्दूक की गोली द्वारा किये जाने की रिपोर्ट थाने पर मिली थी।

सूचना प्राप्त होते ही थाने पर एक मुकदमा धारा ३०२/१०९ भा० द० विधान के अन्तर्गत दर्ज कर, विवेचना प्रारम्भ की गई जो अभी जारी है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हत्या के लगभग ५ मास पूर्व मैंने और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री कृष्ण देव ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट की थी कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है, उससे हमारे जान माल को डर है इसलिए इसके बन्दूक के लाइसेन्स को जब्त किया जाय, जिस पर वहां के थानेदार ने पुलिस अधीक्षक को उनका लाइसेन्स जब्त करने के लिये कहा लेकिन पुलिस अधीक्षक ने उनके लाइसेंस को जब्त न करने की सिफारिश की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी का ज्ञात है कि श्री राघव पांडेय जी ने पुलिस स्टेशन मधुवन में १२वें महीने में इस आशय की रिपोर्ट की थी कि कमालुद्दीन, जिसके पास बन्दूक का लाइसेन्स है, उसको जब्त किया जाय परन्तु पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ये इस सिफारिश को क्यों नहीं माना ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसकी काई सूचना नहीं है। आप अगर लिख कर बतायें तो इसकी जांच की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि यह प्रश्न १४ तारीख को ध्यानाकर्षण के रूप में उठाया गया और सदन में आपने कहा था कि आप इसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उठालें। फिर आपने इसको उनके पास भेजा और १ महीने के पश्चात् भी उत्तर नहीं आ रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर वे देने को तैयार नहीं तो फिर आप ही बतायें कि हमारे पास कौन सा तरीका रह जाता है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को. जिसमें दिन दहाड़े राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जायें और जिन गुन्डों को लाइसेंस दे रखे हैं पुलिस अधीक्षक उन को पक्षपात करें? किस प्रकार से उत्तर प्राप्त करें ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रकार के प्रश्नों का अपने मूल प्रश्नों में संकेत कर सकते थे। अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके पहले थाने में कोई रिपोर्ट लिखायी गयी। वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। और माननीय मंत्री जी भी कह चुके हैं कि इस प्रकार की सूचना उनके पास नहीं है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति मारा गया और जो मारने वाले लोग हैं, उनमें आपस में काफी वैमनस्य था। जो मारने वाला पक्ष था उनके किसी आदमी को इसके पहले पीटा-पाटा गया है और वहां पर काफी तनाव का वातावरण पैदा हो गया था। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां की स्थानीय पुलिस ने क्या कोई कार्यवाही की थी कि इस प्रकार की दुःखद घटना न होने पाये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही है कि उनमें काफी वैमनस्य था और यह आजमगढ़, बलिया में भी चल रहा था लेकिन ऐसी संभावना नहीं थी कि किसी आदमी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जायगा।

श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—

यह जो घटना हुयी उसके १ माह पूर्व वहां के थानेदार ने ८० आदमियों के बारे में रिपोर्ट की और कहा कि यहां पर झगड़े का अन्देशा है और दफा १०७/११७ की कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन पुलिस अधीक्षक ने उसको देखा तक नहीं और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या ऐसी कोई सूचना माननीय मंत्री जी के पास है?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बड़ा पुराना झगड़ा था। इसमें २ प्रकार के झगड़े थे। एक तो मिर्चों के उखाड़ने के सम्बन्ध में था। लाल जी की तरफ से मुकदमा चलाया गया। इन्होंने एक मुकदमा धारा १४७/१४८/३२३ का दायर किया। वह भी है। फिर शम्भूनाथ वगैरह ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। फिर मरने के कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई इनके गांव में जो बार्डर का बलिया का गांव है, कि उसमें १०७/११७ का मुकदमा १०-१-१९६६ को दर्ज हो चुका है। तो ये दोनों केसेज चल रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन साहब ने राघव पांडेय को गोली से मारा वह कौन साहब थे और अगर नाम नहीं मालूम है तो कैसे कहा जा रहा है कि उनमें दोनों में वैमनस्य था इस कारण गोली चला दी?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह तो तफतीश हो रही है। जो हमारे पास नाम लिखे हुए हैं जिन के प्रति कहा जाता है कि उन्होंने गोली चलायी थी उनके नाम तो बता सकता हूं। लेकिन यह कि उन्होंने गोली चलायी है यह तो तफतीश की बात है, वह मैं नहीं बता सकता।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जिनको बतलाया जा रहा है उन के नाम तो बता दें कि किनके ऊपर शक शुबहा है?

श्री अध्यक्ष—

जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि गोली चलायी उनके नाम जानना चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

४ आदमियों का नाम दर्ज है—कमालुद्दीन, जमालुद्दीन, धनई और किसुना इनमें से धनई हाजिर हो चुके हैं और तीन फरार हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

कमालुद्दीन को लाइसेंस बन्दूक का जो दिया गया वह किनकी सिफारिश पर दिया गया था?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। तीन दिन से लगातार देखता हूं कि जब भी मैं खड़ा होता हूं तो आप की नजर पकड़ नहीं पाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कुंवर श्रीपाल सिंह काफी आड़ कर लेते हैं।

श्री झारखंडे राय—

क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि नहीं कि श्री राघव पांडेय की हत्या के कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट इस बात की की गई थी कि राघव पांडेय का जो तथाकथित गोल है उसके लोगों ने उन लोगों के एक आदमी की गोली मारी थी जिनके बारे में शिकायत है। वह लोग शायद जान से मारे हैं। तो ऐसा जब रिपोर्ट थी और वह आदमी घायल हुये, अस्पताल में भरती हुये, भाग्य से बच गये, तो जब ऐसा द्वन्द वहां पैदा हो गया था तो सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की रोकथाम के लिये क्या कारगर कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैंने बताया कि यह रिपोर्ट इतने विस्तार से नहीं है। लेकिन दफा १०७/११७ की कार्यवाही इस घटना के पूर्व वहां दोनों पार्टीज पर हो रही थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह १०७/११७ की कार्यवाही हुई तो इसका नोटिस अदालत से कब दिया गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो नोटिस अदालत से जाता है।

चमोली जिले में खनिज पदार्थों की खोज

*१०—श्री योगेश्वर प्रसाद खंड़ड़ी (जिला चमोली)—

प्रथम सत्र १९६५ के ७वें गुरुवार के मेरे प्रश्न संख्या २९ के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि चमोली जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसबेस्ट्स मैग्नेसाइट खड़ी चूना एवं तांबे के भंडार यत्र-तत्र मिलने की संभावना है और एतद्संबंधी रिपोर्ट १९ सितम्बर, १९६५ तक प्रकाशित किए जाने की बात मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही थी। लेकिन वह रिपोर्ट अब तक भी प्रकाशित नहीं हो पाई है। क्या सरकार अब अविलम्ब उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने और सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

वांछित रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है किन्तु जन हित में उसको सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

ककोड़ थाने में रामप्रसाद की मृत्यु की जांच

*११—श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम प्रसाद, पुत्र कंचन, गांव ख्वाजापुर, थाना ककोड़ जिला बुलन्दशहर को कुछ व्यक्ति खेत पर काम करने को ले गए। उसके घर वालों को बिना बताये बुलन्दशहर अस्पताल में ले गये कि इसे सांप ने काट दिया है मर गया है फिर लाश को गांव में छोड़कर भाग गए ? कौन-कौन व्यक्ति थे, कौन-कौन सवारी स बुलन्दशहर ले गए और लाए ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

१६ दिसम्बर, १९६५ को मृतक राम प्रसाद के चाचा ने थाना ककोड़ में इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा राम प्रसाद कभी कभी ग्राम फतेहपुर के श्री घूरे सिंह के यहां नौकरी करता था। पिछले दिन शाम को श्री घूरे सिंह के लड़के श्री दलीप सिंह उसे खेत में

पानी लगवाने के लिए घर से लिवा गये। १६ दिसम्बर को सायंकाल वे लोग रामप्रसाद की लाश लेकर उनके घर पर गये और बताया कि खेत में पानी देते समय उसे जहरील जानवर ने काट लिया। जब ठीक न हुआ तो वे लोग राम प्रसाद को बुलन्दशहर ले गये और डाक्टरी व सांप काटे का इलाज करने वालों को दिखाया परन्तु उसकी मृत्यु हो गई।

सर्वश्री धूरेसिंह, दलीपसिंह व गजराज सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर ने मृतक को बुलन्दशहर ले जाने तथा लाने में रेहड़ी तथा बस का प्रयोग किया। उनके साथ साथ मृतक के मां बाप भी गये थे।

*१२—श्री जसरामसिंह—

क्या यह बात सही है कि उक्त मृतक व्यक्ति के घर वालों ने थाने में रिपोर्ट की और एस० पी० महोदय को भी प्रार्थना-पत्र दिया कि किस उच्च अधिकारी ने घटना स्थल की जांच की, किस परिणाम पर पहुंचे, बताने की कृपा की जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सही है कि मृतक के घरवालों ने थाने में रिपोर्ट की थी और पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना-पत्र दिया था।

थाने पर की गई रिपोर्ट के आधार पर सब-इंसपेक्टर श्री हरिशंकर कौशिक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में विवेचना प्रारंभ की। जो अभी जारी है। अभी तक जांच अधिकारी किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचे।

श्री जसरामसिंह—

पुलिस कप्तान को क्या प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

"सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का भतीजा राम प्रसाद, पुत्र कंचन, कौम खटीक उमर करीब १८ वर्ष उपरोक्त मुलजिमान के घर २० रु० माहवार पर नौकर था। करीब ३ वर्ष से नौकरी कर रहा था और रात दिन उन्हीं के पास रहता था। राम प्रसाद की शादी इस वर्ष हुई है। इस कारण उसने नौकरी करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि २० रु० माहवार में गुजारा नहीं हो सकता था। मुलजिमान को यह बात बुरी लगी। वह नौकरी बढ़ाना नहीं चाहते थे। राम प्रसाद १५ दिसम्बर, १९६५ को नाज पिसवाने धनौरा जा रहा था। उक्त मुलजिमान उसे अपने साथ लिवा ले गये। उसी दिन गजराज ने जा कर अशरफी देवी, माता राम प्रसाद से कहा कि तुम्हारा लड़का आज पानी लगा रहा है। आज नहीं आवेगा। इसके पश्चात् २६ दिसम्बर, १९६५ की सुबह को आ कर खबर दी गई कि राम प्रसाद को सांप ने काट खाया है। हम लोग फौरन मुलजिमान के घर पर पहुंचे तो पता चला कि लाश चोला स्टेशन पर पहुंच गई है। हम जैसे ही चोला पहुंचे तो उक्त मुलजिमान ने हमें लाश को नहीं देखने दिया। और मोटर में लाश को बुलन्दशहर ले आये। मुलजिमान लाश को लेकर डाक्टरों के पास इसलिए गए कि वह झूठा प्रमाण-पत्र दे दें। परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि मुलजिमान ने उसे फांसी देकर मार डाला था। बुलन्दशहर से प्रमाण-पत्र डाक्टरी सांप के काटने का न मिलने पर लाश को ले कर अपने गांव को वापस चले तो रास्ते में खवासपुर में लाश को छोड़कर भाग गए। हम लोगों ने थाने में जाकर थानेदार साहब से कहा। परन्तु वह उस दिन नहीं आये। रात भर लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन थानेदार साहब गांव आये। और लाश को लेकर चले गये। हम लोगों ने जब लाश देखी तो पता चला कि उसको गले में फांसी देकर मार डाला था। उसका गला सूजा हुआ था। करवट में जला रखा था। दांत टूटा हुआ था। तभी मुलजिमान से कहा था कि तुमने उसे फांसी देकर मार डाला है। सांप के काटे से नहीं मरा है। इस बात को सुनकर मुलजिमान भाग गये।

श्रीमान् जी, उपरोक्त मुलजिमान बहुत सरकश व गिरोहबन्द आदमी हैं उन्होंने जानबूझ कर राम प्रसाद को जान से मार दिया है। परन्तु अभी तक मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।"

श्री जसरामसिंह—

जो यह रिपोर्ट सदन को पढ़कर सुनायी गयी है या बिल्कुल गलत है कि मृतक राम प्रसाद के मां बाप उसके साथ गये थे। इतना झूठ सदन की मेज पर नहीं आना चाहिए। क्या इसकी सही जांच माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राम प्रसाद की लाश का पोस्ट मार्टम हुआ ? यदि हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविंदसिंह—

पोस्ट मार्टम हुआ, डाक्टर ने यह लिखा कि इस बात का पता नहीं चलता कि इसकी मृत्यु क्यों कर हुई। मरने के पहले की चार मामूली चोटें उसके बदन पर पायी गयीं लेकिन डाक्टर का कहना है कि उन चोटों से मृत्यु नहीं हो सकती। उसका विसरा केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा गया है। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री जसरामसिंह—

जो यह कहा गया है कि राम प्रसाद की लाश को लेकर पहले उसके घर गए, तो यह भी सूचना गलत है। क्या सही जांच करा कर सूचना मंगाने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर मुझे दे दीजिए तो मैं खुद पूछ लूंगा। ऐसे प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं है।

*१३—श्री गयाप्रसाद—

[स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न १३ के स्थगन पर आपत्ति

श्री गयाप्रसाद—

मेरा वैधानिक प्रश्न है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस परमिट कांड की जांच करने वाले जांच आयोग के सदस्य श्री जे० के० टंडन ने इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो उनके स्थान पर कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और यदि नहीं, तो क्यों ? यह सवाल ऐसा है जो मुख्य मंत्री से संबंधित है और एक मिनट में इसका जवाब आना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महीने भर पहले तो इस सवाल को दिया गया और आज साधारण सवालों की तरह सामने आया फिर भी लिखा हुआ है कि स्थगित किया गया। यह किस नियम के अनुसार स्थगित किया गया और कारण मुझे क्यों नहीं बताया गया ?

श्री अध्यक्ष—

२३ मार्च का आपका प्रश्न है। साधारणतया जब उत्तर देने की पहली बारी आती है, एक महीने के अन्दर तो सरकार की प्रार्थना पर स्थगन दे दिया जाता है। अगर यह सदन ५ तारीख को न बैठता होता तो कठिनाई हो सकती थी। मैंने निवेदन किया है कि ५ तारीख को इसका उत्तर आ जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसी प्रकार का प्रश्न आपके समक्ष १५–२० दिन पहले आया था और यह प्रश्न उठा था। वह यह प्रश्न था कि जो इसमें लिख दिया जाता है कि स्थगित किया गया यह हमको बिना बताये हुए लिख दिया जाता है। यह नियम के विरुद्ध है। अगर नियम ३९ पढ़ा जाय, श्रीमन् देखें जिसके बारे में आपने कहा था कि अगर वह जवाब न देना चाहें तो हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त यह निर्णय हुआ था कि संबंधित मंत्री महोदय यहां उपस्थित होंगे और कहेंगे कि इन-इन कारणों से सूचना देने में असमर्थ हैं। आपने कहा कि अच्छा हम देखेंगे। इस बहाने से सरकार के लोग सुरक्षित हो जाते हैं वे देना नहीं चाहते। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इससे एक मंत्री संबंधित है, उनके खिलाफ आरोप है। हम समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं प्रश्न का उत्तर आया? जब प्रश्न इतना सादा है। उसके लिए कहीं सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके दिये हुए वचन का उल्लंघन क्यों हुआ? मुख्य मंत्री महोदय क्यों नहीं उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं? आप लोगों से अगर हमारी रक्षा नहीं होगी तो फिर कौन रक्षा करेगा? हम यह चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जो यहां आ कर कारण बतायें।

श्री अध्यक्ष—

वह आज उपस्थित नहीं हो सकतीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर यही कारण है तो हम दो मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि हमने इतनी मर्तबा यह प्रश्न रखा मगर न आप हमारे हितों की रक्षा करते हैं और न सेक्रेटेरिएट ....(व्यवधान)

(जनसंघ दल के सदस्यगण सदन का त्याग कर के चले गए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप प्रक्रिया नियमावली के नियम ३६ को देखें। उसमें यह है कि मंत्री की अनुपस्थिति में अगर मंत्री प्रार्थना करें तो अध्यक्ष उसे स्थगित कर सकते हैं। आपने लिखा है कि स्थगित किया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या मंत्री जी ने प्रार्थना की थी या एक कारण और होता है कि सरकार को स्पस्टीकरण की जरूरत होती है तो उस समय भी स्थगित किया जा सकता है। एजेंडे में दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिरकार नियम ३६ के अन्दर स्थगित हुआ है या माननीय मंत्री की प्रार्थना पर हुआ है। यह प्रश्न श्रीमन्, सचिवालय से ही संबंधित है किसी बाहर के किसी जिले से संबंधित नहीं है तो यह क्योंकर हुआ? मंत्री जी के जरिए सदन को बताया जाता है....

श्री अध्यक्ष—

नियम ३९ (२) के अन्तर्गत जब प्रस्ताव आता है तो बिना छानबीन के साधारणतया समय दे दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नहीं श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष —

नियम ३६ और चीज है और ३९ और चीज है। मैं कह रहा था कि स्थगन करने का किसी भी प्रश्न का महत्व उस समय होता है जब यह भय होता है कि प्रश्न सदन के सामने न आ सकता हो। चूंकि ५ तारीख को सदन बैठ रहा है इसलिए इसका अधिक महत्व नहीं है। ५ तारीख को यह आ जायगा।

श्री सारखंडेराय---

श्रीमन्, सरकार के रवैये से आपकी पोजीशन आकवर्ड हो जाती है जो प्रश्न है उसका जवाब दो मिनट में आ सकता है। इसके लिए तीन सप्ताह का समय लेना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं। ५ तारीख को प्रश्न आ जायगा उस समय आप पूछ लीजिए। ऐसी सूरत में आप उनसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, स्थगित होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो पत्रावली देखकर मैं बता सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

बिना पत्रावली लाये सदन में आपके लिए महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए थी और जब तक आप उसको सदन में न सुनायें यह स्थगित नहीं हो सकता है। श्रीमन्, आप हमारी परेशानी नहीं देखते हैं।

श्री अध्यक्ष ---

देखिए, किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूची बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे। जहां तक यह प्रश्न है इसमें सदन के समक्ष मंत्री के कुछ कहने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्यों नहीं साहब ?

श्री अध्यक्ष---

अभी तक यही कायदा चला आया है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, एक बार नहीं अनेक बार आपने निर्देश का उल्लंघन किया है। ऐसी बात मत कहिए। स्पष्ट घोषणा हो जाये कि इन कारणों से हम उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्री जी की ओर से सूचना आयेगी तो हम स्वीकृति नहीं देंगे जब तक कि हम पूछेंगे नहीं। यहां पूछा गया है बल्कि अपने मन से स्थगित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

एक बात आप देखिए। मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आपका सचिवालय सरकार के सचिवालय से भिन्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

जरा शांतिपूर्वक।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हम कहां अशांत हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत क्षुब्ध हैं। बैठ जायं। मैं आप से बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह आये दिन का मामला है। हमारे जो अधिकार मिले हुए हैं उनका खयाल नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से बातचीत कर लूंगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मैं फिर व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। आप स्पष्ट निर्देश दें कि किस कारण से स्थगित हुआ है, किन परिस्थितियों में मंत्री ने कहा कि सदन में उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। यह पत्रावली सदन के सामने रखी जाय और बढ़ पर सुनायें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

जो आदेश अध्यक्षीय पद से जारी हुआ है उसमें यह है कि तीन दिन पूर्व मंत्री जी स्थगन की प्रार्थना करें। यहां सदन में प्रश्न आये और वह अपना कोई स्पष्टीकरण दें ऐसा नहीं है। मैंने यह जरूर कहा है कि जो आदेश जारी हुए हैं कि कदाचित उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है कि यहां आपके सामने स्पष्टीकरण दें बल्कि यह है कि दोबारा जब समय मांगेंगे तो आदरणीय सदन के समक्ष कारणों का स्पस्टीकरण करना पड़ेगा। (शोर) इसको देख लीजिए। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो देख लेंगे।

श्री गयाप्रसाद—

संबंधित मंत्री ने आपके पास कोई लिखित प्रार्थना की है कि यह सवाल स्थगित कर दिया जाय और उसका कारण भी दिया है ?

श्री सारखंडेराय—

मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगे कि यह जो टालू मिक्सचर की नीति है यह आपको भी परेशानी में डालती है, हम लोग तो परेशान हैं ही।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मंत्री जी उत्तर क्यों नहीं दे सके, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा कोई नियम नहीं है। आप आकर मुझ से मिल सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मुझे बड़ा अफसोस है कि विरोधी पक्ष को सवालों के उत्तरों से वंचित कर देते हैं और सरकारी पक्ष का साथ दे देते हैं। इसके विरोध में हम पांच मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखण्डे राय —

इस विषय में जो आपने अपना रवैया अपनाया है उससे इस सदन का अपमान होता है और हमारा सबका भी अपमान होता है। मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में और सरकार की नीति के विरोध में अपने दल सहित पांच मिनट क लिए सदन त्याग करता हूं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चुरखी थाने में श्री रघुनन्दनसिंह के कत्ल की जांच

*१—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार को मालूम है कि थाना चुरखी, जिला जालौन की जनता ने आई० जी० पुलिस को एक पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि दो माह पूर्व श्री रघुनन्दन सिंह का कत्ल चुरखी में हो गया था और उसमें नामजद रिपोर्ट हुई है लेकिन अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गिरफ्तारियां न करने का क्या कारण है और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री रघुनन्दन सिंह को कत्ल कर दिये जाने के विषय में जिला जालौन की जनता का कोई पत्र आई० जी० के नाम पुलिस मुख्यालय में नहीं प्राप्त हुआ किन्तु इस घटना की एक नामजद रिपोर्ट दिनांक ६-१-६६ को थाना चुरखी पर लिखाई गई, थानाध्यक्ष द्वारा मामले की जांच अभी जारी है। नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक इसलिये नहीं की गई कि उनके विरुद्ध पर्याप्त तथा विश्वसनीय सबूत अभी उपलब्ध नहीं हो सका।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार को यह सूचना है कि इस आदमी के मरडर से संबंध में नामजद रिपोर्ट की गयी है और उसमें गवाहों का भी नाम दिया गया है और उन्होंने अपने बयान दिये हैं ? और उनके क्या बयान हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। इसमें क्या थाने में बयान दिया गया, यह तो वहां होगा, मेरे पास तो आता भी नहीं है।

श्री शिवसंपत्ति शर्मा—

मेरा निवेदन यह है कि उस केस में मँरडर हुए काफी दिन हुये और उसकी नामजद रिपोर्ट है, नामजद गवाह हैं, तो ऐसे कौन कारण हैं कि इतने दिन तक जांच चल रही है ? और गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो उत्तर में बता दिया गया कि अभी तक पर्याप्त मात्रा में ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, जिससे उनको गिरफ्तार किये जा सके। मैं आपकी इत्तिला के लिये यह भी बता दूं कि इस में जो

नोट—तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री हरगोन्दिसिंह—]

इन्वेस्टीगेशन हुआ है उसे सी० आई० डी० देख रही है कि इसमें कोई खास कारण तो नहीं है जिससे गिरफ्तारी नहीं हो रही है तथा इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं या नहीं यह सब सी० आई० डी० देख रही है।

श्री शिवसंपत्ति शर्मा—

क्या सरकार को यह सूचना है कि सी० आई० डी० की भी रिपोर्ट आ गयी है, और उसमें यह कहा गया कि जो गवाही दी गई है वह ठीक है और जो मुल्जिम हैं वह सही हैं ? फिर भी जो सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी बात नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सी० आई० डी० की ऐसी रिपोर्ट होगी तो उस पर अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री नरसिंहनारायण पाडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि एक पेनेल सेक्शन में यह दिया हुआ है कि एफ० आई० आर० के बारे में कि एफ० आई० आर० लाज हो जाने के तुरन्त बाद ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिये। फिर भी अब तक ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोन्विदसिंह—

मेरे ख्याल से ऐसा कानून श्रीमन्, मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने भी शायद पढ़ा नहीं होगा कि एफ० आई०आर० में जिसका नाम आ जाये, उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाय।

नैनीताल जिले में पुलिस अधिकारी द्वारा जमीन पर कब्जा करने की जांच

*२—श्री इन्द्रासनसिंह, श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री सत्यदेवसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील किछा, सितारगंज और खटीमा, जिला नैनीताल के अन्तर्गत १९६४ से अब तक कितने थानेदार तथा डी० एस० पी० अपने तथा अपने परिवार (स्त्री, लड़के) आदि के नाम जमीन खरीदा है और उपरोक्त व्यक्तियों ने दूसरे की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करवा कर लेखपालों से इन्दराज अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम कराया है जिस की सूचना एस० डी० एम० तराई को है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

सन् १९६४ से अब तक जिला नैनीताल में नियुक्त किसी सब इंस्पेक्टर व उप पुलिस अधीक्षक ने अपने या अपने परिवार के किसी खास सदस्य अर्थात् पत्नी, पुत्र या पुत्री के नाम कोई जमीन नहीं खरीदी।

एक मामला ऐसा अवश्य सामने आया था कि जिसमें यह कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर व उप पुलिस अधीक्षक के संबंधियों ने अन्य लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तथा जमीन को अपने संबंधियों के नाम दर्ज करा लिया है इस संबंध में परगना अधिकारी तराई, नैनीताल द्वारा जांच की गई और कुछ तथ्य इस प्रकार के प्रतीत हुये कि सब इंस्पेक्टर और उप-पुलिस अधीक्षक इस जमीन में दिलचस्पी रखते हैं इसको विस्तृत रूप से जांच कराई जा रही है।

*३—श्री इन्द्रासनसिंह, श्री उमाशंकर तथा श्री सत्यदेव सिंह—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी, जो उक्त प्रकार के सेवा कार्य में जो हों, सरकार से स्वीकृति लेने के बाद ही जमीन खरीद सकते हैं ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। ऐसे आदेश गवर्नमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स १९५६ के पैरा २४ में देखे जा सकते हैं।

रुद्रपुर में श्रीमती विरोदा रानी द्वारा आत्म-हत्या

*४—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या यह सही है कि रुद्रपुर रिफ्यूजी कालोनी की किसी स्त्री ने फांसी लगा कर अपनी जान पुलिस तथा वहां के अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण दे दी थी जिसकी सूचना रिफ्यूजी स्थायी कमेटी के समक्ष रुद्रपुर में ९ या १० जनवरी, १९६६ को दी गई थी तो क्या इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ६-७-६५ को चौकी ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती विरोदा रानी पत्नी श्री आदित्य कुमार ने आत्म हत्या की है। रिपोर्ट में किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखाया गया। पुलिस की जांच से यह ज्ञात हुआ कि उक्त स्त्री व उसके पति के आपसी सम्बन्ध ठीक नहीं थे जिसके कारण स्त्री ने आत्महत्या की और जांच से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया और न पुलिस के विरुद्ध स्त्री द्वारा किसी शिकायती पत्र आदि का दिया जाना ही पाया गया। सी० आई० डी० द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई। इस घटना की सूचना सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की स्थायी समिति को जिसकी बैठक रुद्रपुर में गत १० फरवरी, १९६६ को हुई थी, भी मिली थी।

आत्म-हत्याएं

*५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की पांचों महानगरियों में सन् १९६२, १९६३ व १९६४ में कितने-कितने व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या करने की रिपोर्ट सरकार को मिली?

*६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन आत्महत्या करने वालों में कितने पुरुष और कितनी महिलायें और अन्य हत्या करने के कारण क्या थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

देवरिया जिले में गन्ना क्रय केन्द्र

*७—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में शक्कर, गुड़, खांडसारी उद्योग के विकास के लिये उच्चाधिकार सलाहकार समिति १९६४ ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि शक्कर फैक्टरियों के चालू होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त क्रय-केन्द्र चालू हो जाने चाहिये? यदि हां, तो बताया जाय कि देवरिया के बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया, भटनी तथा बस्ती के खलीलाबाद मिलों के चालू होने के सात दिनों के अन्दर सभी क्रय-केन्द्र चालू हो गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। निर्दिष्ट चीनी मिलों के अधिकांश गन्ना क्रय-केन्द्र सीजन १९६५-६६ के लिये गई चालू होने के सात दिनों के अन्दर चालू हो गये थे। शेष क्रय-केन्द्र ट्रकों के समय से उपलब्ध

न होने एवं यातायात की कठिनाइयों इत्यादि के कारण नहीं चल पाये। इन समस्त केन्द्रों के चालू होने की तारीख आदि का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२६–४२७ पर)

चीनी, गुड़, खाण्डसारी उद्योगों के विकास के लिए सिफारिशें

*८––सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, भीमाप्रसाद (जिलाआजमगढ़) दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा लक्खी सिंह––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शक्कर, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों के विकास के लिये उच्चाधिकार सलाहकार समिति, १९६४ का प्रतिवेदन सरकार को अक्तूबर, सन् ६५ में प्राप्त हो गया था? यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की किन-किन बातों पर सरकार द्वारा अमल किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचता कृपालानी––

जी हां। उक्त हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में शक्कर, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का सम्बन्ध विभिन्न विभागों से है। अतएव सम्बन्धित विभागों से उनसे सम्बन्धित सिफारिशों के विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है। सम्बन्धित विभागों से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय में जो सूचना अब तक प्राप्त हुई है उसके विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२८–४३० पर)

कल्याणपुर थाने में श्रीमती बिटानी की हत्या

*९––श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––

क्या यह सत्य है कि थाना कल्याणपुर, जिला कानपुर में जो दिनांक ४ फरवरी, १९६६ को श्रीमती बिटानी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई उसकी जांच में पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को हत्या के आरोप में पकड़ा और चालान किया? यदि हां, तो वे कौन व्यक्ति हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह––

दिनांक ४–२–६६ को थाना कल्याणपुर, जिला कानपुर में श्रीमती बिटानी की हत्या के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उस मामले में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वे दोनों व्यक्ति थाना कल्यानपुर, निवासी कैलाश और ब्रह्म सिंह हैं। १८–३–६६ तक इन व्यक्तियों का चालान नहीं हुआ और जांच जारी थी।

हरबंसपुर में डकैती

*१०––सर्वश्री शिवनाथ सिंह, उग्रसेन तथा राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के थाना सचेती के अन्तर्गत ग्राम हरबंसपुर में दिनांक २८–२९ जनवरी, १९६६ को डकैती पड़ गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? और नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह––

हरबंसपुर ग्राम थाना सचेती जिला कानपुर पर दिनांक २९–१–६६ को एक डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में अभी जांच हो रही है।

*११—सर्वश्री शिवनाथ सिंह, उग्रसेन तथा श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त डकैती में वादी द्वारा डकैती डालते किसी डकैत को पहचान लिया, परन्तु पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी डाकू को वीरान डकैती मौके पर पहचानना नहीं लिखाया। डकैती के बाद एक प्रार्थना-पत्र में एक व्यक्ति का नाम बताया था परन्तु अब तक की जांच से यह नाम सही नहीं पाया गया और इसीलिये इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*१२—सर्वश्री शिवनाथसिंह, उग्रसेन तथा राधेश्याम शर्मा—

क्या कोई विरोध पत्र सरकार को उपर्युक्त डकैती के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच सर्किल अफसर द्वारा की जा रही है।

गवर्नमेंट ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर, उन्नाव के चौकीदार का वेतन

*१३—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायगे कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर, उन्नाव में दिनांक ५ सितम्बर, १९६२ को कितने चौकीदारों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक।

*१४—श्री श्यामलाल—

क्या यह सही है कि उनकी अपील सरकार द्वारा १० मार्च, १९६५ को मंजूर होने के बावजूद भी उनको वेतन का बकाया रुपया अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां।
(ख) नियमानुसार कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण।

*१५—श्री श्यामलाल—

वर्तमान महंगाई को देखते हुए क्या सरकार उन्हें जल्दी उनका वेतन दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां।
(ख) शीघ्र ही अवशेष वेतन दे दिया जायेगा।

[१४ अप्रैल, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में "निदाय मिल्लत" की जब्ती

*१—रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शहर लखनऊ में अगस्त, १९६५ के पहले सप्ताह में 'निदाय मिल्लत' साप्ताहिक के दफ्तर पर छापा मारा गया और उसमें किन-किन लोगों को गिरफ्तार

[रियासत हुसैन]

किया गया और किस अपराध में गिरफ्तार किया गया और कितनी कापियां 'निदाय मिल्लत' की सरकार ने कब्जे में लीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

लखनऊ में अगस्त ६५ के पहले सप्ताह में "निदाय मिल्लत" साप्ताहिक के दफ्तर में सी० आई० डी० ने अखबार के विशेषांक के आपत्तिजनक होने के कारण भारतीय सुरक्षा नियम के अन्तर्गत उसके सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा प्रबन्धक, वितरक को गिरफ्तार कर लिया। उक्त विशेषांक की ७,३७३ प्रतियां भी कब्जे में कर ली गई।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि उस 'निदाय मिल्लत' के अलीगढ़ नम्बर में क्या-क्या आपत्तिजनक चीजें छपी हुई हैं और क्या मंत्री जी उसकी एक कापी सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय वांछित सूचना देना या संबंधित विशेषांक की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

सम्भल थाने में अपराधों की जांच

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद, थाने सम्भल के इन्चार्ज ने अब तक कितने मामलों में पता लगाने के लिये कुत्तों का इस्तेमाल किया और उन कुत्तों ने कितनी चोरियों का पता लगाया और कितने आदमियों को काटा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला मुरादाबाद में थाना सम्भल के इन्चार्ज ने अब (२८-२-६६) तक किसी भी मामले में पता लगाने के लिये कुत्तों का इस्तेमाल नहीं किया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

घोसी तहसील में ऐतिहासिक टीलों की खुदायी

*४—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी तहसील में बड़रांव—ब्लाक स्थित मीरा ग्राम सभा में फलांगों तक फैले कोट, डीह और ऊंचे टीले हैं, जहां खोदने पर बड़ी-बड़ी इंटें, मिट्टी के बर्तन, कभी-कभी सिक्के, नक्कासीदार और चित्रित मिट्टी के टुकड़े मिलते हैं ?

*५—क्या सरकार को मालूम है कि अरक्षित होने के कारण गांव वाले इन दुर्लभ ऐतिहासिक टीलों को बुरी तरह खोद रहे हैं ?

*६—क्या सरकार इस पूरे क्षेत्र को रक्षित क्षेत्र घोषित करके, इसकी सम्यक खोदाई की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*७-९—श्री उमाशंकर—

[८वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ३८-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरिजन कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया यह बतावेगी कि क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण निदेशालय ने वेतन अभिनवीकरण समिति को हरिजन समाज कल्याण अधिकारियों को २० प्रतिशत और प्रोबेशन अफसरों को केवल १० प्रतिशत पदोन्नति की सिफारिश की थी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

गोरखपुर जिले में कागज का कारखाना खोलने की कथित योजना

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कागज का कारखाना खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है तथा इस हेतु कुछ बाहरी देशों का भी सहयोग केन्द्रीय सरकार के मार्फत प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो कुल प्रोजेक्ट कितने का होगा तथा कौन से स्थान का चुनाव हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना क्रय-कर

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खांडसरी शुगर फैक्टरीज केन शुगर परचेज टैक्स (बिक्री-कर) उनमें लगे क्रशर की क्षमता पर लगाया जाता है या जितना गन्ना उनमें क्रश करने के लिये प्राप्त होता है, उस पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा ३(१) (ख) के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में स्थित सभी इकाइयों पर उनके द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर क्रय कर लगता है। उन इकाइयों के स्वामियों द्वारा जिन्होंने विकल्प (आप्शन) का प्रयोग नहीं किया है रखे गये रिकार्ड (जिसमें क्रय किये गये गन्ने का हिसाब रखना आवश्यक है) अविश्वासनीय पाये जाते या प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं उन पर क्रमशः उक्त अधिनियम के नियम १५(१) (क) (ख) के अनुसार कार्य संबंधी समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्रय किये गन्ने का विवेकानुसार अनुमान लगाकर क्रय कर निर्धारित किया जाता है। जिन इकाइयों के स्वामियों के विकल्प का प्रयोग किया है, उन पर नियम १३ (क) में उल्लिखित अनुसूची १ में दी गई निर्दिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुसार क्रय कर निर्धारित किया जाता है।

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री रणबहादुर सिंह—

क्या मंत्री जी उन खांडसारी फैक्टरीज पर जो मिल रिजर्व एरिया में हैं क्रशर की क्षमता के अनुकूल गन्ना नहीं मिल पाता, उन पर प्राप्त गन्ना के ऊपर परचेज टैक्स (बिक्री-कर) लगाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रश्न के उत्तर का समावेश उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के अन्तर्गत हो गया है।

देवरिया में श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त को उद्योग ऋण

*१४—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६३ के पृष्ठ १४४ पर संख्या १० के नाम से जो यह टिप्पणी लिखी है कि १९५५-५६ में देवरिया के एक व्यक्ति को हथकरघा उद्योग के लिये सज्जा और कच्चे सामान खरीदने के लिये ५,००० रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था और यह ऋण क्यों अप्र त्यादेय हो गया है ? यदि हां, तो वह ऋण किस व्यक्ति को दिया गया, पूरा पता बताया जाये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६३ में यह लिखा था। परन्तु यह ऋण अप्रत्यादेय नहीं था। परन्तु दो जामिनों की जमानत देने पर और उनकी हैसियत की जांच करने के बाद यह ऋण दिया गया था। ऋण का सारा मूलधन तथा साधारण ब्याज वसूल हो चुका है। ऋणी का नाम श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, प्रोप्राइटर, गुप्ता हैन्डलूम फैक्टरी, देवरिया है।

पुलिस लाइन्स में हरिजन सिपाहियों की भोजन व्यवस्था

*१५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, बलिया, देवरिया तथा गोरखपुर जिलों की पुलिस लाइनों में हरिजन सिपाहियों के साथ जातीय आधार पर लाइन के भोजनालयों में छुआ-छूत माना जाता है ? यदि हां, तो क्या यह भेद-भाव ठीक है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बख्शीतालाब हवाई अड्डे में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*१६—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बख्शी के तालाब हवाई अड्डे में जिन किसानों की जमीन पड़ गई है और वे लगभग भूमिहीन हो गये हैं उनको जमीन का मुआवजा सरकार कब तक देगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुआवजे के संबंध में Land Acquisition Officer के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही दिया है। जैसे ही उनका निर्णय स्वीकृत हो जावेगा मुआवजे का भुगतान संबंधित किसानों को कर जायगा।

*१७—श्री सुखलाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिन किसानों की जमीन बख्शी तालाब हवाई अड्डे में पड़ गई है और उनकी भूमिहीनता से हालत चिन्ताजनक है उनसे लगान वसूली को रोकने का तुरन्त आदेश देने की कृपा करेंगी ? जब तक उनको जमीन का मुआवजा सरकार न दे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लगान की वसूली रोकने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अस्थाई अधिग्रहण करते समय जो मुआवजा दिया गया उसमें लगान भी सम्मिलित किया गया था।

*१८-१९--सर्वश्री नाथूराम शिक्षक तथा दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

[११-४-६६ को प्रश्न संख्या २७-२८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

थाना लोनी कटरा की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*२०--सर्वश्री शिवनाथसिंह तथा पितईराम (जिला रायबरेली)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम मझपुर, थाना लोनी कटरा के किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल उप पुलिस मन्त्री जी से १५ दिसम्बर, सन् १९६५ को मिला था और थाने की पुलिस के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, प्रार्थना-पत्रों में अंकित शिकायतों की जांच करायी गयी किन्तु शिकायत सही नहीं पायी गयीं।

वाराणसी जिले में अपराध

*२१--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चौक, व भेलूपुर, जिला वाराणसी में सन् १९६३ से ३१ जनवरी, सन् १९६६ तक अलग-अलग चोरी, राहजनी, डकैती, कत्ल व छुरेबाजी की कितनी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई और उपरोक्त अपराधों में कितने में जांच हुई, कितने कोर्ट भेजे गये, कितनों में सजायें हुयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१ जनवरी, १९६३ से ३१-१-६६ तक थाना चौक व भेलूपुर, जिला वाराणसी में डकैती की कोई घटना नहीं हुई। चोरी, राहजनी, कत्ल तथा छुरेबाजी की घटनाओं के बारे में विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

*२२--श्री रामलखन--

क्या गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवधि के अपराधों में भेलपुर थानान्तर्गत संकट मोचन मन्दिर की चोरी व चौक थाने के पास घड़ी की दुकान से करीब एक लाख की घड़ियों की चोरी की जो रिपोर्ट हुई थी, उस में अब तक माल बरामद हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो उस में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

थाना भेलूपुर, वाराणसी के अन्तर्गत संकट मोचन मन्दिर से ७/८ फरवरी, ६४ की रात्रि में हुई चोरी से सम्बन्धित एक नेकलेस तथा चांदी का एक दीपक मन्दिर के पास ८-२-६४ को मिला था।

पुलिस ने विवेचना की और सी० आई० डी० से भी सहायता ली, परन्तु अभियुक्तों तथा अन्य माल का कोई पता न चला और अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

९/१० जनवरी, ६५ की रात्रि में इन्डियन वाच ऐण्ड ग्रामोफोन कम्पनी, थाना चौक के अन्तर्गत हुई घड़ियों की चोरी की घटना के सम्बन्ध में भी पुलिस ने विवेचना की और अभियुक्तों का पता लगाकर अलीगढ़ में इस चोरी के विषय में तलाशी ली, इस तलाशी में इसी प्रकार से हुई दिल्ली की चोरियों का माल तो बरामद हुआ परन्तु दुर्भाग्यवश वाराणसी की घड़ियों की चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। इस चोरी की विवेचना में सी० आई० डी० से भी सहायता ली गयी परन्तु सफलता की आशा न होने के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

शिकोहाबाद में मसीहा की मृत्यु की जांच

*२३-२४—श्री शुगनचन्द मजदूर, श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री भीमाप्रसाद तथा चौ० रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में २० सितम्बर, १९६५ ई० को थाने में पुलिस की मार से श्री मसीहा, पु० रमवा बाल्मीकी युवक मर गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस केस में पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या यह बात सही है कि श्री मसीहा के थाने में मर जाने पर उसकी लाश रात्रि में पुलिस द्वारा उस के घर की छत तोड़ कर और उस के गले में रस्सी बांध कर अन्दर छत में लटका दी गयी थी? ताकि देखने वाले यह समझें कि मसीहा ने खुदकुशी की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक २१-९-६५ को श्री मसीहा, पुत्र श्री रमुआ बाल्मीकी, निवासी शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी की लाश उस के घर में एक कमरे में रस्सी से लटकी पायी गयी। श्री मसीहा की मृत्यु के बारे में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच हो रही है। मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच पूरी होने पर ज्ञात होगा और तभी मामले में जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जायगी।

*२५—श्री शुगनचन्द मजदूर, श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री भीमाप्रसाद तथा चौ० रतीपाल—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि १५ सितम्बर, १९६५ को शिकोहाबाद की पुलिस ने चोरी के आरोप में ५ मुलजिमान को गिरफ्तार किया और उन्हें लगभग ६ दिन तक थाने में रक्खा तो क्या सभी मुलजिमान घटनास्थल पर पकड़े गये थे अथवा उनको घरों से बुलवाकर पकड़ा था और क्या पुलिस तलाशी में उन के घरों में से कुछ चोरी का माल निकला था?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक १५-९-६५ को थाना शिकोहाबाद की पुलिस ने चोरी के आरोप में न तो ५ मुलजिमानों को गिरफ्तार किया और न किसी को ६ दिन तक थाने पर रखा। शेष प्रश्न नहीं उठता।

काशी विश्वविद्यालय में हरिजनों को छात्रवृत्ति

*२६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के किन-किन हरिजन छात्रों को उन के विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में चालू वर्ष के लिए स्वीकार की गयी है तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रों को कितनी-कितनी धनराशि जनवरी, सन् १९६६ तक भुगतान की जा चुकी है?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२७—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

(प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।)

श्री आर० एन० मेहरा, जिला जज, मुरादाबाद के खिलाफ जांच

*२८—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री आर० एन० मेहरा, जिला जज, मुरादाबाद जो आज कल उसी ओहदे पर नैनीताल में हैं, के खिलाफ मुरादाबाद की जनता की तरफ विभिन्न प्रकार के

भ्रष्टाचार आदि के आरोप सन् १९६५ में लगाये गये थे और जिस पर हाईकोर्ट, इलाहाबाद के प्रशासनिक जज, श्री जगदीश सहाय ने जांच की ? तथा सितम्बर, १९६५ में प्रशासनिक जज ने सरकार को उचित कार्यवाही के लिये लिख दिया ? यदि हां, तो बताया जाय क्या उचित कार्यवाही अमल में लाई गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री आर० एन० मेहरा के बारे में हाई कोर्ट का पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने यह जांच सतर्कता अधिष ान के सुपुर्द कर दी। जांच जारी है।

जिला कारागार, रायबरेली

*२९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या कारागार मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, रायबरेली में कितने घंटे बन्दियों से कार्य लिया जाता है और कितना घंटा आराम करने को समय मिलता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बन्दियों से दिन में अधिकतम ८ घंटे काम लिया जाता है और शेष समय नित्य कर्म, आराम व खेल कूद के लिये मिलता है।

*३०—श्री भगवानदीन—

क्या कारागार मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, रायबरेली में अम्बरचर्खा में वेतन पाने वाले अध्यापकों को कितने दिन का रेमिशन दिया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

८ दिन प्रति माह के हिसाब से रेमिशन दिया जाता है।

हमीरपुर के न्यायालय में सरकारी खर्च पर चलने वाले मुकदमें

*३१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री महीपत सिंह, इन्चार्ज कोतवाली, फतेहपुर बनाम रघुबीर सहाय आदि धारा १८६ ताजीरात हिन्द के इस्तगासे से का जो मुकदमा ए० डी० एम० (जे) जिला हमीरपुर के न्यायालय में चल रहा है क्या उसकी पैरवी सन् १९६४ से सरकारी धन से की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मुकदमा राज्य की तरफ से दर्ज कराया गया था अतः इसकी पैरवी सरकारी धन से की जा रही है। श्री महीपत सिंह का व्यक्तिगत रूप से इस मुकदमें से कोई संबंध नहीं है।

*३२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या रघुबीर सहाय बनाम जवाहर लाल सब-इन्स्पेक्टर पुलिस, फतेहपुर धारा ३४१/३५२/५०० ताजीरात हिन्द थाना कोतवाली, फतेहपुर का मुकदमा ए० डी० एम० (जे०) जिला हमीरपुर के न्यायालय में चल रहा है और क्या मुल्जिम श्री जवाहर लाल की ओर से पैरवी सरकारी धन से १९६४ से की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित मुकदमा ए० डी० एम० (जे०) जिला हमीरपुर के न्यायालय में नहीं चल रहा है। इस समय यह मुकदमा सेशन्स जज बांदा के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि यह मुकदमा सब इंस्पेक्टर, श्री जवाहर लाल के विरुद्ध उनके सरकारी कर्तव्यों को

पूरा करने के सिलसिले में दायर किया गया था। अतः उनकी पैरवी सरकारी धन से की जा रही है।

*३३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त श्री जवाहर लाल, सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जार्ज लग जाने पर भी उन्हें अब तक धारा ३४१/३५२/५०० ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री जवाहर लाल, सब-इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

कानपुर में लक्ष्मीचन्द अग्रवाल फर्म की जांच

*३४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल नाम की फर्म जो लोहे की चादरों के लिये गत वर्ष पकड़ी गयी थी उसमें कौन-कौन सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का हाथ था ? क्या यह भी सही है कि सी० आई० डी०, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त मामले की रिपोर्ट दी उसमें जिम्मेदार अधिकारी भी दोषी पाये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस मामले की जांच सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को सौंप दी गई है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि कौन अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी हैं।

*३५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी जो सी० आई० डी० ने दोषी पाये उनको निलम्बित तथा उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

चूंकि मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच जारी है इसलिये किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के राज्य सी० आई० डी० द्वारा दोषी पाये जाने का व उस आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना संग्रामगढ़ तथा जहांगीराबाद के अन्तर्गत घूसखोरी व अष्टाचार की जांच

*३६—श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ दिसम्बर, १९६५ अथवा उसके आस-पास उन्हें यह सूचना मिली कि थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ के दरोगा वे रामसुमेर उर्फ सुम्मा, निवासी पूरे सूबेदार मजरे परसई थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ द्वारा १०० रु० जबरदस्ती घूस ली ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रार्थी का दिनांक १७-२-६६ का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को मिला था जिसमें उसने दरोगा जी के विरुद्ध १०० रु० घूस जबरदस्ती लेने का आरोप लगाया था। इसकी जांच की गई परन्तु आरोप निराधार पाया गया।

*३७—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जहांगीराबाद की ए० तथा एफ० सी० ओ० वाई० १० ए० पी० ए० सी० में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के संबंध में कोई शिकायत दिनांक ८ फरवरी, १९६६ को अथवा उसके आस-पास मिली ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

पी० ए० सी० जहांगीराबाद जिला बाराबंकी की एक कम्पनी के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतों के बारे में एक गुमनाम प्रार्थना पत्र गृह मंत्री को फरवरी, १९६६ के प्रथम पक्ष में प्राप्त हुआ था। यह डी० आई० जी०, पी० ए० सी० के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था डी० आई० जी० पी० ए० सी० को भी ८--२-६६ को एक इसी आशय का गुमनाम प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। मामले की जांच से आरोप निराधार पाये गये ।

बुन्देलखण्ड में सैनिक स्कूल खोलने पर विचार

*३८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि बुन्देलखंड में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ? तो वह कब तक खुल जावेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में पूछ तांछ की जा रही है । अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

बरसाना थाने में श्रीमती रेवती को पीटने की शिकायत

*३९—श्री लखीसिंह—

क्या यह बात सही है कि मथुरा जिले के ग्राम व थाना बरसाना की श्रीमती रेवती, पत्नी चन्दा को २४ फरवरी, १९६५ को थाने पर ले जाकर इतनी बुरी तरह मारा की वह बेहोश हो गई और उसके पेट में बच्चा था उस पर भी असर पड़ा है और गर्भपात हो जाने की आशंका है ? यदि हां, तो सरकार स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोन्दवसिंह—

दिनांक २५-२-६६ को श्रीमती रेवती और उसके पति तथा पुत्र ने अपने एक पड़ोसी से कुछ हाथापाई की और मारपीट करने पर आमादा थे। शांति भंग होने की आशंका से पुलिस के सिपाहियों ने जो गश्त ड्यूटी पर थे उन्हें धारा १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। श्रीमती रेवती के हाथापाई में तथा बन्दी करने के समय ३ अत्यन्त साधारण चोटें आई। श्रीमती रेवती को पुलिस द्वारा थाने ला कर मारा पीटा नहीं गया। चूंकि शांति बनाये रखने के लिये पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अतः उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*४०—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त महिला को थाने पर किस अभियोग में ले जाया गया था और उस अभियोग में किस-किस व्यक्ति का चालान किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमती रेवती को धारा १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत थाने ले जाया गया। श्रीमती रेवती, उनके पति चन्दा तथा पुत्र, कन्हैया का चालान धारा १५१।१०७।११७ भारतीय दंड विधि संग्रह के अन्तर्गत किया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम

*४१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, सममाज कल्याण मंत्री थे तब मु० रफी खां, सदस्य विधान सभा ने यतीम बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिये कोई सवाल किया था ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

*४२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या यह सवाल १६वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ पर था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इस सवाल पर अब गौर करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। इसका उत्तर भी दिया जा चुका था।

*४३-४५—श्री जसराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

*४६-४७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

निगोही थाना इंचार्ज श्री तिलकराम के विरुद्ध जांच

*४८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में निगोही थाने के इन्चार्ज श्री तिलक राम के विरुद्ध कोई शिकायत १९६५ में गृह मंत्री जी को दी गई थी :

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां।

*४९—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि गृह मंत्री जी ने उस शिकायत पर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई थी ? यदि हां तो जांच से क्या पता चला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आरोपों की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

झांसी पुलिस के सिपाहियों की डकैती में गिरफ्तारी

*५०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९६४ व ६५ में झांसी पुलिस लाइन के कुछ आर्म गार्ड के सिपाही सरकारी बन्दूकों सहित डकैती डालने के अभियोग में गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो उक्त सिपाहियो के नाम व पद क्या थे व उनकी सर्विस पुलिस विभाग में कब से थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सन् १९६४ में झांसी पुलिस के कुछ सिपाही डकैती के अभियोग में गिरफ्तार किये गये लेकिन उनके पास गिरफ्तारी के समय सरकारी बन्दूकें नहीं थीं। उनके नाम व पद तथा पुलिस विभाग में सरविस की सूचनायें संलग्न हैं ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

अकबरपुर थाने में अपराध

*५१---श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के थाना अकबरपुर में ५ फरवरी, १९६६ से २० फरवरी, १९६६ तक कितनी चोरियां, डाके, हत्यायें तथा राहजनी की घटनायें घटीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

फैजाबाद के थाना अकबरपुर के क्षेत्र में ५ फरवरी, ६६ से २० फरवरी ६६ तक एक चोरी तथा तीन डकैती की घटनायें हुईं, हत्या तथा राहजनी की कोई घटना नहीं हुई।

*५२-५४---श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

धानापुर थाना में हरिजनों की पिटाई

*५५-श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के थाना धानापुर के ग्राम कवई पहाड़पुर में हरिजनों को दिनांक २९ जनवरी, १९६६ को भूतपूर्व जमींदारों ने मारपीट की है ? यदि हां, तो क्या उसमें एक व्यक्ति अचानक में मर गया है और क्या अब तक इस संबंध में सरकार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक २९-१-६६ को इस प्रकार की घटना हुई जिसके फलस्वरूप बाद में चोटों के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट लगाई गई। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जलालाबाद थाने में औरत के शीलहरण की जांच

*५६---सर्वश्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), माधवप्रसाद त्रिपाठी, जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा नाथूराम शक्षिक---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १ फरवरी, १९६६ को जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाने के ग्राम चौकी आजमपुर में पुलिस कप्तान तथा कई दारोगाओं ने डकैतों का पीछा करते हुये एक दिल्ली की महिला बरामद की और उसके बयान हाकिम परगना, जलालाबाद के यहां हुये जिसमें शीलहरण की बात बताई है ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक १-२-६६ को एक पुलिस दल, जिसमें पुलिस कप्तान तो नहीं किन्तु दरोगा और सिपाही थे कुछ डाकुओं की तलाश में जिला शाहांहजपुर के जलालाबाद थाने के ग्राम चौकी आजमपुर पहुंचा। वहां एक घर से निकल कर एक औरत पुलिस दल की शरण आई और अपने शील हरण की बात कहीं। उसने अपना बयान हाकिम परगना जलालाबाद के यहां भी दिया और यह भी बताया कि उसका पति दिल्ली में नौकर है।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

उक्त स्त्री द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एक मुकदमा धारा ३६६/३६७/३४२/३७९ भा० दं० वि० उसी दिन (१-२-६६) को थाना जलालाबाद में अंकित किया गया। मामले की जांच जारी है।

*५७--सर्वश्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, माधव प्रसाद त्रिपाठी, जगन्नाथ राव तथा श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या यह सही है कि गृह मंत्री ने शीलहरण का मुकदमा अपने आदेश से रुकवा दिया है जिससे कि जनता में बहुत ही क्षोभ है? यदि हां, तो किस आधार पर यह केस रोका गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी नहीं, अन्य प्रश्न नहीं उठता।

कोल असला परगना में मुसहरों का पुनर्वासन

*५८--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तहसील के परगना पन्द्रह, कोल असला में बसे करवलों मुसहरो (अपराधशील) के पुनर्वासन के संबंध में मेरा एक पत्र ३१ मार्च, १९६५ को उन्हें मिला है। यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

*५९-६०--श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६१--श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

दुर्गाप्रसाद तथा ए० पी० सिंह के विरुद्ध जांच करने में पुलिस की असावधानी

*६२--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक १९ फरवरी, १९६६ को इलाहाबाद के सिविल ऐंड सेशन जज, श्री एन० एन० चड्ढा ने जिन सर्वश्री दुर्गा प्रसाद एवं एन० पी० सिंह को आजीवन कारावास का दंड दिया, उनके इस केस में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी? यदि हां, तो सबंधित पुलिस की अकर्मण्यता के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--

श्री एन० एन० चड्ढा, सेशन जज इलाहाबाद ने दिनांक १९-२-६६ को जिस कत्ल के मामले में दुर्गा प्रसाद तथा एन० पी० सिंह नामक, अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड दिया उसमें पहले जांच करने वाले कर्मचारी ने अंतिम रिपोर्ट लगाई थी किन्तु वह रिपोर्ट न्यायालय नहीं भेजी गई। संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जांच हो रही है।

शिशु सदन

*६३--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शिशु सदन हैं? और कहां-कहां?

डाक्टर सीताराम—

तीन ।

१—राजकीय बाल सदन, मेरठ ।

२—राजकीय अनाथ एवं परित्यक्त बालकों का सदन,आगरा।

३—राजकीय शिशु सदन, कानपुर ।

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन शिशु सदनों में कितने–कितने बच्चे हैं। और प्रत्येक बच्चे पर क्या-क्या व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम—

उपर्युक्त सदनों में बच्चों की संख्या १ मार्च, १९६६ को क्रमशः १००, ३९ और ४० थी। मेरठ तथा आगरा के शिशु सदन जो आवासीय '(रेजिडेन्शल) संस्थायें हैं, में प्रति बच्चे पर ३५) रु० माहवार व्यय होता है। कानपुरका शिशु सदन जो आवास रहित (नान रेजिडेन्शल) है उसमें बच्चों के अल्पाहार तथा मनोरंजन पर प्रति शिशु ९ रु० माहवार व्यय होता है।

*६५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी कृपा कर यह भी बतायेंगे कि इन बच्चों को गोद भी दिया जाता है ? यदि हां, तो कब तक कितने बच्चे गोद दिये गये ? और यदि नहीं दिये गये तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। कानूनी अड़चनों से ऐसा करना संभव नहीं है।

थानाध्यक्ष, जी० आर० पी०, बांदा को श्रीमती शान्ती का कथित पत्र

*६६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि थानाध्यक्ष जी० आर० पी०, बांदा को पिछड़ी जाति की एक अबला श्रीमती शान्ती का इस आशय का कोई रजिस्टर्ड पत्र माह फरवरी, १९६६ में प्राप्त हुआ है कि इटारा रेलवे स्टेशन पर कथित आततायी व्यक्तियों के द्वारा उसे दिनांक १७ फरवरी, १९६६ को ट्रेन से जबरन खींच कर उसके साथ जघन्य कृत्य करने के पश्चात् लूटमार की गई ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया तथा पुलिस की जांच में उसके क्या परिणाम निकले और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

थानाध्यक्ष जी० आर० पी० बांदा को श्रीमती शांति का कोई रजिस्टर्ड पत्र माह फरवरी, १९६६ में नहीं प्राप्त हुआ और न कथित घटना के बारे में कोई रिपोर्ट या सूचना ही प्राप्त हुई। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*६७—श्री हरीकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

कम्युनिस्ट नजरबन्दों के सम्बन्ध में विधायकों का शिष्टमण्डल

*६८—सर्वश्री विजयपाल सिंह,(जिला मुजफ्फरनगर), झारखंडे राय, भीखालाल, रघ्वीर राम (जिला गाजीपुर), तथा सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी गत सप्ताह इसी मास फरवरी, १९६६ में लगभग ७० मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के जेल में होने वाले अनिश्चित काल तक अनशन के सिल-

लिले में विधान सभा के बिरोधी दलों के नेताओं का एक शिष्ट मंडल उनसे मिला था, और उन व्यक्तियों की रिहाई जेल सुविधाओं, बाहर उनके परिवार वालों को समुचित भत्ता दिये जाने के बारे में निवेदन किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*६९—सर्वश्री विजयपालसिंह, झारखंडेराय, भीखालाल, रघुवीर राम तथा सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विरोधी नेताओं के अग्रहों पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के मामलों पर सरकार समय समय पर विचार करती है तथा उन व्यक्तियों को जिनको नजरबन्द रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है, रिहा कर दिया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबन्द रखा जाता है जिनको इस तरह रखना आवश्यक समझा जाता है। गत फरवरी में सरकार ने चार नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश जारी किये थे। नजरबन्द व्यक्तियों को पैरोल पर भी रिहा किया जाता है।

नजरबन्द व्यक्तियों को सुविधायें तथा उनके आश्रितों को भत्ता यू० पी० सिक्योरिटी प्रिजनर्स रूल्स, १९५० के अनुसार दिया जाता है। नजरबन्दों को सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधायें देने का भी निर्णय किया है और आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं :

(१) नजरबन्दों के आश्रितों को दिया जाने वाला पारिवारिक भत्ता ५० रु० मासिक से कम न होगा।

(२) जो नजरबन्द व्यक्ति जेल के कपड़े नहीं पहनना चाहता और अपने लिये निजी कपड़ों का इंतजाम नहीं कर सकता है उसकी नाप के मुताबिक कपड़े बना दिये जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि कपड़ों की कीमत निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होगी।

(३) प्रत्येक नजरबन्द व्यक्ति, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, वर्तमान नियमों के अधीन, प्रति हफ्ता में एक बार अपने संबंधियों से मुलाकत कर सकेगा। मुलाकात के लिये ५ व्यक्ति तक जा सकेंगे, जिनमें १२ साल से नीचे के बच्चों की छूट होगी।

(४) व्यापार या व्यवसाय के मामलों के या संबंधियों के बीमारी के सिलसिले में विशेष मुलाकात की इजाजत भी संबंधित जिलाधीश दे सकेगा। ऐसी मुलाकात में २ व्यक्ति से ज्यादा न जा सकेंगे।

(५) प्रत्येक नजरबन्द व्यक्ति को प्रचलित प्रतिबन्धों के अधीन हफ्ते में चार चिट्ठियां भेजने की इजाजत होगी।

(६) नजरबन्द व्यक्ति को रात में बन्द नहीं किया जायगा जब तक कि इस बात की आशंका न हो कि वह भागने की कोशिश कर सकता है।

*७०–७१—सर्वश्री रामकिशोर वर्मा, ख्याली राम (जिला लखनऊ), रघुवीर राम तथा रघुवीर सहाय कैथवार—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

रायबरेली जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*७३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि इस समय रायबरेली जिले में कितनी एप्लीकेशन बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेंसों की एक माह से ज्यादा से पड़ी हुई है, जिनका कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

राय बरेली जिले में इस समय ५८ प्रार्थना पत्र ऐसे हैं जो एक माह से पूर्व प्राप्त हुये हैं तथा जिन पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

लखनऊ में राजा उदयराज सिंह की कोठी में पुलिस क्लब

*७४—सर्वश्री जगन्नाथ राव, रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर) तथा नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री को इसकी सूचना है कि लखनऊ में शिवाजी मार्ग पर राजा उदयराज सिंह की कोठी पर २८ फरवरी, १९६६ को लगभग ५०–६० सिपाहियों ने हमला करके उनका सामान, आदि बाहर फेंक दिया तथा परिवार को भी अपमानित किया ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

शिवाजी मार्ग पर स्थित राजा उदय राजसिंह की कोठी २८–२–६६ को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पुलिस क्लब के लिये 'एलाट' हुई थी। यह कोठी उसी तारीख को खाली हुई थी। पुलिस क्लब को एलाट होने पर उसी दिन कोठी पर इंस्पेक्टर थाना कैसरबाग जो क्लब के सेक्रेटरी है ने कब्जा कर लिया था। कब्जा लेने में न तो किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई और न किसी का अपमान किया गया।

श्री श्रीराम बट्टा पर झांसी की अदालत में गबन का मुकदमा

*७५—सर्वश्री नेकराम शर्मा, काशीनाथ मिश्र, रियासत हुसैन, ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहानरपुर), शराफत हुसैन रिजवी, (जिला मुराबाद), केशरी प्रसाद पांडेय, कमला सिंह यादव, मैनेजर सिंह, (जिला बलिया), हरीशकुमार गंगवार तथा उग्रसेन, लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी में ११ अक्तूबर सन् १९६५ को भारतीय सैनिकों के कल्याण-हेतु कोई चैरिटी शो एलाइड सिनेमा झांसी में किसी एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया ? यदि हां, तो उसके लिये मनोरंजन कर भी क्या माफ कर दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

११ अक्तूबर, १९६५ को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये एलाइड सिनेमा झांसी में श्री श्रीराम बट्टा ने प्रधान मंत्री, शहर युवक कांग्रेस, झांसी के हैसियत से एक चैरिटी शो आयोजित किया था। यह शो श्री बट्टा ने ९ अक्तूबर, १९६५ को करने की आज्ञा ली थी और उसे मनोरंजन कर से मुक्त भी करा दिया था।

*७६—सर्वश्री नेकराम शर्मा, काशीनाथ मिश्र, रियासत हुसैन, ब्रह्मदत्त मायर शराफत हुसैन रिजवी, केशरी प्रसाद पांडेय, कमलासिंह यादव, मैनेजर सिंह, उग्रसेन, हरीशकुमार गंगवार तथा लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उपरोक्त भारतीय सैनिकों के नाम जो चैरिटि शो किया गया, उसमें हजारों रूपये का गबन, सरकार को हिसाब न देना

सर्वश्री नेकराम शर्मा, काशीनाथ मिश्र, रियासत हुसैन, ब्रह्मदत्त मायर, शराफत हुसैन रिजवी, केशरीप्रसाद पांडेय, कमलासिंह, मैनेजरसिंह उग्रसेन, हरीश कुमार गंगवार तथा श्री लखपत राम शर्मा—

और मनोरंजन कर का हिसाब न देना भी शामिल है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा उक्त आयोजन किया गया उसके विरुद्ध क्या-क्या कानूनी कार्यवाही की गई ? उसका नाम व उसका पद क्या है ? क्या उपरोक्त चैरिटी शो किये जाने में संयोजक द्वारा जिला अधिकरियों को कोई धोखा दिये जाने की घटना घटित हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चैरिटी शो का हिसाब निर्धारित अवधि के अन्दर न देने के कारण तथा नियत तिथि की अपेक्षा अन्य तिथि पर बिना किसी कारण बतलाये हुये शो करने के लिये शो के आयोजक, श्री श्रीराम बट्टा के विरुद्ध सिनेमा मजिस्ट्रेट, झांसी के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है। उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। श्री श्रीराम बट्टा ने उक्त चैरिटी शो करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर प्रधान मंत्री, शहर युवक कांग्रेस, झांसी की हैसितय से किया था। श्री बटटा द्वारा उपर्युक्त लिखित कानूनी उल्लंघनों के अतिरिक्त और किसी प्रकार के धोखा देने की घटना जिलाधिकारियों की जानकारी में नहीं आई थी और न ही उसको किसी अधिकारी द्वारा जांच करने का प्रश्न उठा। परन्तु अभी हाल ही में माननीय सदस्य, श्री रियासत हुसैन ने सरकार के पास श्री बटटा के विरुद्ध इस मामले में एक शिकायत भेजी है जिसकी जांच कराई जा रही है और वास्तविक स्थिति से उनको यथासमय अवगत कराया जायगा ।

अलीगंज तहसील में बन्दूक के लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र

*७७—सर्वश्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), बेदराम तथा गंगा प्रसाद वर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अलीगंज, जिला एटा के निवासियों ने १ जनवरी, १९६५ से १ मार्च, १९६६ तक कितने ऐसे बन्दूकों के लाइसेन्सों के प्रार्थी हैं जिनको जिला पुलिस, एटा ने लाइसेन्स प्रदान करने की संस्तुति की थी परन्तु फिर भी उनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये अथवा दाखिल दफ्तर कर दिये गये और क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त अवधि में तहसील अलीगंज, जिला एटा के निवासियों के बन्दूक के लाइसेंसों के ऐसे ३१ प्रार्थना पत्र थे जिनपर जिला पुलिस ने विशेष आपत्ति प्रकट नही की थी और इनमें से दो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये और २९ दाखिल दफतर कर दिये गये। इसके मुख्य कारण थे प्रार्थियों की अनुपयुक्ता, अस्त्र की आवश्यकता न पाया जाना, प्रार्थना पत्रों में त्रुटियां आदि ।

*७८—सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, बेदराम तथा गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या गृह मंत्री ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि तहसील अलीगंज, जिला एटा के जितने भी लाइसेन्स के प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र १ जनवरी, १९६५ से १ मार्च, १९६६ तक जिला पुलिस की संस्तुति होने पर भी अस्वीकृत किये गये हैं या दाखिल दफ्तर किये गये हों ? यदि किसी के चरित्र के विरुद्ध अन्य कोई विपरीत बात उपलब्ध न हो तो सबके प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत करके उन्हें जिला अधिकारियों द्वारा लाइसेन्स लेने हेतु सूचित किया जावे ? यदि हां, तो किन-किन को सूचित करने की व्यवस्था की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिन प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत या दाखिल दफ्तर किये गये उनको यथोचित सूचना दी गई। नियमानुसार जिलाधीश के आदेश आयुक्त द्वारा अपील में ही बदले जा सकते हैं। अतः शासन की ओर से किसी व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद, परगनाधीश, पुवायां के विरुद्ध जांच

*७९—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा वि क्रम शाह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् १९६५ में जिला शाहजहांपुर के परगनाधीश, पुवायां तथा नायब तहसीलदार और कुछ कानूनगो के खिलाफ विजिलेंस इंस्पेक्टर द्वारा कुछ आरोपों की जो कि भ्रष्टाचार तथा रिश्वत खोरी के थे, जांच की गई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और जांच से क्या सिद्ध हुआ और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा केवल श्री गंगाप्रसाद, भूतपूर्व परगनाधीश, पुवायां के विरुद्ध जांच हो रही है। इससे अधिक सूचना देना जनहित में उचित न होगा।

सदरपुर के दरोगा के विरुद्ध आरोप

*८०—श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि थानेदार थाना सदरपुर, जिला सीतापुर के खिलाफ ग्राम बलेहरी से चोरी से हरे पेड़ कटवाने की शिकायत जिला पुलिस कप्तान को अक्तूबर, नवम्बर, १९६५ में दी गई थी, यदि हां, तो क्या कार्यवाही उस पर अभी तक की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ग्राम बेलहरी, जिला सीतापुर के श्री सुरेन्द्र सिंह का इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के द्वारा सितम्बर, १९६५ में प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में अभी जांच की जा रही है।

मदुरामऊ निवासी, श्री सूरज प्रताप को राजनीतिक पेन्शन देने की सिफारिश

*८१—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार श्री सूरज प्रताप उर्फ बाजी राव पेशवा, निवासी ग्राम मदुरामऊ, जिला प्रतापगढ़ को जिन्हें मुन्सिफ न्यायालय कुंडा, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक ९ जनवरी, १९६३ को वाद नं० १८२, सन् १९६१ में १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नाना साह पेशवा का वंशज घोषित किया है, उन्हें राजनीतिक पीड़ित पेंशन देने अथवा भारत सरकार से दिलवाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कथित बाद के फैसले में मुन्सिफ, न्यायालय कुन्डा ने भी सूरज प्रताप को स्वर्गीय नाना साहब पेशबा का बंशज घोषित नहीं किया है।

भारत सरकार से इस सम्बन्ध में हाल ही में लिखा पढ़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि स्वर्गीय नाना साहब का कोई उत्तराधिकारी भी है।

ऐसी स्थिति में श्री सूरज प्रताप को राजनीतिक पेन्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

*८२—श्री बालोजी अग्रवाल—

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विकास खण्ड बर्डपुर में ग्राम लक्ष्मियों का हटाया जाना

*८३—श्री चन्द्रपाल रावत तथा (जिला बस्ती) श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खंड बर्डपुर नं० ९ में कौन-कौन ग्राम लक्ष्मियां अक्तूबर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५ के बीच नौकरी से निकाली गईं ?

डाक्टर सीताराम—

दो ग्राम लक्ष्मी श्रीमती लक्खी देवी तथा श्रीमती गुलाब देवी उक्त समय में निकाली गईं ।

*८४—श्री चन्द्रपाल तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या समाजकल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित किसी ग्राम लक्ष्मी ने इस आशा का आवेदन-पत्र नौकरी से निकाले जाने के बाद विकास खंड अधिकारी के द्वारा उसके साथ किये गये दुर्व्यवहार संबंधित सरकार को दी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*८५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[९वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

खाद्य उत्पादन के लिए प्रयास

*८६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सत्य है कि खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने मंत्रियों को नियोजित (तैनात) किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत पाकिस्तान युद्ध के शीघ्र बाद जनता का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों, विशेषकर अधिक खाद्य उत्पादन की ओर आकर्षित करने के लिये, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रदेश का दौरा करें। इस ध्येय से कि पूरे प्रदेश का दौरा शीघ्र पूरा हो जाय, सदयों से यह कहा गया कि अपने सामान्य दौरे के अतिरिक्त कुछ जिलों का दौरा अवश्य करें ।

*८७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६५ में उपरोक्त मंत्रियों ने खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या-क्या प्रयास किये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसा अनुमान है कि इससे जनता का मनोबल बनाये रखने में काफी सहायता मिली है ।

*८८—श्री बालोजी अग्रवाल—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

बैजोही के दारोगा के खिलाफ शिकायतें

१—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिला के थाना बैजोही के वर्तमान दरोगा के खिलाफ कई दरख्वास्तें जनता की ओर से पुलिस कप्तान, मुरादाबाद, जिलाधीश, मुरादाबाद के यहां १ नवम्बर, १९६५ से आज तक के बीच में पड़ी हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मुरादाबाद जिला के थाना बहजोई के वर्तमान दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के यहां १ नवम्बर ६५ से २६-३६६ तक सात दरख्वास्तें प्राप्त हुईं। इनकी जांच कराने पर उनमें लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

२—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

[अब शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ में किए गए शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन को भेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३४-४३७ पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हुं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १० सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २४ मार्च, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का ११वां अधिनियम बन गया।

वाराणसी जिले में अनावर्षण से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये थे। उनमें से माननीय रामचन्द्र विकल की वाराणसी जिले की सूचना इस प्रकार है तहसील ज्ञानपुर के ब्लाक भदोही को छोड़कर ब्लाक ज्ञानपुर, सुरियावां, डीघ तथा औरई ब्लाकों में अनावर्षण के कारण समस्त खरीफ व रबी की फसल नष्ट हो गयी है, जिसके कारण उक्त क्षेत्रों में भुखमरी तथा पीने के पानी का अकाल तथा पशुओं को पीने के पानी व चारे का नितान्त अकाल है। १ रुपये का पांच सेर भी भूसा नहीं मिल रहा है। सरकारी नलकूप भी सूख गये हैं। मैं स्वयं वहां का दौरा करके आ रहा हूं। ऐसी दशा में जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। बड़े खेद की बात है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता करना तो

[श्री अध्यक्ष]

दूर रहा लगान व आबपाशो की वसूली सख्ती से की जा रही है, जिसके कारण जनता में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अत्यंत भयावह स्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" मैं इसको माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। जो वक्तव्य वह देंगे उसमें इसको भी सम्मिलित कर लें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह ५ मई को होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

मुझे यह निवेदन करना है कि वहां रबी का बीज नष्ट हो गया है, मवेशी के लिये भूसा नहीं, किसान के लिये खाना नहीं और लगान किसानों से वसूल जबरदस्ती की जा रही है, इसलिये मैं चाहता हूं कि लगान का कार्यवाही स्थगित हो जाय। आप सरकार को इसके लिये विवश कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही के लिये इसको भेज रहा हूं।

विधान परिषद्, सदस्य, डाक्टर ए० जे० फरीदी द्वारा लिखित पुस्तक से साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी कि यह गम्भीर मामला है और अगर हम लोगों को मेज पर सदन में इस किताबे के ऐक्स्ट्रेक्ट रखे जाते तो कम से कम कुछ मालूम होता कि उसमें क्या लिखा था और सरकार उसका क्या जवाब दे रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन, अगर हम आपकी बात मान लें तो काम चलाना मुश्किल हो जायगा क्योंकि कोई भी सदस्य जो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना देंगे तो इस मांग के अनुसार ४३१ सदस्यों को सब सूचनाओं की प्रतिलिपि देनी पड़ेगी। यह संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से वक्तव्य मांगा था वह सुन लीजिये। आप की मांग सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सकती, हमें भी कठिनाई है।

श्री रियासत हुसैन—

यह किसी वाकये के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो पूरे प्रदेश की नीति से ताल्लुक रखती है। इसमें यह आप कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

विधान परिषद्, सदस्य, डा० ए०जे० फरीदी द्वारा लिखित "ताशकन्द डिक्लेरेशन ऐन्ड दि प्राबलम आफ इन्डो पाक माइनारिटीज" नामक पुस्तक सरकार को प्राप्त हुई है और यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मने अपने नियम ५२ के प्रस्ताव में ३ उदाहरण उद्धृत किये थे। प्रथम तो यह जिसमें उन्होंने इस बात को उकसाया था कि मुसलिम वर्ग को इतने दिनों से सताया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि भारत में ४५ करोड़ निवासी हैं यह यहां के नागरिक हैं ऐसा कहना नानसेन्स है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं है कि क्या मंत्री जी को इन तथ्यों के बारे में निश्चि रूप से जानकारी है और क्या यह सत्य है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोबिन्दसिंह)---

प्रश्न तो मैंने आपका पूरा समझा नहीं। पुस्तक सरकार के पास है। सरकार उस पर विचार कर रही है। बस मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---

उनका प्रश्न यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करते हुये उन्होंने विशेष उल्लेखों की ओर ध्यान दिलाया जो उक्त पुस्तक में मौजूद हैं। अब वह यह पूछ रहे हैं कि क्या उन उल्लेखों के संबंध में सरकार ने अपना कोई मत निश्चित किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो उस पुस्तक में लिखा गया है, वही सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तथ्यों के होते हुये भी अभी तक सरकार ने उसकी जब्ती की कार्यवाही नहीं की है तो इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मने उत्तर दे दिया कि यही सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं। उस किताब पर ऐक्शन लिया जा सकता है या नहीं और कानूनन यह हो सकता है या नहीं, यह सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इसकी लाखों की संख्या में प्रतियां मुद्रित होकर इस समय इस प्रदेश के विभिन्न भागों मे वितरित हो चुकी हैं, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहें हैं तो इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी।

श्री हरगोविन्दसिंह---

इतनी सूचना तो हमारे पास है कि इस किताब का वितरण हुआ है, लेकिन कितनी संख्या में हुआ और कहां-कहां पर हुआ यह मैं नहीं कह सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुस्तक के जिन आधारों को लेकर सरकार छानबीन कर रही है उन आधारों में ऐसी बातें हैं या माइनारिटी के बारे में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जिससे उनकी भावना को उभारा जा सके और उनकी साम्प्रदायिक भावना को फैलाया जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह तो आप राय की बात पूछ रहें हैं। मैं राय की बात नहीं बतला सकता।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

किस समय और किस तिथि को यह पुस्तक प्रकाशित हुई और सरकार की जानकारी में पहली बार यह बात कब आई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं आपको बतलाऊं कि यह इलाहाबाद में बांटी गई आल इंडिया मुशावरात मजलिस मुसलमानों की हो रही थी उसमें २६, २७ मार्च, १९६६ को। इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने गवर्नमेंट को भेजा २९ मार्च, १९६६ को। इन्टैलिजेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसको १२ अप्रैल, १९६६ को गवर्नमेंन्ट के पास भेजा। इस पर छानबीन १३ अप्रैल, १९६६ को शुरू हुई है। अब इसको ला डिपार्टमेंट देख रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस किताब की पूरी जांच करके जो कुछ इसमें सुझाव है या जो कुछ इसमें लिखा गया है उन सब को लेकर और अपनी राय इसमें शामिल करके कोई रिपोर्ट बनाकर सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस किताब में लिखे हुये उस पैराग्राफ की तरफ गया है जिसमें यह लिखा है :

"The Indo-Pakistan war of September, 1965 should not be looked upon as an accident or an isolated affair. This war was the result of centuries of Hindu-Muslim tussle. The partition of India worsened their feellings."

क्या यह बात यह स्पष्ट नहीं करती है कि यह पुस्तक केवल हिन्दू-मुसलिम भावना को जाग्रत करके देश में दंगा खड़ा करने का प्रयत्न मात्र है ? यदि ऐसा है तो सरकार ने इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने स्वयं इस किताब को नहीं पढ़ा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि इस किताब में यह भी है कि काश्मीर का प्रश्न अनिर्णीत है और हिन्दू-मुश्लिम प्रश्न भी अनिर्णीत है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने तो उत्तर दिया कि मैंने पढ़ा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वे आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछ रहे हैं, उनका मतलब यह है कि सरकार का ध्यान उस ओर गया है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बताया कि वह सरकार के विचाराधीन है। ला डिपार्टमेंट उसको देख रहा है कि वह किताब आपत्तिजनक है या नहीं और यदि है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है। यह सब मामला विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

जो पत्र लिखा गया है उसकी प्रतिलिपि हमें मिल जाय.....

श्री अध्यक्ष---

नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैं माननीय मंत्री जी को पुस्तक दे दूं, वे उसे पढ़ लें.....

श्री अध्यक्ष---

वह उनके पास है।

श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद)---

इसकी खबर क्या मंत्री जीको इसके पहले भी किसी सोर्स से लगी थी, या सी० आई० डी० आदि की रिपोर्ट कोई इसके खिलाफ आयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सी० आई० डी० से कब सूचना आयी या क्या हुआ, यह मैं बतला चुका हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी उक्त लेखक तथा प्रकाशक के विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि लेखक महोदय का संबंध पूर्व में मुस्लिम लीग से रहा है और पुलिस को सस्पीशन के आधार पर एक बार इन्टरोगेट भी करना पड़ा है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैं बारबार कह चुका हूं कि यह विधाराधीन है। यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर यह पुस्तक आपत्तिजनक हुई तो इस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

इस बात की सम्भावना है कि ला विभाग पर लेखक महोदय अपना कुछ प्रभाव डालकर वहां से उसे यह लिखवा दें कि वह पुस्तक आपत्तिजनक नहीं है, तो क्या मंत्री जी इसके बारे में एडवोकेट जनरल से राय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

एडवोकेट जनरल भी ला विभाग का ही एक अंग है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मैं फिर अनुरोध करूंगा कि उस पुस्तक की प्रति हमको दे दी जाय तो अच्छा हो ताकि हम उसे पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन जी, अगर हमारे काबू की यह बात होगी तो हम प्रयत्न करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, माननीय सदस्य रियासत हुसैन के पास यह पुस्तक है। अगर इस भावना के विरुद्ध कोई लाइन हो तो कृपा करके वे उद्धरण पढ़कर सुनावें।

श्री अध्यक्ष—

यह जगह किसी प्रचार व प्रदर्शन के लिये नहीं है। यहां सवाल और जवाब होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर हमारे अधिकार में ऐसी बात होती तो हम उस किताब को यहां वितरित करवा देते। अब खतम हो गया वह विषय।

स्वतन्त्र पार्टी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दी गई मान्यता का अस्थायी निलम्बन

श्री अध्यक्ष—

मुझे इस आदरणीय सदन को एक सूचना देनी है स्वतंत्र पार्टी के निर्वाचन के संबंध में। मैंने १२ मार्च के बाद एक दिन इस आदरणीय सदन को सूचना दी थी कि उस दल का नया निर्वाचन हुआ है और उस पार्टी के कुछ आदरणीय सदस्य विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुये हैं। इसके उपरान्त ३१ मार्च, ६६ का लिखा हुआ एक पत्र, श्री एन० जी० रंगा, प्रेसीडेंट स्वतंत्र पार्टी का आया है जिसके द्वारा यह प्रतीत होता है कि जो कार्यवाही इस आरणीय सदन के उस पार्टी के माननीय सदस्यों ने की है उसको उस पार्टी के केन्द्रीय संसदीय मंडल ने स्वीकार नहीं किया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही ८ सदस्यों के विरुद्ध की है जिनमें नाम इस प्रकार हैं— माननीय चैतन्य राज सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री विजय सिंह, श्री मंगल प्रसाद, श्री चिरंजी लाल, श्री रामसिंह, श्री बलवीर सिंह और श्री राम अधार कनौजिया।

अब इन आदरणीय सदस्यों में से मैंने कुछ को बुलाया था माननीय कनौजिया जी को, जो उसके नेता थे, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुये लेकिन माननीय चैतन्यराज सिंह जो उसके मंत्री हैं, वे आये और माननीय विजयसिंह आये। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न के संबंध में हम कल तक आपको स्पष्टीकरण दे देंगे लेकिन उन्होंने उसे नहीं दिया। परिणामस्वरूप अब मेरे पास केवल यह सूचना है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे पास कोई सुनिश्चित और असंदिग्ध सूचना किसी पार्टी के केन्द्रीय संसदीय मंडल से आ जाय कि अमुक व्यक्ति अब हमारे दल का प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं कर सकता, तो उसको मानने के लिये हम बाध्य इस आधार पर है कि जिन आधार पर हम विभिन्न पार्टियों को मान्यता देते हैं। उनमें से एक प्रमुख आधार यह है कि वह पार्टी सदन के अन्दर और सदन के बाहर संगठनात्मक रूप में काम करती हो। उनका एक संगठन आर्गनाइजेशन हो, उनका अनुशासन हो और उनका काम अन्दर और बाहर सदन के होता रहे। तो अब अगर कोई विशेष व्यक्ति केन्द्रीय संसदीय मंडल द्वारा निलम्बित हो जाता है और वह किसी विशेष दल का सदस्य बाहर नहीं माना जाता तो मैं समझता हूं कि मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं भी उस काल तक के लिये ऐसे सदस्यों को निलम्बित समझूं जिस काल तक के लिये केन्द्रीय संसदीय मंडल ने निश्चित किया है। केन्द्रीय संसदीय मंडल ने जो मुझे सूचना दी है वह इस प्रकार है वे उस समय तक के लिये मेरी पार्टी से निलम्बित किये जाते हैं जब तक कि स्वततंत्र, पार्टी की राजष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा उस संबंध में निश्चय न करे। तो अस्थायी रूप से इस सदन के इन सदस्यों को उस पार्टी से निलम्बित समझा जाना चाहिये। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिया है कि वह सदस्य कोई भी पद सदन के अन्दर या सदन के बाहर धारण नहीं कर सकते और न उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से भी जो निर्वाचन उन्होंने किया और जिसे मान्यता दी गयी, उसे भी अस्थायी रूप से निलम्बित समझा जाना चाहिये। इन विचारों को ध्यान में रखते हुये मैं अस्थायी रूप से उस काल के लिये जिस काल पर्यन्त स्वतन्त्र पार्टी की केन्द्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी निश्चित नहीं करती अस्थायी रूप से उस चुनाव को स्थगित करता हूं और पूर्व स्थिति कायम रहेगी।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या उन विषयों में जो किसी भी पार्टी के आन्तरिक चुनाव और विषयों से संबंध रखते हैं, उनमें इतने विस्तार और गहराई में आप उतर सकते हैं।

स्पिलिटिंग भी हो रही है । तो क्या यह उचित होगा कि आप कभी भी मान्यता दें और किसी आदेश के द्वारा अस्थायी रूप से निलम्बित कर दें ? और क्या यह उचित होगा कि मान्यताओं और परम्पराओं को देखते हुये आप संसदीय प्रणाली में उसके आन्तरिक मसलों और द्वन्द्वों के अन्दर इतनी गहराई में उतरें ?

श्री अध्यक्ष —

जो प्रश्न माननीय झारखंडे राय जीने उठाया उसी को ध्यान में रखते हुये मैंने निवेदन किया। सदन में उनको मान्यता देने का प्रमुख आधार यहहै कि वह सदन के अन्दर और बाहर संगठन बनाये हुये हैं । सदन के अन्दर और बाहर उस संगठन के अनुशासन के अन्तर्गत हैं और उस संगठन की जो नीतियां हैं उनको वह स्वीकार करके उनके अनुरूप यहां बरतेंगे । अगर कोई बाहर संगठन है इसका केन्द्रीय संसदीय मंडल अगर किसी व्यक्ति विशेष को मान्यता नहीं देते, उस हालत में वह व्यक्ति उस संगठन का या आर्गेनाइजेशन की तरफ से यहां प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहेंगे । इसलिये मैंने निवेदन किया कि टेम्पोरेरी पीरियड के लिये हम उसको निलम्बन कर रहे हैं और फिर अगर उन्हें कुछ कहना होगा कि तो हम सुन लेंगे । सम्प्रति हम सब इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि उन्होंने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया । वे इस संबंध में स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे हैं । हमारे पास एकमात्र सबूत है कि वे निलम्बित हैं । ऐसी दशा में जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था मुझे खेद होता है कि पार्टी में कोई विघटन हो । लेकिन है । इस कारण से हम माननीय रंगा जी के शब्दों को ध्यान में रखते हुये अस्थायी रूप से उस चुनाव को निलम्बित करते हैं और पूर्वस्थिति कायम रहती है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यह जो स्वतन्त्र पार्टी थी इसमें आपस में कुछ मतभेद हुआ और उसके बाद चुनाव होने के बाद श्रीमान ने दूसरा इन्तजाम कर दिया । अब वह सदस्य निलम्बित किया गया है केन्द्रीय पार्टी से । जब तक वह पृथक् नहीं किया जाता तब तक उस पार्टी का सदस्य बना रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसलिये मैंने कहा वह अस्थायी रूप से स्थगित है । यह बहुत मोटी सी बात है कि जो भी सस्पेंडेड मेम्बर है वह किसी भी प्रकार से उस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता ।

श्री कमला सिंह यादव—

उग्रसेन जी भी निलंबित थे और एस० एस० पी० के उपनेता थे । उनकी भी तो ऐसी ही पोजीशन थी ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपने जो बयान दिया है उससे यह नतीजा निलकता हैकि यह सारा मामला टेम्पोरेरी है । तो क्या आप कृपा करके बतलायेंगे कि इस वक्त स्वतंत्र पार्टी की क्या स्ट्रेन्थ रही और उसके पदाधिकारी कौन-कौन रहे ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे शब्द तो स्पष्ट हैं—माननीय रंगा जी के पत्र की शर्तों के अधीन रहते हुये उसकी जो पूर्व स्थिति थी वह स्थापित की जाती है ।

३ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३ फरवरी, १९६६ को श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के संबंध में श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इस सड़क को जो कि जोशीमठ में बिड़ला भवन के सामने से जाती है और जिसे बद्रीनाथ रोड कहते हैं, दुर्दशा का ज्ञान है और क्या सरकार के उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगी ताकि भविष्य में इस सड़क की हालत दुरुस्त की जा सके।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि भारत सरकार को लिखा गया है कि वह इस सड़कों को वापस ले ले और यह प्रश्न विचाराधीन है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—भारत सरकार ने लिखा है कि राज्य सरकर उक्त सड़क को वापस ले ले। यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

राज्य के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री लखपत राम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब श्री लखपत राम जी आप कृपया बैठ जायं, कल आप ने मेरे कक्ष में भी और सदन के समक्ष भी कहा था कि इस में केवल वक्तव्य दिला दिया जाय, वह कर दिया गया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें, वह यह है कि कल जब आप को यह सूचना दी गयी तो आप ने कहा था कि पहले सूचना पढ़ी जायगी और उसके बाद वक्तव्य होगा। वह मैं चाहता हूं कि आप पहले उसे पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

हां, मैंने यह कहा था, मुझे याद है। मैंने वचन दिया था और अब मैं उसेपढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित राज्य के आयुर्वेदीय विद्यालयों के छात्रों के व्यापक असन्तोष की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शासन की ओर से इनके प्रति बरती जा रही उपेक्षा-नीति के कारण आये दिन इन की हड़तालें होती रहती हैं जिससे अध्ययन में व्यवधान और स्थायी रूप से असन्तोष और क्षोभ के कारण य विषय का एसा सर्वांग ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते होंगे जो देश के प्राचीन गौरव की द्योतक इस चिकित्सा पद्धति के लियेअपेक्षित है जिससे न केवल देश के सार्वजनिक हित को बाधा पहुंच रही है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान को भी धक्का लग रहा है और इस प्रकार यह विषय हमारे हीन-भावनाग्रस्त रूप का प्रमाण बन चुका है।

आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने सन् १९६१ में ७ महीने की तथा १९६३–६४ में ४ महीने हड़ताल की। हड़ताल के उन अवसरों पर उन की मांगों को उचित बताया गया। जोशी समिति की नियुक्ति हुई जिस की संस्तुतियों को कार्यान्वित कराने क लिय उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के

अध्यक्ष श्री दरबारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल १ फरवरी, सन् ६४ को मुख्य मंत्री से मिला जिस के फलस्वरूप उन्होंने मांगों पर विचारार्थ एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी जिस ने इन छात्रों की मांगों को न्यायोचित ठहराते हुये जोशी समिति की संस्तुतियों की पुष्टि की थी। इसके अतिरिक्त परिषद् के अध्यक्ष श्री शर्मा के शब्दों में मुख्य मंत्री ने इन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करने का आश्वासन दिया था। उपसचिव चिकित्सा (ग) विभाग की ओर से २५ मई, सन् ६४ को एक सरकारी आदेश संख्या १९६६/सी० वी० ८८।१९६२ भी प्रसारित किया जा चुका है जिसमें इन छात्रों की मांगों के संबंध में अनेक उचित व्यवस्थाओं का उल्लेख है। किन्तु दुख की बात है कि शासन द्वारा इस दिशा में अब तक उल्लेखनीय कुछ नहीं किया जा सका है जिस के फलस्वरूप प्रस्तुत वर्ष में फिर हड़ताल एवं अनशन का क्रम चल पड़ा है।

अतः आप के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से साग्रह अनुरोध है कि वे अविलंब उचित कदम उठाकर ठोस और स्थायी व्यवस्था करने की कृपा करें और एतदर्थ इस सत्र में घोषणा कर के छात्रों में व्याप्त घोर असन्तोष को दूर करें।" यह माननीय रघुनाथ सिंह का था और इसी प्रकार से श्री लखपत राम का है। अब मंत्री जी वक्तव्य दगे।

चिकित्सा मंत्री (श्री बाऊदयाल खन्ना)—

इस समय राज्य में निम्नलिखित पांच कालिज भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध हैं:

१—गुरुकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार,
२—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार,
३—ललित हरि आयुर्वेदिक कालिज, पीलीभीत,
४—बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी,
५—आयुर्वेदिक कालिज, अतर्रा, बांदा।

इन कालिजों द्वारा आयुर्वेदिक की डिग्री की जाती है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये पांचों कालिज प्राइवेट संस्थायें हैं, हालांकि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज हरिद्वार और ललित हरि आयुर्वेदिक कालेजों के लिये संबंधित जिला मजिस्ट्रेट प्रशासक की हैसियत से नियुक्त हैं। इन कालिजों की कुल छात्र संख्या ५४३ है।

१२ मार्च, १९६६ से ललित हरि कालिज, पीलीभीत के छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार, बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी और आयुर्वेदिक कालिज, अतर्रा के छात्र भी इस हड़ताल में शामिल हुये। गुरुकुल आयुर्वेदिक कालिज हरद्वार के छात्रों ने सामन्यतया इस हड़ताल में भाग नहीं लिया। दो छात्रों ने २९ मार्च, १९६६ से भूख हड़ताल भी की थी और उसे उन्होंने ३ अप्रैल, १९६६ को समाप्त कर दिया। आम हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है।

इन संस्थाओं के छात्रों की मुख्य मांग यह है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् से उनका संबंध समाप्त करके उन्हें किसी विश्व विद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। ऐसी मांग पहले भी की गयी थी और १९६१ में श्री कृष्ण चन्द जोशी की अध्यक्षता में जो समिति इन संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिये बनी थी, उसकी सिफारिश भी थी कि संस्थाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये उन्हें विश्व विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाय, सरकार को यह सिफारिश सिद्धान्ततः मान्य है, पर इसका कार्यान्वित होना तभी सम्भव है जब कि कोई विश्व विद्यालय उन्हें अपने से सबद्ध करने को तैयार हो।

शायद इन कालिजों के छात्र इस भ्रम में हैं कि इन संस्थाओं को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने का निर्णय सरकार को लेना है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इस मसले का

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

अंतिम निर्णय विश्वविद्यालयों के ही हाथ में है जो स्वतन्त्र: आटोनामस संस्थायें हैं। साथ ही इन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी संस्था के प्रबन्धकों की है। उन्हें ही इस विषय में विश्व विद्यालयों से सीधे बात करनी है। संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को सलाह देदी गयी है कि वे इस दिशा में प्रयास करें और आगरा विश्वविद्यालय से निवेदन किया गया है कि ये वर्षायें अगर इस मामले में उनसे मांग करें तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। संस्थाओं की ओर से विश्वविद्यालय के पास प्रार्थना पत्र पहुंच जाने पर अगर किसी स्थिति में सरकार की मदद की जरूरत हुई तो उस पर विचार किया जायगा।

इस विषय में यह भी कहना आवश्यक है कि इन संस्थाओं का स्तर किसी विश्व विद्यालय से सम्बद्ध होने से ही ऊंचा नहीं हो सकता। उसके लिये शिक्षा और चिकित्सालय संबंधी दूसरे साधनों और सुविधाओं की भी जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अनुदान, आदि से इन संस्थाओं की स्थिति सुधारने की पूरी-पूरी कोशिश की गयी है। पिछले साल (१९६५-६६) में ललित हरि कालिज, पीलीभीत और ऋषिकुल कालिज, हरद्वार को कुल १,९८,८०० रु० का विशेष अनुदान देकर उन्हें अपग्रेड किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में भी एक अन्य संस्था अपग्रेड करने का प्राविधान है। ऐसे प्रयासों से जैसे-जैसे संस्थाओं का स्तर ऊंचा होता जाता है, वैसे ही वैसे उन्हें विश्व विद्यालयों से सम्बद्ध कराने की संभावना बढ़ती जाती है।

इस विषय में यह भी बताना आवश्यक है कि वर्तमान छात्रों की इस मांग का उनके भविष्य से कोई प्रयत्क्ष संबंध नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस या सरकारी नौकरी आदि के लिये बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन से मान्यता प्राप्त डिग्री को सरकार की निगाह में वही मान्यता है जो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की है, दोनों प्रकार के स्नातकों के उस मामले में इस समय समान सुविधा और अवसर उपलब्ध है।

छात्रों की एक मांग यह भी है कि बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज को सरकार अपने संरक्षण में ले ले। यह मांग इस कारण की गयी है कि इस संस्था का स्तर और कार्य संतोषजनक नहीं समझा जा रहा है। इस संस्था के भविष्य के बारे में सरकार विचार कर रही है।

इन संस्थाओं को पिछले वर्षों में जैसी प्रगति हुई है और उनके स्तर को उठाने की जो चेष्टायें की गयीं है, उन्हें देखते हुये यह अरोप लगाना उचित नहीं है कि सरकार उनकी ओर उपेक्षा की नीति बरत रही है। सरकार की नीति यही है कि ये संस्थायें उचित ढंग से विकसित हों और उन्हें यथासंभव समुचित सहायता दी जाय। विद्यार्थियों की यह हड़ताल कुछ भ्रमपूर्ण धारणाओं पर आधारित है और उन्हें सही स्थिति समझाने की पूरे तौर से कोशिश की गयी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि विद्यार्थियों की जो मुख्य मांगे हैं, वे सरकार को सिद्धान्तया मान्य भी हैं और वे चाहते भी हैं कि वे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो जायं। आपने यह भी कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। इस समय अभिभावकों पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है और छात्रों की हड़ताल चल रही है तो माननीय मंत्री जी क्या कोई आश्वासन देने की कृपा करेंगे जिससे उनकी हड़ताल भी टूट जाय और स्थिति भी सामान्य हो जाय। सरकार केवल इतना ही कह दें कि हम भरसक प्रयत्न करेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो यह शब्द जाल रचा है इससे कोई लाभ नहीं है। वे केवल यह आश्वासन दे दें कि वे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो जायेंगे। तो इससे मुझे आशा है कि हड़ताल भी समाप्त हो जायगी। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वे इन्हें अपने बच्चे ही समझें और अगर यह कह दें तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता, विरोधी दल, मैं समझता हूं और आपकी बात का आदर करता हुआ, कि सारी परिस्थितियां सरकार के सामने हैं। मैंने यह विषय केवल वक्तव्य के लिये ही रखा था लेकिन अगर वे कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे दें। मैं उन्हें इस संबंध में आदेश नहीं दे सकता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने इसलिये कोई प्रश्न नहीं रखा है। मेरी तो केवल उनसे प्रार्थना है कि वे इस संबंध में कोई आश्वासन दे दें।

श्री बाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय सदस्य ने जो फरमाया है मैं निवेदन कर दूं कि जैसा वे समझते हैं वैसे हो हम भी उन्हें अपने बच्चे ही समझते हैं। मैंने जो अभी वक्तव्य दिया है, इसकी एक-एक लाइन उनको अपना समझते हुये और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुये कही है। यही मश्विरा अगर आप उन बच्चों को भी देते तो न उनकी हड़ताल होती और न जारी ही रहती। और जहां तक उस को सम्बद्ध कराने की बात है तो यह कायदे की बात ऐसी है कि जो संस्था किसी यूनीवर्सिटी से ताल्लुक रखना चाहती है तो पहले वह ऐप्लाई करती है। उसके लिये हमने कह दिया कि वह एप्लाई करें और जहां सरकार की मदद की जरूरत होगी हम मदद करेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण) उपबन्ध, (संशोधन) विधेयक, १९६६

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं। जितने मंत्रिगण और सभा सचिव हैं ये लोग सरकार के नौकर हैं और जो मेम्बर्स हैं उन को वे फायदे या लाभ नहीं दिये जाते जो मंत्रि परिषद् के सदस्यों को हैं और इनका टी० ए० और डी० ए० बंधा हुआ है और ये कहीं भी जायें तो सरकार के खर्चे पर जाते हैं। और जो सदस्य रहे हैं विधान मण्डल के उनको किसी प्रकार का अवसर ऐसे नहीं दिया गया था। अब यह कूपन के जरिये यह सफलता प्राप्त हुई है। तो जिन माननीय सदस्यों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का सवाल है अब उतना ही नहीं बल्कि राज्य खर्चे से जायेंगे और जहां चाहेंगे पुटअप करेंगे और जो १५ रु० डी० ए० है वह हर जगह नहीं मिलता है। अब ये उसका अनुचित लाभ उठायेंगे। तो इस तरह से डबल प्रौफिट देना संविधान के खिलाफ है। आज इसकी मुफ्त दवा दारू और रहने का इन्तजाम है। इसलिये जब हम लोगों को सिखा रहे हैं मितव्ययता तो स्वतः भी करनी चाहिये। मैंने आपको कहा था ९ आदमी इसलिये निकाल दिये गये.....

श्री अध्यक्ष—

नियम १२५ के अन्तर्गत मेरिट्स पर बहस नहीं हो सकती।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे यहां कटौती का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

ये बातें तो जब विचार होगा, तब आ जायेंगी।

श्री कमलासिंह यादव—

सरकार जनता के धन की ट्रस्टी है। अगर ट्रस्टी ही सारा धन खा जायेगा तो कैसे काम चलेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं, श्रीमन्, मेरिट्स पर बहस नहीं करता। इस की प्रति हम को नहीं मिली, आप बतावें हम कैसे विचार करें? दो, एक रोज पहले इसकी प्रति हम को मिल जानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

बट चुकी है।

श्री कमलासिंह यादव—

डबल फर्स्ट क्लास लेने वाला जो तरीका है, यह सदस्यों तक ही सीमित रखें और मैं समझता हूं कि मंत्रि परिषद् के सदस्यों को यह शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—

नियम १२५ में यह सवाल नहीं आयेगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी से आगे पृष्ठ ४३९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३४

विपक्ष में—२५

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४०–४४१ पर)

†प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे विधेयक की परिध में परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रांविशियल स्माल काज कोर्टस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो यह प्राविन्शाल स्माल कागज कोर्टस (उत्तर प्रदेश) संशोधन) विधेयक, १९६६ सदन में रखा गया है यह हिन्दी में लिखा गया है और इसके पीछे धारा २५ का जो संशोधन दिया गया है तीसरे पेज पर वह अंग्रेजी में है। यानी मूल अधिनियम अंग्रेजी में है और संशोधन हिन्दी में लाया गया है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर मूल अधिनियम अंग्रेजी में है तो उसका संशोधन अंग्रेजी में होगा या हिन्दी में होगा? दूसरा याल यह है कि जो रूलिंग यहां माननीय खेर जी की हो चुकी है.....

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं बता दूं कि २६ जनवरी, १९६५ से पहले की रूलिंग अब मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं कि पहले हमारे यहां यह नियम निश्चित था कि जो अधिनियम जिस भाषा में हो उसी भाषा में उसके संशोधन आयें, लेकिन.....

श्री कमलासिंह यादव—

आप अंतिम निर्णय देने से पहले हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप जो कहना चाहते हैं, कह लें।

श्री कमलासिंह यादव—

अब तो हर आदमी जानता है कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हिन्दी है। दो बातें हैं, श्रीमन्, आपने यह पढ़ा है कि अगर मूल अधिनियम अंग्रेजी में होगा तो संशोधन अंग्रेजी में होगा। लेकिन अब प्रदेश की राज भाषा हिन्दी हो गयी तो सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि मूल अधि-

---

†२८ मार्च, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।
*१३ अप्रैल, १९६६ की कार्यवाही से।

[श्री कमलासिंह यादव]

नियम अगर अंग्रेजी में हो तो उसका अनुवाद हिन्दी में करायें और फिर सदन के सामने प्रस्तुत करे और जब सदन उसको स्वीकार कर ले उसके बाद यह विधेयक हिन्दी में लाया जायगा। लेकिन अभी तक जो यह भूल अधिनियम अंग्रेजी में है, उसका हिन्दी में अनुवाद हुआ नहीं और न सदन के सामने प्रस्तुत किया गया और सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसी दशा में मेरा यह विचार है कि यह संशोधन हिन्दी में नहीं आ सकता।.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमला सिंह जी, मैं एक निवेदन कर दूं। आपसे मैंने कहा कि जिन निर्णयों के प्रति आप मेरा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं वे सब २६ फरवरी, १९६५ के पूर्व के हैं। इस आदरणीय सदन में यह प्रश्न एक मर्तबा नहीं, अनेक बार आ चुका है और यह तय हुआ कि चूंकि सारे अधिनियम अंग्रेजी में बने हुये हैं, उनका इस समय अनुवाद कर के सदन के समक्ष रख कर उनको पास कराना असम्भव है। अतः भविष्य में जब जब संशोधन होंगे तो वह विशेष धारा जिसके संबंध में कोई संशोधन होगा, उसका हिन्दी में अनुवाद कर के संशोधन किया जायगा, पहले के निर्णयों के आधार पर अगर आप कहें तो मुझे क्षमा कीजिये, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

नियम १३९(२) में यह दिया हुआ है कि " An amendment".....

श्री अध्यक्ष—

आप हिन्दी में पढ़ने में कृपा करें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन् हमारे पास अंग्रेजी में है। बाद में हम उसका अनुवाद हिन्दी में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास हिन्दी में है। मैं उसको पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है कि "संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।" इसका क्या मतलब है?

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मतलब यह हुआ है कि अंग्रेजी में यह रहा है.....

श्री अध्यक्ष—

इस सदन का निश्चित मत यह हो गया है कि २६ जनवरी, १९६५ के उपरान्त संशोधन जिस धारा में भी होंगे, अगर वह अंग्रेजी में है तो उसको हिन्दी में अनुवित किया जायेगा और जो धारा होगी उसका हिन्दी में संशोधन होगा। इसके अनुरूप ही हम कर रहे हैं। इसके विरोध में नहीं कर रहे हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि पुरानी व्यवस्थाओं को २६ जनवरी, १९६५ के बाद नहीं मानेंगे। लेकिन साथ ही आपने यह भी कहा कि जिस मूल अधिनियम का संशोधन विधेयक पेश होगा और उसकी जिस धारा का संशोधन होगा तो उसका हिन्दी अनुवाद लाया जायेगा। शुरू में माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि जिस धारा का संशोधन करना है उसका हिन्दी अनुवाद होना चाहिये। इसलिये आपकी ही व्यवस्था के अनुसार संशोधित होने वाली धारा २५ को अंग्रेजी में रखना यह गैर कानूनी है।

श्री अध्यक्ष—

आप सबाल नहीं हैं, माननीय रघुनाथसिंह जी।

श्री रघुनाथसिंह—

जब तक धारा २५ का अनुवाद न हो जाय आपकी ही व्यवस्था के अनुसार यह विधेयक नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—

कायदा यह है कि जब संशोधन विधेयक सदन में आता है तो माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मूल अधिनियम की वह धारा दे दी जाती है। इसलिये यह धारा दे दी गई है। संशोधन इसमें है। वह धारा २५ हिन्दी में लिखी हुई है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि.....

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बहस करना चाहते हैं तो वह विषय समाप्त हो गया है। अब आप अपना संशोधन पेश कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारी प्रार्थना यह है कि अपोजीशन की डिफीकल्टीज को भी श्रीमन् ध्यान में रखें। हमारा कहना है कि मूल अधिनियम अंग्रेजी में दिया है। अगर अनुवाद दे दिया होता तो हमारी समझ में बात आ जाती। नियम २५ में क्या अन्तर है?

श्री अध्यक्ष—

वही है बिल्कुल, कोई अन्तर नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर अन्तर नहीं होता तो अमेंडमेंट क्यों आता?

अध्यक्ष—

आप एक बात समझें। नई धारा उसकी जगह पर आ रही है। वह प्रश्न अब समाप्त हो गया। खंड २ के संबंध में जो संशोधन रखना है कृपा करके रखें।

खण्ड २

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित ऐक्ट संख्या ९, १८८७ की धारा २५ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित प्रांविशियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट, १८८७, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"२५—जिलाजज अपना यह समाधान करने के लिये कि लघु वाद न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद में दी गयी डिक्री या दिया गया आदेश विधि के अनुसार था या नहीं, या तो स्वतः अथवा ऐसी डिक्री या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उस वाद से सम्बद्ध अभिलेख मंगा सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।"

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की प्रस्तावित धारा २५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिला जज" के पूर्व निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"उच्च न्यायालय अथवा" ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप को असुविधा न हो तो खंड २ के संबंध में जितने आपके संशोधन हैं एक साथ, रख दें।

श्री कमलासिंह यादव—

उसमें दिक्कत यह होगी कि हर एक के बारे में अलग-अलग हमको कहना है।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट जज का सवाल है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट जज को पावर ट्रांस्फर कर दिया है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुए।)

लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अब भी बहुत से ऐसे केसेज हैं, जो पड़े हुये हैं और जिनका फैसला डिस्ट्रिक्ट जज ने किया है। उसका रिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज कैसे देगा यह मेरी समझ में नहीं आता है। खामखा मानना पड़ेगा कि उसका डिवीजन हाई कोर्ट में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत सभी रिवीजन हाई कोर्ट में होते थे। अब ऐसा अमेंडमेंट है कि जितने रिवीजन होंगे के सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होंगे। जिस केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट जज ने किया है उसके रिवीजन की व्यवस्था होनी चाहिये। जितना कानून बने वह वाइड होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जरा आप के द्वारा एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अगर वह बैठ जायं तब।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय सदस्य जो, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य और इतने विद्वान हैं, मेरी बात सुन कर अपनी बात कह सकते हैं। ला हमेशा वाइड होना चाहिये। ऐसा मौका न दें कि किसी केस का रिवीजन न हो सके। अगर रिवीजन नहीं हो सकेगा तो किसी के फंडामेंटल राइट पर आघा होगा। आर्टिकिल १४ में साफ किया हुआ है कि इक्वैलिटी बिफोर ला होगी। इसलिये हाईकोर्ट अगर रख देते हैं तो उससे हमारा कानून वाइड हो जायगा और कोई अपने राइट से वंचित नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हठधर्मी न करके इस पर गौर करेंगे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह तो पहले ही सन् ५४ में कानून बन चुका है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार दिया गया है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि इस कायदे के जरिये डिस्ट्रिक्ट जज को जो अपील होनी है उसके लिये मियाद क्या होगी। उसके लिये इस कानून के जरिये ३० दिन का समय मुकर्रर किया गया है। हाई कोर्ट को जो पावर है दफा ११५ सिविल प्रोसीजर कोड में, वह अपनी जगह बरकरार है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करेगा तो फिर उसकी निगरानी हो सकती है। हाई कोर्ट को तो अपने सबार्डिनेट कोर्ट की अपील को देखने का आम हक मिला हुआ है। निगरानी जो हाई कोर्ट में जाती थी वह पावर एक डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गयी है उसके लिये मियाद इसमें दी गयी है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इससे कुछ संबंध नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

अब तो आप लिमिट करने जा रहे हैं कि ७ दिन के पहले के निर्णयों पर ही यह लागू होगा तो इसके पहले के फैसले पर तो लागू होगा नहीं। जो आपने अधिकारों में करटेल किया है तो उसका बड़ा बुरा असर होगा। आपकी ताकत बहुत ज्यादा है आप इसको मनवा तो लेंगे ही, फिर भी इसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा इसको देखकर कुछ करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ की प्रस्तावित धारा २५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिला जज" के पूर्व निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"उच्च न्यायालय अथवा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "अपना" निकाल दिया जाय।

अब तक श्रीमन्, हम लोगों ने यह देखा कि अंग्रेजी में जो चीज थी ठीक उसी का अनुवाद हिन्दी में किया गया है और आज तक मैंने ऐसा ड्राफ्ट नहीं देखा जो ला डिपार्टमेन्ट से भी किया गया हो और भेजा गया हो, बिलकुल ही समुचित हो। यदि उर्दू में भी मंत्री जी इसको पढ़ते तो उनकी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की भाषा रखी गयी है। यदि इसमें से, "अपना" शब्द निकाल दिया जाए तो हिन्दी जो लिखी गयी है वह ठीक तरह से हो सकती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी के पास जो डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं उनसे भी वह इस पर गौर करा लें तो जरा अच्छा होगा। यह आवश्यक नहीं है कि यदि अंग्रेजी में 'हिमसेल्फ' रखा गया है तो उसके लिये हिन्दी में 'अपना' भी अवश्य रखा जाए। इसमें अपने के कोई माने भी नहीं है और यह समझ में भी नहीं आता है कि कौन-सी हिन्दी है जो माननीय मंत्री जी ने ड्राफ्टिंग कराई है।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं तो जानता हूं हिन्दी में हो या उर्दू में डिस्ट्रिक्ट जज अपने इतिमिनान करने के लिये यह करेंगे ही। इसलिये इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं मालूम पड़ती है, । यह अपनी जगह दुरूस्त है।

श्री रघुनाथसिंह—

जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने बताया और उसे ठीक बताकर मंत्री जी ने उसे नहीं माना। मैं समझता हूं "अपना" शब्द रखने से वाक्य शिथिल हो गया है, इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इस तरह का संशोधन न मानने का दुराग्रह सरकार को नहीं करना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, हमेशा यह देखा जाता है कि जिस कोर्ट में वह दरख्वास्त देगा उसे यह ज्ञान कराया जायगा कि इस प्रकार की गलती हुई है, वह काल करेगा वह रिकार्ड मंगायेगा तो जो रिकार्ड मांगेगा वही उसको देखेगा। मैं श्रीमन्, यही कह रहा हूं कि अगर उसमें तोड़ मरोड़ होगी तो वह लाभदायक नहीं होगा। जब बाहर लोग पढ़ेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे कि क्या हिन्दी है। दूसरी बात यह है कि यह तो शाब्दिक है और इसको सचिव भी इनके कर सकते हैं। यह ठीक नहीं है कि चूंकि अंग्रेजी में अगर आ गया है "टु सैटिसफाई हिमसेल्फ", तो उसका ट्रांसलेशन हो ही चाहे उसकी जरूरत हो या न हो और अगर गवर्नमेन्ट यह सोच कर बैठी है कि

[श्री कमलासिंह यादव]

अपोजीशन की किसी बात को मानना ही नहीं है तब तो अपोजीशन को यहां बैठने की जरूरत नहीं है। आज ही जो सहकारी समिति विधेयक आया है आज ही उसमें ५० संशोधन सचिव महोदय ने पढ़कर सुनाये हैं। तो समझ बूझ कर ड्राफ्टिंग न करने का यही नतीजा होता है। विधेयकों के साथ खिलवाड़ करने का यही नतीजा हैं। अगर आपके ड्राफ्ट्स मैन हिन्दी नहीं जानते तो उनको हटाइये, उनके लिये और विभाग है अगर उनको पालना ही है लेकिन ला डिपार्टमेन्ट को ठीक चलना चाहिये। इनके विभाग के अधिकारी यहां तो कहते हैं कि हमारा मुर्गा खूब लड़ा और बाहर जब यह कानून पहुंच जाता है तो कहते हैं कि विधान-सभा में अंगूठा टेक लोग बैठे हैं और वह इसी तरह का कानून बना सकते हैं। तीसरी बात यह भी है कि पहले कानून अंग्रेजी में बनता है और फिर हिन्दी में उनका अनुवाद होता है। अगर यही परिपाटी आप चलाते रहेंगे तो यह परिपाटी एक न एक दिन मिटेगी ही और तभी इसकी ठीक ड्राफ्टिंग हो सकेगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप अपने विभाग के ड्राफ्टर्स पर सख्त अंकुश रखिये ताकि कानून सही ढंग पर बनें और पार्टीबाजी के नाम पर कानून बिगाड़ने के लिये न बनें। मैं फिर कहूंगा कि ऐसी बातों पर जरा ध्यान रखें ताकि बाहर लोग आपके कानूनों की प्रशंसा कर सकें और जनता के लाभ के लिये वह कानून बन सकें।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अपना" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

यह नम्बर ३ पर शाब्दिक संशोधन है। यह छापेखाने की गलती हो सकती है। इस पर बहस की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—

मेरे खयाल में यह लफ्जी तरमीम है और इसको अध्यक्ष महोदय ठीक कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह ठीक हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह संशोधन रखता हूं कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की तृतीय पंक्ति में शब्द "तो स्वतः" और "अथवा" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जांय :

"इसका ज्ञान होने पर"

हमेशा यह होता है कि कोई गलती अगर कोर्ट के नोटिस में लाई जाय तो वह मंगाकर उसको ठीक करता है। यह विधेयक हिन्दी में बन रहा है तो इस से लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो हम यह चाहते हैं कि यह अख्तियार अदालत को होना चाहिये कि वह स्वतः ही मालूम होने पर उस गलती को उस फाइल से ठीक कर दे। जिस वक्त मजिस्ट्रेट या जज या अदालत को यह मालूम हो जाय कि इस तरह की कोई गड़बड़ है तो वह स्वतः उस फाइल को मंगाकर देख सकें और ठीक कर सकें इस पावर को हम देना चाहते हैं। जब उसको ज्ञान हो जाय तो वह तलब कर ले और ठीक कर दे। अगर कोई न्यायालय इस बात को न जाने तो कोई बात नहीं,

लेकिन जब उसको मालूम हो जाय तब उसको यह पावर होनी चाहिये कि वह मंगाकर उस फाइल को करेक्ट कर दे। अगर अदालत की नोटिस में लाने पर वह दुरुस्ती नहीं होती है तो फिर दूसरी रेमेडी वह ठीक करेगा। हम यह चाहते हैं कि अदालत के नोटिस में आने पर स्वतः मंगाकर उस फाइल को वह ठीक कर दे। यह बहुत सिम्पुल है मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, अदालत खुद किसी फाइल को तलब करती करती है या किसी फरीक की दरख्वास्त आने पर वह करती है। इन दोनों हालात में वह आर्डर को रिवाइज कर सकती है। इन दोनों हालात में जाहिर है कि अगर उनको कोई इल्म नहीं है तो सवाल नहीं उठता है। या तो वह खुद करेगी या किसी की दरख्वास्त आने पर वह करेगी। उसके इल्म में आने पर वह करेगी। इस वजह से इस संशोधन को रखने की जरूरत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे हंसी आती है कि इस बात को वह समझ नहीं सके। दो चीज हैं। फाइल को मंगाकर करता है तो यह एक तरीका है और वह स्वतः ही उसको ठीक करता है तो यह दूसरा तरीका है। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति दरख्वास्त देता है तो उसकी फाइल आ सकती है तो जो व्यक्ति दरख्वास्त देगा, उसके लिये तो ३० दिन की म्याद रखी गयी है, मगर अदालत के लिये कोई म्याद नहीं है। अदालत जब चाहे, जिस केस में चाहे, तभी उसको तलब कर सकती है और आदेश कर सकती है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान होने पर भी वह उसे न करे। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें कम से कम इतना जरूर जोड़ दें कि इसका ज्ञान होने पर"। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मंत्री जी को कोई त्रास हो। प्रजातंत्र में अगर किसी को रेमेडी ठीक करने का अवसर न मिले तो यह बड़ा ही अनुचित है।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं जो कुछ निवेदन कर चुका हूं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की तृतीय पंक्ति में शब्द "तो स्वतः" और "अथवा" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जांय—

"इसका ज्ञान होने पर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "नब्बे" रख दिया जाय।

श्रीमन्, चकबन्दी को छोड़ कर अभी तक जितने कानून बने हैं, उनमें ९० दिन की म्याद रखी गयी है निगरानी के लिये, और ३० दिन का समय अपील के लिये। हमारे यहां इग्नोरेन्स आफ ला इज नो एक्सक्यूज माना गया है। जो भी कानून बनता है वह केवल गजट में ही छपता है। जो गांव में परिस्थितियां हैं हमारे यहां, उसके अनुसार यह सम्भव नहीं है कि हर एक को कानून की जानकारी शीघ्र हो ही जाय। अगर ३० दिन का समय बीत गया तो फिर उसको इस बेसिस पर क्षमा याचना नहीं मिल सकती कि उसे कानून का ज्ञान नहीं था। पब्लिकेशन का कोई और जरिया भी यहां नहीं है। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि यह म्याद ९० दिन की हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको रिलीफ सीक करने का राइट ही खत्म हो जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस मियाद को बढ़ाया जाय। आपके यहां ही सी०पी०सी० और लिमिटेशन ऐक्ट बना हुआ है, उसके जरिये भी ९० दिन की मियाद रखी गयी है। हमेशा से रिवीजन के केसेज के लिये हाईकोर्ट में अनलिमिटेड टाइम था। एक कन्वेंशन चल रहा था कि ६ महीने के अन्दर कोई रिवीजन की कार्यवाही चाहे तो कर सकता है लेकिन अब इस कानून के जरिये ९० दिन की मियाद जो हर शख्स को मिली हुई थी उसे घटा कर अब ३० दिन की मियाद करने जा रहे हैं, जिसे मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

माननीय राजस्व मंत्री के सभा सचिव जी यहां बैठे हुये हैं। उनके यहां पैसे की वसूली के लिये जहां १५ दिन की मियाद थी उसे २०-२५ दिन कर दिया है। उनके आफिसर हर गांव में जाते हैं और छोटी से छोटी जानकारी भी गांववालों को उनके जरिये रहती है। लेकिन माननीय न्याय मंत्री जी, जो कानून के पंडित हैं वे गजट के द्वारा ही इसकी जानकारी लिटिगेंट्स को कराना चाहते हैं। जब कि आप एम० एल० ए० को फ्री गजट की कापी सप्लाई करते हैं उसे तो वे पढ़ने की जुर्रत ही नहीं करते लेकिन हमारे ला मिनिस्टर साहब के अधिकारी ऐसे होशियार लोग हैं जो निगरानी के लिये लिटिगेंट्स को ९० दिन के बजाय ३० दिन की ही मियाद देकर रेमिडी सीक करने की सलाह देते हैं। यदि इस बीच वे रेमिडी सीक नहीं कर सकें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसी कानून को रहने दें जिससे आज तक लोग परिचित हैं। यदि उनको ९० दिन का मौका मिले तो वे उसी तरीके से उसे कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। यह विधेयक यहां से पास होगा और फिर उसके बाद कौंसिल में जायगा और वहां से पास होने के बाद फिर राज्यपाल के पास जायेगा और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही उसका गजट में प्रकाशन होगा। तब तक हमलोग, जो इसके सम्बन्ध में इतनी जानकारी रखते हैं वे भी भूल जायेंगे कि इसमें क्या है। मैं माननीय ला मिनिस्टर साहब से ही पूछता हूं कि वे ही इस बात को बतला दें कि सी० पी० सी० में कब अमेंडमेंट हुआ और वह किस तारीख को इनफोर्स हुआ, मैं समझता हूं कि उनको भी यह याद नहीं होगा। फिर हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वह ३० दिन के अन्दर रिवीजन के लिये अप्लीकेशन दे दें और रेमिडी सीक करें। अगर कोई किसान ३० दिन के अन्दर अप्लीकेशन नहीं देता है तो मैं समझता हूं कि उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी और प्रजातंत्र के अन्दर ऐसे कानून से हर शख्स का जो फंडामेंटल राइट है उसकी हत्या होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि कम से कम वे इतना अवश्य करें कि अब तक जो कन्वेंशन चला आ रहा है कि निगरानी के लिये ९० दिन की मियाद है, उसी को रखें ताकि उसके अन्दर जो रेमिडी सीक करना चाहे कर ले और अगर न सीक करे तो दूसरी बात है।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह ने जो संशोधन रखा है, उसमें उन्होंने एक विशेष बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। सरकार की कुछ परम्परायें हैं और वह यह कि हर शख्स को न्याय जल्दी से जल्दी मिले और इसीलिये यह विधेयक रखा गया है। इस विधेयक के जरिये स्पेशल ताकत दी गयी है जिससे ९० दिन के बजाय ३० दिन के अन्दर ही न्याय मिल सके। ९० दिन की मियाद कर देना तो इस विधेयक की मंशा के बिलकुल विरुद्ध होगा। सब कोई चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर किसी के ऊपर किसी की डिक्री हो जाती है तो वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका रुपया वसूल हो जाय, लेकिन अगर ९० दिन की मियाद रख दी गयी तब तो ९० दिन के लिये उसके रुपये की वसूली ऐसे ही हट गयी और फिर कहीं और टाइम बढ़ गया तब तो और उसके लिये कठिनाई होगी। तो ये सारी बातें जो हैं वे इस विधेयक की मंशा के खिलाफ हैं।

एक दूसरी कठिनाई और पैदा हो जायगी और वह यह होगी कि हम जब यह देखते हैं कि मुन्सिफों की डिक्री के आर्डर के खिलाफ सिर्फ एक महीने की मियाद दी गई है जज की अदालत

में अपील दायर करने के लिये, तो रिवीजन में यह कोई मौका नहीं है कि उस मियाद से भी ज्यादा मियाद ९० दिन की कर दी जाय। दोनों पहलुओं से यह बात बिलकुल खिलाफ मालूम पड़ती है। बयान के खिलाफ यह बात मालूम पड़ती है कि ९० दिन की मियाद कर दी जाय। इसी तरह से जो संशोधन माननीय सदस्य ने रक्खे हैं अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे कि हमने जो अदालतें रक्खी हैं इसमें दो ही बातें उनको फैसल करनी होती हैं। रुपया लिया या नहीं लिया और वाजिब है यह नहीं। सिर्फ इतनी बात तय करनी पड़ती है। उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जब तय हो जाता है तो उसको हक हो जाता है कि वह अपना रुपया जल्द ले लें। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो संशोधन है यह कानून, वाकयात और परम्पराओं के खिलाफ है इसलिये यह संशोधन गिरना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य ने माननीय कमलासिंह जी के संशोधन की व्याख्या के विरुद्ध तर्क में बताया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कमलासिंह जी का कहना है कि अवधि बढ़ा दी जाय। अपीलकर्त्ता को देर से मालूम हो तब भी वह उसका लाभ उठा सकें। अपील करने की सुविधा में उसे अधिक से अधिक सुविधा अवधि के रूप में दी जानी चाहिये। यह एक न्यायसंगत बात है। परन्तु उधर माननीय सदस्य तर्क देते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाय इसलिये मियाद तीस दिन रक्खी गई है। न्यायालय में जल्दी न्याय हो जाय यह न्यायालय से सम्बन्धित है। मैं यह नहीं समझता कि जल्दी से जल्दी न्याय हो जाय इसलिये अपील करने की अवधि कम रखी जाय। जनता को अपील की सुविधा रहे यह ज्यादा न्यायसंगत होगा। माननीय कमलासिंह जी का संशोधन अगर माना जायेगा तो अपील की दृष्टि से भी ज्यादा सुविधाजनक होगा।

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जो अपील होती हैं, उसकी मियाद तीस दिन की होती है। अपील की तीस दिन की निगरानी के स्थान पर नब्बे दिन कर दिये जायं इसके माने मेरी समझ में नहीं आते। हाई कोर्ट में जो अपीलें होती हैं उसकी मियाद ९० दिन होती है। लेकिन जो लिमिटेशन क्लाज थे उसकी मियाद में फर्क है। बहुत-सी दफात लिमिटेशन ऐक्ट में हैं जिसमें मियाद १२ दिन, १५ दिन और किसी में तीस दिन की है। बहुत सी ऐसी दफात हैं जिसमें तीस दिन की मियाद है। जहां तक कानून की नावाक्फियत का सवाल है यह कोई ऐसा कानून नहीं है। बहुत से कानून पास होते हैं। दुनिया भर के कानून हैं। जिस तरह से सब छपते हैं उसी तरह से यह भी छपेगा और सबको इसका इल्म हो जायेगा। यह जरूरी नहीं है कि इसका इल्म नहीं होगा। वकीलों से मशविरा होता है, अदालत में जाना पड़ता है। वकील को मालूम रहता है कि कितने दिन के अन्दर निगरानी करनी है। जितने कानून में संशोधन होते हैं वकील सबसे वाकिफ रहता है। मैं समझता हूं कि इसकी अहमियत नहीं है। जिस तरह से कानून बना है वह ठीक है।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी शहर के रहने वाले हैं। देहात में गये नहीं हैं। माननीय सदस्य का तर्क सुनकर हमें ताज्जुब हुआ, वे हमारे साथ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी रहे हैं, कि मियाद कम कर देनी चाहिये ताकि क्रेडिटर को मौका मिल जाय कि वह जल्दी से जल्दी रियलाईज कर ले। अगर क्रेडिटर की तरफ से कोई गल्ती हुई, उसको रेमेडी मिल जाय तो उस वक्त क्या दशा होगी। अभी तो यह क्रेडिटर की बात सोच रहे हैं लेकिन अगर क्रेडिटर उस पोजीशन में रखा जाय तो क्या होगा? इसलिए हर आदमी को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए कि वह रिलीफ हासिल कर सके। कोई भी आदमी अगर एप्लीकेशन दे दे या कोई इसको मूव करदे और वह फाइल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

मंगवावे तो इस पर तो उसे रिलीफ मिलता नहीं है। अगर कोई गलती हुई है तो उसको रिलीफ अवश्य मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी और उनको पार्टी के लोग अगर यह चाहते हैं कि जनता को इसमें राहत न मिले आदेश का शुद्धीकरण होकर तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर मखौल की कोई और बात नहीं हो सकती। हो सकता था कि अगर हम अदालत में विरोधी पक्ष की ओर से होते तो वह अपना पक्ष रखते और हम अपना पक्ष रखते, लेकिन यहां तो कानून बनाया जा रहा है। अपील की पावर तो इसमें है नहीं। इसका रिवीजन होता है जो हमेशा ला-प्वाइंट पर होता है। तो अगर ला-प्वाइंट पर भी रिलीफ न मिल सके तो इससे बढ़कर निकम्मा कोई राज्य नहीं हो सकता। यहां ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम देहात की जनता को जानकारी करा सकें सिवाय इसके कि गजट में छाप दिया जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि गांवों के लोग, जिनके वोट पर हम यहां चुनकर मिनिस्टर और सदस्य बने हैं, उनकी बात को हम यहां रखें और उनकी दिक्कत को महसूस करें। अगर कोई आदमी इससे भी दूर है तो मैं उसे सिवाय धन्यवाद देने के और कुछ नहीं कर सकता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी तक अपील की बात कही है। लेकिन निगरानी हमेशा ला-प्वाइंट पर होती है और ला-प्वाइंट तभी होता है जबकि अदालत गलती करती है। इसमें प्राविधान यह है कि आदेश में गलती हो तभी हो सकता है। अदालत की गलती के कारण जनता को ज्यादा से ज्यादा मौका होना चाहिए न्याय हासिल करने का। अगर डिक्टेटरशिप की बात है कि एक कानून हमने सदन में रख दिया, वह वैसा ही पास होना चाहिए चाहे किसी का उससे नाश हो, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए अगर आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दें तो हो सकता है कि जो रेमेडी उन्हें मिल सकती है उसे सोक करने की वे कोशिश करें। ३० दिन की जगह ५ दिन ही आप रख दें तो आपके हिसाब से और अच्छा हो जायगा। आपने यह एक रोजगार खोला है कि पैसा लेकर न्याय बेचा जा रहा है। मेरे संशोधन के मानने से आपकी आमदनी भी कोर्ट फीस के जरिए से बढ़ती। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी फिर से सोचकर इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

शायद माननीय सदस्य ने कुछ जिक्र काउंसिल का पहले किया था। वहां से भी यह कानून पास हो चुका है। वहां १० मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वहां का विरोधी दल ज्यादा समझदार है। मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "तीस" के स्थान पर "नब्बे" रख दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

१ और २ बजे तक के बीच में डिवीजन नहीं हो सकता है। नियम के मुताबिक नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

वोट तो करते चले आये हैं, लेकिन कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। आप दूसरा संशोधन पेश कर दें। इस पर वोट बाद में हो जायगा।

खण्ड ३

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३— (१) इस अधिनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, लघु वाद न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व साठ दिन के भीतर दी गयी किसी डिक्री या दिए गए किसी आदेश के संबंध में मूल अधिनियम की

धारा २५ के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रारंभ के दिनांक के तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है ।

(२) इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव किसी ऐसे प्रार्थना-पत्र पर नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो और विचाराधीन हो ।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ में अंक "३-(१)" के स्थान पर शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" रख दिए जावें ।

श्रीमन् कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि खण्ड ३ स्वतंत्र क्लाज है । माननीय मंत्री जी ने जो तर्क दिया था वह मेरी समझ में नहीं आया । जहां तक खण्ड २५ का सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि ३० दिन के भीतर क्षुब्ध व्यक्ति अपना प्रार्थना-पत्र दे सकेगा । इसे क्वालीफाई करने के लिए आगे कहा है कि कोई भी आदमी अगर दरख्वास्त देना चाहेगा तो यह जब लागू होगा उस के ३० दिन के भीतर ही वह कर सकता है । इसके साथ-साथ यह भी प्रतिबन्ध रखा गया है कि जिस रोज से यह विधेयक लागू होगा उसके ६० दिन पहले जिन मामलों के फैसले हुए होंगे वही लोग दरख्वास्त दे सकेंगे । मेरा जहां तक खयाल है ऊपर के क्लाज भी जिसे हम अमेंड करना चाहते हैं उसे यह क्वालीफाई करता है क्योंकि उसमें दरख्वास्त देने की बात कही गई है । तो वह प्रार्थना-पत्र जो २५वीं धारा में दिया गया है यह उसकी सीमा को कम करने वाला है या करटेल करने वाली है । जब किसी सीमा को या वाइड जुरिस्डिक्शन को कम करना होता है तो सिवाय प्रीवाइजो के कोई दूसरा जरिया नहीं है जिससे हम किसी चीज की सीमा को कम कर सकें । ६० दिन के पहले के लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है । हम जब किसी के राइट्स को करटेल करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उसे प्रोवाइजो के जरिये करटेल करें या खण्ड २५ के उपखण्ड के द्वा रा इसे कर सकते हैं । इसलिए मैंने यह प्रोवाइजो रखा है । कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लाज है इसलिए मैं यहां उचित समझता हूं कि यह क्लाज यहां पर होना चाहिए । इस प्राविजन के जरिए से चाहे संक्रमण काल हो या और कोई काल हो, उसको आप रख सकेंगे ।

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, कल भी मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि दफा ३ बहुत थोड़े दिनों के लिए है । जब यह कानून लागू होगा तो उसके तीस दिन के अन्दर ही कुछ मुकदमें और निगरानी हो सकती है । अगर उसकी डिग्री ६० दिन पहले तक हो चुकी है तब उसको ३० दिन का और समय दिया गया है । लेकिन ६० दिन के बाद वाले मुकदमों के लिए अलग दफा २५ में दिया हुआ है । जब ३० दिन की वह मुद्दत गुजर जायगी, उसके बाद यह चीज लागू नहीं रहेगी, इसलिए इसको असली कानून का जुज बनाना मुनासिब न होगा । इसलिए इसको सिर्फ अमेंडिंग ऐक्ट में ही रखा गया है ।

इसी तरह से जो क्लाज २ है उससे भी कोई वास्ता नहीं है । उसमें यह है कि अगर कोई मुकदमा अदालत में दायर है तो इसकी वजह से कोई असर उस पर न होगा । ये दोनों टेम्परेरी मेजर्स हैं इसलिए इनको परमानेन्ट कानून में रखना ठीक नहीं समझा गया ।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें लिमिटेशन की थोड़ी-सी दिक्कत है, श्रीमन् । इसका मतलब यह हो गया कि ६० दिन से पहले के जो मुकदमे हैं उनको तो आपने पहले से ही डिबार कर दिया । इसके अलावा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

३० दिन अगर बीत गए तो उनको भी डिबार कर दिया जायगा। इसका साफ मतलब यह हुआ कि हमको जो रेमेडी का राइट मिला हुआ था उससे हमको डिबार किया जा रहा है और हमारे कानूनी फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा रहा है। मेरे खयाल में ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री रघुनार्यासिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की पंक्ति में "इस अधिनियम" के स्थान पर "मूल अधिनियम" रख दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मूल अधिनियम में न्यायालयों में लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों को पुनरीक्षण करने का अधिकार जिला जज को दिया गया था, लेकिन उसकी कोई अवधि नहीं बांधी गयी थी। अब यह जो संशोधन विधेयक आया है उसमें समय बांध दिया गया है। उसी को स्पष्ट करने के लिए इसमें रखा गया है कि मूल अधिनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी लघुवाद न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व.....किन्तु भूल से "मूल अधिनियम" के स्थान पर "इस अधिनियम" छपा है। इसी संशोधन विधेयक की धारा २ में कहा गया है कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट, १८८७ जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, इसके माने यह हुए कि इस विधेयक में मूल अधिनियम की कोई बात आयेगी तो भ्रम पैदा न हो इसलिए उसे मूल अधिनियम कहेंगे। ऐसी ही बात धारा ३ (१) में आई है कि इस अधिनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी लघुवाद न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व....."। इसके माने हुए कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर अगर मूल अधिनियम में कोई बात इसके विपरीत हो तो परस्पर का विरोधाभास ठीक नहीं है। इसलिए धारा ३ (१) में इसे स्पष्ट आप का अभीष्ट है और उसमें यह भूल हो गई है कि मूल अधिनियम के स्थान पर यह अधिनियम लिखा है। इस वास्ते आप इस अधिनियम की जगह "मूल अधिनियम" मान लें। यह सामान्य भूल इससे दूर हो जायगी। यह संशोधन हो जाय तो अच्छा है अगर आप इसको भी न मानेंगे तो मैं अपना अभाग्य ही समझूंगा कि मैं बेकार में ही यह संशोधन यहां लाया।

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक दफा ३(१) का ताल्लुक है उसमें जो "मूल अधिनियम" शब्द इस्तेमाल किया गया है वह वही हैं जो पुराने ८७ के ऐक्ट में थे। उसी के हवाले से यह है कि जब से शुरू हो उस के ६० दिन पहले से जो डिग्री हुई हैं उन पर लागू होगा। इसमें जो शब्द "सच कमेन्समेंट" आए हैं उनका मतलब यही है। उसकी निगरानी शुरू होने के ३० दिन के अन्दर हो जायगी। इससे मेरे खयाल से कोई भ्रम या शकोशुभा पैदा नहीं होता और फिर कहां ऐक्ट के शब्द इस्तेमाल हुआ है और वह सन् १८८७ वाला ही ऐक्ट है लेकिन सच कमेन्समेंट मतलब इस अधिनियम से ही है।

श्री रघुनाथ सिंह—

आपके पास संशोधन विधेयक की प्रति है या नहीं, हो तो जरा सा देखें कि मंत्री जी ने जो हमारे ऐतराज पर जो प्रिंसिपल ऐक्ट की बात कही है उसका हिन्दी अनुवाद मूल अधिनियम होगा और आपने स्वयं इस विधेयक की धारा (२) में कहा है कि जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा। जब कि विधान सभा में हम लोगों के सामने इस विधेयक को लाया गया है कि इसमें जो भूल चूक हो उस पर विचार विमर्श के उपरान्त यह ठीक हो जाय तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप हमारी उचित बात को मान लें और इसमें जो कमी है उसको दूर कर लें।

"इस अधिनियम" जो कि इस अधिनियम की प्रथम पंक्ति में दिया हुआ है इसका मतलब है "प्रिंसिपल ऐक्ट" और उसकी दूसरी पंक्ति में नीचे "इस अधिनियम" का मतलब है "यह

विधेयक जब अधिनियम बन जायगा" जो जब मैं आपकी सेवा में आपकी गल्ती को सुधारने के लिए कह रहा हूं तो इसको न मानने के लिए आपका जिद करने का क्या मतलब है। मैं समझता हूं कि यहां पर "मूल अधिनियम" कर लेने से बात स्पष्ट हो जायगी।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं माननीय सदस्य की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था लेकिन नहीं समझ सका कि वाकई में इसमें क्या दिक्कत है। वह जो पुराना ऐक्ट है उसको "मूल अधिनियम" कहा गया है। तो दफा २ तो यों का यों ही रह जायगा। दफा २५ मूल अधिनियम में इस्तेमाल हो जायगा। दफा ३ में भी यही दिया हुआ है। तो यह जो एमेंडेड ऐक्ट है जब यह पास हो जाय तो ६० दिन के अन्दर नहीं करेंगे तो वह ३० दिन में हो जाय।

श्री रघुनाथ सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपने सुना है कि ३(१) में पहले इस अधिनियम के लिए माननीय मंत्री जी ने "प्रिंसिपल ऐक्ट" की बात कही और दूसरी में "दिस ऐक्ट" की बात कही जैसाकि अंग्रेजी की प्रति में दिया हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले शब्द को "मूल अधिनियम" और दूसरे को "इस अधिनियम" कहना चाहिए जैसा कि दूसरी जगह में कहा गया है। आसक-रूप से इसको रखने का क्या औचित्य है। अंग्रेजी में दो विभिन्न शब्दों से स्पष्ट हो और हिन्दी में ऐसा न हो वह मुनासिब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय न्याय मंत्री जी ने जैसा बताया कि उसमें "दिस ऐक्ट" इस अधिनियम के लिए है तो उसका ट्रांसलेशन तो सही है।

श्री रघुनाथ सिंह—

पहले के लिए क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं मत लिए लेता हूं। चूंकि कोरम कम है इसलिए कोरम हो जाने दीजिए।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।)

खण्ड २ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "तीस" के स्थान पर "नब्बे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ में अंक "३-(१)" के स्थान पर शब्द 'प्रतिबन्ध यह है कि' रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की प्रथम पंक्ति में 'इस अधिनियम' के स्थान पर 'मूल अधिनियम' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) के द्वितीय पंक्ति से शब्द "ठीक पूर्व साठ दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "पूर्व" रख दिया जाय।

यह बहुत ही सिंपिल चीज है। जिस रोज से यह कानून लागू हो जायगा उसके बाद तीन दिन के अन्दर लोगों को मौका मिलेगा कि वह रिवीजन के लिए एप्लीकेशन वगैरह दे सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ यह भी बात की गई है कि अब तक तो विधेयक के अन्दर कोई भी लिमिटेशन नहीं था, जब आदमी चाहता था तो दरख्वास्त दे सकता था अगर कोई भी अदालत के द्वारा आदेश में गलती हुई हो तब अब इसके जरिए से अदालत के आदेश को जो गलत हो उसे ठीक कराने के लिए हम कोई पाबन्दी कर दें जिससे वह उसे ठीक न करा सके यह न्यायसंगत नहीं होगा। ३० दिन या ९० दिन की बात नहीं है। पिछली गलतियां हो गयी हैं तो ६० दिन पहले अथवा ६१ दिन पहले उस पर रोक लगा रहे हैं और इस प्रकार वह एप्लिकेशन न दे सके तो यह उचित नहीं है। धारा २५ के अन्दर आप ३० दिन की मियाद दे रहे हैं, लेकिन अलग संक्रामक काल के लिए जो इंडिपेंडेंट क्लाज है उसके अन्तर्गत आप उन्हीं लोगों को मौका देना चाहते हैं कि ६० दिन पहले जिन मुकदमों का फैसला हो गया है अगर उनके बारे में कोई आदमी ऐप्लिकेशन देना चाहता है तो इस विधेयक के लागू होने के ३० दिन के अन्दर वह दरख्वास्त दे सकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि किस उसूल के अन्दर ६० दिन माननीय मंत्री जी ने रखे हैं। जो वह ९० दिन इस प्रकार दे रहे हैं तो ९० दिन पहले तो उन्हें खुद पता नहीं चलेगा कि कब से यह इम्पोज हुआ है। हमारे यहां की प्रथा ऐसी है कि गजट हो जायगा लेकिन किसी को मालूम नहीं होगा। ३० दिन यों ही बीत जायेंगे। इतना ओपेन होना चाहिए कि पिछली अगर अदालत की कोई भी गलती हो और किसी को वह गलती मालूम हो गई हो तो उसका करेक्शन होना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत आदेश स्थायी रखना किसी तरह उचित नहीं है। तो उस गलत आदेश को करेक्ट करने के लिए हम पब्लिक को मौका न दें यह भी उचित नहीं है कि और यह इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। ३० दिन की रोक तो आपने लगा दी इससे केसेज तो कम होंगे लेकिन अगर कहीं भी किसी आदमी को मालूम हो गया कि उसके मुकदमे में कोई गड़बड़ी हुई है तो एक मौका है जिसका फायदा लोग उठा सकते हैं। जो आपको डर है कि मुकदमे बहुत बढ़ जायेंगे तो इस डर से किसी को रेमेडी न दें मैं समझता हूं कि जनतंत्र में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए।

*श्री सैयद अलीजहीर—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो ६० दिन रखे गए हैं ये किसी मसलहत से रखे गए हैं। अदालत खफीफा में कोई मुकदमा हुआ। उसका फैसला हुआ। एक फरीक के हक में हुआ और दूसरे फरीक के खिलाफ हुआ। जिसके खिलाफ हुआ उसने सोचा कि अपील निगरानी करें। अब अगर उसको अपील करना है तो आज भी यह है कि अगर वह ९० दिन तक खामोश बैठा रहा तो बावजूद इसके कि कानून में कोई मियाद न हो लेकिन ९० दिन के बाद अगर अदालत में जाता था तो कह दिया जाता था कि देर में आए। इसलिए अगर ६० दिन तक अपील की कार्यवाही की ही नहीं तो इसके माने हैं कि जो फैसला हुआ वह ठीक है, हमको कोई कार्यवाही नहीं करनी है और अगर करनी है और इस कानून के अन्दर तीस दिन की मियाद रहे तो उसको ९० दिन मिल जायेंगे। लेकिन अगर ६० दिन हो गए और उसमें यह समझ लिया कि कुछ नहीं, करना है तो कोई वजह नहींहैकि एक नया हक पैदा हो जाय और उसको निगरानी कराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का हक दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर कोई अदालत गलत फैसला दे दे तो उसको ठीक कराने का हमेशा हक है। सिविल प्रोसीजर कोड में दफा १५१ बनी हुई है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती किसी अदालत से हो गयी है तो जब भी कोई फरीक चाहे उसी अदालत में दरख्वास्त दे और अगर अदालत ठीक समझेगी कि हां, गलती हो गयी है तो वह हमेशा उसे ठीक कर सकती है। तो एन्ड्स आफ जस्टिस को मीट करने के लिए एक आम दफा १५१ कानून में मौजूद है। लेकिन जब अपील या निगरानी दूसरी अदालत में करनी हो तो उसके लिए मियादें मुकर्रर हैं। उसी तरह से इसके लिए भी कुछ मियाद मुअय्यन कर दी गयी है। अगर वह ६० दिन तक खामोश रहा है तो उसको ३० दिन और मिल जायेंगे लेकिन अगर वह ६० दिन से ज्यादा हो गए हैं तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, समझा जायगा कि जो फैसला हुआ वह ठीक हुआ।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी की बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सी० पी० सी० की धारा १५१ का जिक्र किया। क्लरिकल मिस्टेक के लिए शायद दफा १५२ है। कोई भी कानून बनता है उसके अन्तर्गत हम खुद ही मियाद दे रहे हैं तो फिर लिमिटेशन की बात एप्लाई नहीं करती। मंत्री जी का जो कहना है मैं समझता हूं वह यहां लागू नहीं होगा चूंकि जो यह कानून बनाया जा रहा है उसके अन्तर्गत खुद ही मियाद दी हुई है। ऐसी हालत में अगर हम दूसरे कानून का फायदा उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। अभी आपने यह बताया कि ६० दिन या ३० दिन इसलिए रखे हैं कि अभी तक निगरानी की मियाद ९० दिन है। हम भी चाहते हैं कि ९० दिन रख लीजिए। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह कानून लागू हो जायगा तो ६० दिन में जिन मुकदमों का फैसला हो गया है उनको तो आप मौका दे रहे हैं लेकिन अगर इसके बाद एक आध दिन बीत जाये तो उनको मौका न दें, यह बात ठीक नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि अगर किसी ने जजमेंट के लिए एप्लाई किया है और अगर वह उसको समय पर न मिले तो उसको मौका नहीं मिलेगा कि वह दरख्वास्त दे सके। ९० दिन साफ तरीके पर दिये गये हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन में भी ऐसी चीज नहीं है जिससे क्लीयर हो सके कि अगर किसी ने जजमेंट के लिए एप्लाई किया है और उसे समय पर न मिले तो वह सेक्शन ५ का फायदा उठा सके। इसलिए मंत्री जी का यह कहना कि ६० दिन पहले जिनका फैसला हुआ है वह लोग निगरानी कर सकेंगे, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। सोने वाली बात कही तो मैं समझता हूं कि ऐसे केस को तो एप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए। यहां तो राइट का सवाल है और उसके लिए कोशिश होनी चाहिए और हमारी अदालतें ओपेन होनी चाहिए। अगर कोई आदमी सही रेमेडी चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। अगर चैक करेंगे तो दिक्कत होगी। अभी आपने देखा होगा कि अपील में कितने मुकदमे ठहर पाते हैं, मुंसिफ के मुकदमे को जज उलट देता है और जज के फैसले को डिस्ट्रिक्ट जज उलट देता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक एक दूसरे के फैसले टूटते रहते हैं। कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो शुरू से आखिर तक एक मान लिया जाय क्योंकि हर तरह के इंटरप्रिटेशन होते हैं। जब कोई फैसला अटूट नहीं रह सकता है तो हमारी अदालतें ओपिन होनी चाहिए। अगर हमारे कानून ओपिन हों तो हर आदमी रिमेडी सोच कर सकता है। निगरानी में एक ला प्वाइंट ही देखा जाता है। अगर मंत्री जी अपील का भी प्रावीजन कर दें तो मैं ज्या पसन्द करूंगा बनिस्बत इसके कि रिवीजन का मामला रखें। आप चाहें १५ दिन रख दें लेकिन जितने फैक्ट्स रिकार्ड पर हैं वह सब अदालत के सामने आ सकें। इसलिए ऐसे मामले जिनमें फैक्ट्स पर बात न हो उसमें इस तरह का अड़ंगा लगाना कि ६० दिन वालों को मौका दिया जाये और ६१ दिन वालों को मौका न दिया जाय, यह ठीक नहीं है।

स्माल काजेज कोर्ट्स केस में कोई लिमिटेशन नहीं थी। इसलिए ३० दिन रखा है ताकि अड़ंगा लगा दिया जाय और लोग निगरानी न कर सकें। अब नई लिमिटेशन लगाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह यादव]

चाहते हैं तो ठीक नहीं है। पिछली भूलें जो हो गई हैं उनको सुधारे जाने का मौका दिया जाना चाहिए कि जहां कहीं गलती हुई है चाहे ६० दिन का हो या ६० दिन के पहले का हो हर आदमी को मौका देना चाहिये। आगे के लिए जो रोक लग रही है वह लगाइये। लेकिन पिछले जो केसेज हैं उनको रेमेडी कटॅल करना उचित नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने प्रैक्टिस छोड़ दिया है इस लिए शायद जो जनता की दिक्कतें हैं उनसे माननीय मन्त्री जी परिचित नहीं होंगे और गांव का जो आदमी है वह आता भी बहुत कम होगा। वह गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा भी है अगर वह किसी दूसरे से पूछ कर मालूम करता है कि फैसले में गलती है तो अदालत में उसको करेक्ट करवाने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, उस पर रोक लगाना उचित नहीं है। "पूर्व" शब्द रखने से उनका भी मंशा पूरा हो जायगा ३० दिन जो उन्होंने रखा है लेकिन पीछे लिमिटेशन नहीं था, यकायक ६० दिन का लिमिटेशन रखने जा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्षा—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति से शब्द "ठीक पूर्व साठ दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "पूर्व" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की चतुर्थ पंक्ति में अंक "तीस" के स्थान पर "नब्बे" रख दिया जाय।

श्रीमन्, अभी तक मैंने बहुत बातें कहीं अब उनका दोहराना ठीक नहीं होगा। आप के इस खण्ड द्वारा एक बहुत बड़ा और जबरदस्त धक्का जनता को लगेगा और रेमेडी पर भी धक्का लगेगा। चूंकि ७ दिन की मियाद हमने रखी है तो ऐसी दशा में ७ जो दिन का रखा गया तो ३० दिन के बजाय यह ९० दिन रखेंगे, तो जो लोग दरख्वास्तें वगैरह नहीं दिये हैं, वे दरख्वास्तें दे सकेंगे और इसका सही फायदा उठा सकेंगे। इससे ऐसे लोगों को कुछ रेमेडी अवश्य मिल जाएगी, समय मिल जायेगा कि वह अपना फैसला कर सकेंगे और अदालतों की गलतियां ठीक करा सकेंगे।

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री सैयद अली जहीर—

३० दिन की मियाद जो निगरानी की रखी गई है वह बिलकुल काफी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां भी जो अपील होती है उसकी भी मियाद ३० दिन की है। इसलिए मैं इसको मान नहीं सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी हर बात में यह कह देते हैं कि निगरानी के लिये पहले ही यह कर दिया है। लेकिन माननीय मंत्री जी यहां पर वह सरकम्सटेंसेज का नहीं खयाल कर रहे हैं कि किन स्थितियों में यह ३० दिन की मियाद रखी गयी है। जो जनरल आपकी लिमिटेशन वह धारा २५ के अन्तर्गत आ जाती है। लेकिन इस वक्त जो कानून लागू होगा उसके ऊपर यह बात है कि जिस रोज यह कानून लागू होगा उसके ३० दिन के अन्दर ही वे दरख्वास्त दे सकेंगे। इसलिये मैंने यह निवेदन किया था कि यहां तो भविष्य के लिये

जाता नहीं यह तो संक्रमण पीरियड के लिये है। मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज है इसमें एक वाइड पब्लिकेशन का हमें मौका देना चाहिये क्योंकि हम बड़ा चेक लगाने जा रहे हैं। एक तो चेक हमारा यह है कि ७ दिन के पहले जिनके निर्णय हो चुके हैं और उनके अन्वर भी जा हो चुके हैं उन पर भी हम लिमिटेशन रखने जा रहे हैं। तो हम कितनी ज्यादती करने जा रहे हैं। ९० दिन का होगा तो लोगों को मालूम तो होगा कि हमारे अधिकार हमेशा के लिये खत्म होने जा रहे हैं। पहले आदमी सोया रहता था जब जानकारी उसे होती थी तो ऐक्शन लेता था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सरकमस्टांसेज दूसरी हैं यानी जो राइट्स हैं आप उनको करटेल करने जा रहे हैं। इसलिये जहां पर करटेलमेंट की बात हो वहां पर आप ज्यादा समय दें ताकि लोग अपनी गलतियों को करेक्ट करा सकें।

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, मैं तो अर्ज कर चुका कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखंड (१) की चतुर्थ पंक्ति में अंक "तीस" के स्थान पर पर "नब्बे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

प्रांविशियल स्माल काज कोर्टस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय :

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।"

आपने श्रीमन्, कह दिया है कि अब चलने दिया जाय तो मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि इसके अन्दर कोई प्राविधान नहीं है कि यह कब से लागू होगा हालांकि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में है कि जिस रोज गजट में होगा उस रोज से लागू होगा। अगर उससे मतलब है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो इसका उपयुक्त पब्लिकेशन हो जाना चाहिये ताकि लोगों को जानकारी हो जाय और इसलिये मैंने इसको रखा है।

श्री सैयद अली जहीर—

जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है जेनरल क्लाजेज ऐक्ट बहुत अरसे से बना हुआ है। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी कानून के लिये मियाद न मुकर्रर हो कि कब से लागू होगा तो यह समझा जायगा कि तुरन्त लागू होगा। तो अब यह इस में लिखने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो वापस ले लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

वापस लेने का सवाल नहीं है क्योंकि जब उसमें है जैसा मंत्री जी कहते हैं तो उसको और भी स्पष्ट रूप में इसमें लिख देने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है। और ऐसे स्पेसिफिक प्राविधान बहुत से विधेयकों में हैं जो इस सदन ने पास किये हैं। मैं उनको दिखा सकता हूं कि यह तुरन्त लागू होगा जिनमें लिखा गया है। अब सरकार को जिद है तो मैं क्या करूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सरकार आपकी बात मान भी ले तो अमेंडमेंट हो जायगा जिससे कोई खास परिवर्तन भी नहीं होता और फिर इस विधेयक को कौंसिल में ले जाना पड़ेगा। इसलिये इसको वापस ले लीजिये तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

वापस लेने का सवाल नहीं है। इसको अपने बहुमत से सरकार गिरा दे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय:

"(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अब तो सरकार की वजह से सदन ने मेरा अमेंडमेंट नहीं माना कि यह तुरन्त प्रचलित होगा। तो जब राज्यपाल की परमिशन मिल जायगी तब क्या पोजीशन होगी?

श्री उपाध्यक्ष—

पोजीशन यह है कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में होने से सरकार ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और हाउस ने भी आवश्यकता नहीं समझी। इसके माने यह नहीं होंगे कि प्वाइन्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम १३९ के (२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि :

"संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से प्रसंगत नहीं होगा"

एक प्रश्न यह है कि यह अधिनियम तुरन्त लागू होगा। जो चीज तुरन्त के लिये मैंने रखी उसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद अगर यह ऐक्ट तुरन्त ही लागू होगा तो जो चीज सदन ने अस्वीकार कर दी वह अब स्वीकार कैसे होगी?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक आपका कहना है चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में यह प्राविजन है इसलिये यहां पर जरूरत नहीं है। यह बात तय कर दी गई। अब इसको जरूरत नहीं है। इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

तहसील व जिला नैनीताल तथा जिला उत्तरकाशी की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४, जिला टेहरी-गढ़वाल की बन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५, जिला अल्मोड़ा की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६५ तथा जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तहसील व जिला नैनीताल की सेटिलमेंट रिपोर्ट १९६३–६४ एवं जिला उत्तर काशी की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४ से सहमत है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा एतराज यह है कि कोई रिपोर्ट अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, पहले भी यह प्रश्न उठ चुका है। हमारे पास इतनी कापी नहीं थीं और इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है। जितनी कापी उपलब्ध थीं वे सब हमने यहां पर स्पीकर साहब के आफिस में भेज दी थीं और लायब्रेरी को भेज दी था। माननीय सदस्यों को वहां से कापी मिल सकती थी और वहां देख कर वह तैयारी कर सकते थे।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे साथ यह ज्यादती हो रही है। यह मोटी रिपोर्ट है। सदन में अगर उसको रख दिया जाता तो माननीय सदस्य उसको देख लेते और तैयारी कर लेते। उसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं होगी तो फिर हम कैसे विचार रखेंगे। अगर उसको प्राप्त होने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर उसकी जानकारी कैसे होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह प्रश्न पहले यहां पर आ चुका है और माननीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी है। इसकी पूरी जानकारी यदि माननीय सदस्यों को करना हो तो लायब्रेरी में जाकर रिपोर्ट देख सकते हैं या स्पीकर साहब के यहां जा कर देख सकते हैं। हमारे पास इतनी कापी उपलब्ध नहीं हैं कि सब सदस्यों को दी जा सके। माननीय सदस्य मेरी रिपोर्ट ले लें, उसको वे पढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य अगर इन्टेरेस्टेड होते तो वे ले सकते थे।

श्री कमला सिंह यादव—

हर साहित्य बराबर पिजन होल्स में मिलता रहा है, हम समझते थे कि आज यह वहां मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

पार्टी आफिस में एक-एक कापी भेज दी गई है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिला टेहरी-गढ़वाल की बन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५ से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिला अल्मोड़ा की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६५ से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६ से सहमत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सेटिलमेंट को लाने का उद्देश्य यह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाकों में जमींदारी उन्मूलन हुआ और भूमि सुधार हुआ तो अन्य जगह पर जहां यह कार्य नहीं हुआ था वहां लोगों को काफी परेशानी थी। जो मध्यवर्ती लोग थे उनसे वहां की जनता परेशान थी। जहां जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ था वहां के लोगों ने यह मांग की कि वहां पर भी यह कार्य हो। वहां पर जनता को काफी परेशानी थी। सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया और यह सोचा कि वहां पर भी जमींदारी उन्मूलन किया जाय और भूमि सुधार आदि की व्यवस्था की जाय। उत्तराखंड में जो जिले पड़ते हैं वहां पर सेटिलमेंट १९०१–१९०२ में हुआ था। हमारे यहां भूमि व्यवस्था में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, जमीन आसमान का अन्तर है। वहां तो जब बन्दोबस्त होता है तभी कागजात में इन्दराज आदि होता है और मालगुजारी में परिवर्तन होता है, परन्तु हमारे यहां मैदानी इलाकों में खसरा, खतौनी आदि का नक्शा हर साल तरमीम होता है। इसलिये सरकार के सामने यह प्रश्न उठा कि वहां की जनता को मध्यवर्ती लोगों से जो परेशानी होती है उससे उनको राहत पहुंचाई जाय और उसके लिये मुनासिब यह होगा कि वहां पहले बन्दोबस्त कर दें। इसलिये यह बन्दोबस्त रिपोर्ट आप के सामने पेश की गयी है।

पहले वहां बन्दोबस्त की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां सबसे पहले १९२४ में टेहरी गढ़वाल में महाराजा की तरफ से बन्दोबस्त किया गया था। लेकिन आप सोच सकते हैं वह जमाना कौन था और आज के वैज्ञानिक युग में तब से आज तक कितना फर्क पड़ गया है। उस जमाने में नाप जोख की कोई व्यवस्था नहीं थी, जब कि अब हमने वहां बन्दोबस्त की व्यवस्था की है, रेकार्ड आपरेशन कराया है। इतनी अवधि में जब तक कि बन्दोबस्त नहीं हुआ, खेती करने वालों ने नजदीक में अपने रकबे बढ़ाये और ५० वर्ष की अवधि में काफी रकबे बढ़ गये। जब रकबा बढ़ा तो मालगुजारी बढ़नी चाहिये। हमने सोचा कि जब जमींदारी का उन्मूलन हो तो अब तक जिनके पास कोई हकूक नहीं थे और जो पामाल किये जा रहे थे, उनको अधिकार देने के लिये केवल एक औषधि हो सकती है कि वहां बन्दोबस्त हो जाय। सन् १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश की सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे कराने के लिये

अपने कम्पिटेंट आफिसरों को वहां भेजा। सन् १९२४ में जब सेटिलमेंट किया गया था तब डोरी से नाप-नाप कर और वह भी जोत का किया गया था। लेकिन इस बन्दोबस्त में जरीब से नापजोख की गयी है और वर्तमान जितने प्रकार के भी विधि विधान हो सकते हैं, उन सबका इस्तेमाल किया और जोत के अलावा मजरूआ तथा गैरमजरुआ, सब जमीनों का सर्वे कराया। कहने का मतलब यह है कि अबकी बार के बन्दोबस्त में वहां का काया-पलट हो गया। अगर कहीं कोई विवाद है, उत्तर काशी और टेहरी-गढ़वाल में, तो वहां के माननीय सदस्य वहां की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कठिनाई बतलाते हैं उस पर हम विचार करते हैं। जैसे बतलाया गया कि कुछ मवाजियात ऐसे हैं जहां मालगुजारी ज्यादा है तो वहां के लिये भी हमने कुछ परसेंटेज तय कर दिया है। इतनी अवधि में जो रकबे बढ़ाये गये उन पर मालगुजारी भी बढ़ेगी। इसी तरह से विकास आदि के जो कार्य हैं उससे भी उनको लाभ पहुंचे, इस पर सरकार सोच रही है और लगान आदि के प्रश्न पर भी गौर कर रही है कि किस तरह से उनको राहत पहुंचे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिरतान किसान जो थे उनको पहले कोई हकूक नहीं थे, लेकिन इस बन्दोबस्त के जरिये अब उनके हकूक सुरक्षित कर दिये गये हैं ताकि अगर जमींदारी उन्मूलन हो तब भी वे अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें। इसी तरह से हिस्सेदार अगर भूमिधर बनना चाहें तो बन सकते हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कल जब बिजनौर का मामला चल रहा था तो हाथ पकड़-पकड़ कर बाहर कर रहे थे। आज तो इनका बिल है, ये हाजिर रहें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने जो कल कहा था वह आज लागू होता है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकुमार शास्त्री--

उपाध्यक्ष महोदय, तो बन्दोबस्त करने का क्या मतलब था, क्या मकसद था। वह बन्दोबस्त अब पूरा हो गया है। हमारे विभाग ने काफी दक्षता और परिश्रम से जितना मुमकिन हो सकता था वहां की नाप-जोख करके इस काम को पूरा किया है। मालगुजारी की दर वगैरह का जिक्र किया जाता है। पुरानी जो मालगुजारी की दरें थीं, उसमें फर्क नहीं किया गया है। अगर फर्क करते तो आजकल की जो कीमतें हैं उसमें फर्क हो जाता। लेकिन उन लोगों की सहूलियत की वजह से ऐसा नहीं किया गया। गढ़वाल और उत्तर काशी के विषय में विचार कर रहे हैं कि जहां जायद मालगुजारी हुई हो उसके रियलाइजेशन को रोक दें। इसलिये हमें आशा है कि हमने जो सेटिलमेन्ट की रिपोर्ट पेश की है उससे सदन सहमत होगा।

श्री कमलासिंह यादव--

मान्यवर, कुछ कहने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो सेटिलमेन्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वहां कितने एकड़ जमीन है और कितना लगान का रुपया है?

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैं अलग-अलग ब्यौरेवार हर तहसील और हर परगने का बता देता हूं--तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल- ७ परगने--५०७ गांव हैं। कृषि की भूमि का क्षेत्रफल.....

श्री कमलासिंह यादव--

यह तो आप पोथा पढ़ रहे हैं। कितनी भूमि है, बस में यही चाहता हूं ज्यादा नहीं सुनना चाहता, और कितना लगान है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

श्रीमन्, इसमें पांचों जिलों का ब्यौरा लिखा हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं सारी रिपोर्ट बता दूंगा।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं उस पर बहस करने जा रहा हूं और शास्त्री जी कहते हैं कि मैं दे दूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैं तो दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

वे तो कह रहे हैं कि कितनी भूमि और कितना लगान है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह तो ख्याल था नहीं कि माननीय सदस्य इस ब्योरे में जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके पास टोटल लगा हुआ नहीं मालूम होता है। ऐसा है कि इस वक्त टोटल हर तहसील का नहीं, विलेजेज का है। उसको जोड़ने का वक्त है नहीं।

*श्री कमलासिंह यादव--

जहां तक इस सेटिलमेन्ट का सवाल है श्रीमन्, मैं तो यह सुनना चाहता था पहिले कि हमारे कितने सदस्य उत्तरखंड के होंगे, उनकी जानकारी हासिल हो जाती है और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वहां की जो हालत होगी वे सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि सही जानकारी हमें हो सके। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जो सर्वे डिपार्टमेन्ट है, वह इतना गलत और अनरिलाइबिल है कि और कोई दूसरा विभाग नहीं होगा। मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि पहले रस्से से जमीन नापी जाती थी, हमने उसको जरीब से नापा है। अंग्रेजों के जमाने में जिस जरीब पर गौरव किया जा सकता था, जो एक-एक इंच तक सही कही जा सकती थी वह आप के जमाने में जहां आपने चकबन्दी कराई है, अगर उसको आप ही फिर नपवा लें तो कभी भी ठीक नहीं बैठ सकती है। यह जरीब का आज उपहास हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जो जरीब और दूरबीन से सेटिलमेंट होता था और उनसे जो नक्शे खींचे जाते थे उनमें कहीं कोई फर्क निकाल नहीं सकता था। लेकिन आजकल आपका जो सेटिलमेंट हो रहा है वह बिलकुल गलत हो रहा है। जिस प्रकार आपने चकबंदी में करेक्शन की छूट दी है अगर इसमें भी दे दी तो वह सारा इलाका मर जायगा। अभी तो चकबन्दी हुई है, लोग वहां खुश होंगे लेकिन देखियेगा थोड़े दिन बाद रोयेंगे।

अब मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां सेटिलमेंट होता है, वहां नक्शा बनाया जाता है लेकिन नक्शे जो बनते हैं उसके छपने में बहुत गलतियां होती हैं। जब प्लेन्स में ही नक्शों के बनने में और छपने में बहुत-सी गलतियां हुई हैं हमारा नम्बर जहां आप बैठे हैं वहां है और रख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी जगह दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस सेटिलमेंट द्वारा जो नक्शे वहां तैयार हुये हैं वह जनता के देखने के लिये आम जगहों पर रख दिये जायं ताकि गांव के लोग उनको देखकर अपने-अपने नम्बर को दिखा सकें और गलती हो तो उसको दुरुस्त करा लें। वह रकबे की लगान की दुरुस्ती करा सकें। इस तरह से गांव के लोगों की गलतियां जो नक्शे लगान की हैं वह दुरुस्त हो सकती हैं और उन का लाभ हो सकता है। अगर प्लेन्स की तरह ही गैरजिम्मेदार तरीके से वहां भी नक्शे और लगान लगाये गये हैं, तो उससे किसान का नुकसान होगा। अगर उत्तराखंड में यही हुआ तो वह एक उपहास होकर रह जायगा।

मैं इन्दराज और लगान के बारे में भी कहूंगा कि जहां भी मध्यवर्ती लोग रहे हैं वहां लगान के बारे में बहुत सी दिक्कतें रही हैं। हमारे पूरे प्रदेश में मध्य के तीन चार जिले छोड़कर कहीं पर कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है जहां से आदमी अपनी जीविकोपार्जन कर सके और सबको खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सन् ५२ से मैंने पन्त जी के जमाने से देखा है कि वह नैनीताल और रानीखेत का लोगों का जाना नहीं रोकते थे और उनकी नीति थी कि वह लोगों को प्रोत्साहन देते थे कि लोग गर्मी में वहां जायं, वह कहते थे कि इस का लाभ यह होगा कि यहां के लोग वहां की स्थिति को समझ सकते थे और वहां के लोग भी यहां के लोगों की बातें समझ सकते थे और इस तरह से विचार का आदान-प्रदान हो जाता था और पहाड़ के लोगों को इससे कुछ आय भी हो जाती थी। यह बहुत बड़ी चीज थी जिसको पन्त जी ने लोगों के सामने रखा और लोगों को पहाड़ जाने से कभी नहीं रोका लेकिन आज तो अधिकारी मंत्रिगण और बड़े-बड़े लोग ही पहाड़ जा सकते हैं और माननीय सदस्यों का जाना तो रुक ही गया है। तो मैं कह रहा था कि क्योंकि पहाड़ में उद्योग न होने से लोगों का जीवन केवल खेती पर ही निर्भर रहा और इसलिये वहां छोटे-छोटे खेत होते थे। इसके फलस्वरूप जब वहां के लोगों के पास कोई अन्य जीवकोपार्जन का जरिया न रहा तो खेतों की ही मुख्यतः मांग रहती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो जमींदार होते थे वह अधिक खेतों की मांग होने पर खेतों को नीलाम करते थे और ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करते थे और फिर उन खेतों का सबलेटिंग होता था। इस तरह से अहिस्ता आहिस्ता वहां लगान बराबर बढ़ता गया। मंत्री जी कहते हैं कि वहीं हमने पहले का लगान वहां रखा है और कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। वहां पर लगान पहले से ही बहुत अधिक है और जो सरकिल रेट वहां है वह बहुत ज्यादा है पिछले मध्यवर्तियों के कारण से वह घटना चाहिये।

दूसरे जहां तक प्लेन्स का सम्बन्ध है वहां पर चकबन्दी में यह भी हुआ है कि किसी आदमी का एक ही खत है तो उसका एक भाग तो भूमिधरी में है और दूसरा भाग सीरदारी में है। भूमिधरी का लगान कम है और सीरदारी का लगान १५ और १६ रुपये तक है और जहां रिकार्ड नहीं है वहां तो १०० रुपया और १५० रुपया प्रति एकड़ तक है, जहां श्री कृष्णानन्द जी रहते हैं वहां तो लोग १५० रुपया प्रति एकड़ तक देते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो किसान १५० रु० प्रति एकड़ पर जमीन लेकर जोतेगा वह तो लगान भरते-भरते मर जायगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जहां पर हों, जो कि जमींदारी की वजह से हुआ करती थी या अब नीलाम की प्रणाली से हो जाय उसको समाप्त करना चाहिये। वहां पर लगान हाई हो गया है तो उसको कम कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति एक्चुअली खेती करता है वह फायदा उठा सके। इससे यह भी फायदा होगा कि हर व्यक्ति खेती करने में अधिक रुपया लगायेगा और अधिक से अधिक अन्न भी पैदा करेगा। इससे आपके अन्न की समस्या भी हल होगी और वह व्यक्ति भी उन्नति करेगा।

प्लेन्स में हमने अभी तक यह भी देखा है कि जो आदमी गांव में मजदूरी करते थे, उनको अन्न के रूप में हम मजदूरी देते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो उपज है वह बहुत थोड़ी होती है। किसानों की हालत भी ऐसी है कि जितना कम हो सके, उतना ही कम दिया जाय। आपने सुना भी होगा कि पूर्वी जिलों में गोबर से जो गोबरगैस निकलता है वह ही सेलिहर

[श्री कमलासिंह यादव]

मजदूरों को दिया जाता है। वे आदमी जो दिन की मजदूरी के लिए प्रातः से शाम तक काम करके केवल २ आने या एक पाव अन्न पर मजदूरी करते हैं, रात में भूखों करवटें लेते रहते हैं, यहां तक कि उनके बाल बच्चों को भी भर पेट भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है शहर की ओर भागने का प्रयास करते हैं। नतीजा यह होता है कि जो गांव के मजदूर हैं वे शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। वे यहां पर रिक्शा खींच खींच कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लखनऊ में भी यदि आप देखें और पूछें तो आपको विदित होगा कि रिक्शा चालक लखनऊ के बहुत कम हैं। अधिकतर लोग गोरखपुर, बस्ती और बलिया आदि जिलों के गांव के रहने वाले लोग हैं। वे यहां पर रिक्शा चला कर ३–४ और ५ रुपये पैदा कर लेते हैं। तो गांवों में बहुत कम मजदूर रह जाते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो गयी है। दूसरे वहां पर उद्योग धन्धे भी नहीं हैं। इसलिए भी वे लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। आज आप अधिक अन्न उपजाऊ योजनायें चला रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि जब आपके गांवों में मजदूर ही नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से अधिक अन्न उपजेगा। अतः सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए। अगर उत्तराखंड में भी मजदूर लोग नहीं मिलते हैं और वहां पर भी लोग गांवों में न रह कर वे प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ, आगरा और कानपुर में रहना पसन्द करते हैं तो यह एक अच्छी चीज नहीं है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक रकबे के बढ़ने की बात है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रकबा बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मालगुजारी भी बढ़ी है। वह भूमि जो बेकार पड़ी हुई अगर वहां के लोगों ने उसे तोड़ कर खेती के लायक बना दिया है तो सरकार को यह चाहिए कि जैसा कि उन्होंने प्लेन में भी किया था उस जमीन के ऊपर लगान छोड़ दिया जाय और बाद में जब उसमें अच्छा पैदा होने लगे तब उस पर मालगुजारी ली जाय। जो पहाड़ों में नौतोड़ भूमि होती है उसे बहुत परिश्रम के बाद खेती लायक बनाया जाता है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि आरम्भ में उन्हें छूट दी जाय। अगर अधिक लगान हो जायगा तो वे लोग निरुत्साहित हो जायेंगे और वे अधिक पैदा करने में मन नहीं लगायेंगे और अधिक पैदावार नहीं हो सकेगी। उनको कोई बखल नहीं करेगा। इसका नतीजा यह होगा कि जमीन के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ेगी और लोग मेहनत करेंगे अधिक अन्न उपजेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि नवतोड़ जमीन के लगान के बारे में मंत्री जी थोड़ी राहत दें।

सीरदार का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पुश्त दर पुश्त से जोत रहे हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई। और प्लेन्स में तो जहां के माननीय कृष्णानन्द राय हैं, यह देखा गया है कि सैकड़ों वर्ष से जमीन को जोत रहे हैं लेकिन पटवारी या लेखपाल नाराज हो गया तो उनका नाम कागज के अन्दर नहीं आया। आप जानते हैं कि गांवों में पार्टीबन्दी काफी है। जोतता दूसरा है और दूसरे का लोग लिखाना चाहते हैं। यही भावना पहाड़ों और मैदान में पायी जाती है। इसलिये जहां पर लोगों के नाम का इन्दराज नहीं हुआ है वहां पर जिन लोगों का सचमुच कब्जा हो उन्हीं लोगों का कब्जा मंत्री जी दर्ज करायें। इससे लिटिगेशन कम होगा। अभी मैंने लगान के बारे में बताया। जमींदार जो नीलाम करता था खेतों को तो बहुत ज्यादा लगान उसका बढ़ गया और सीरदार जिनकी एंट्री है अगर उनके नाम से कोई भी लगान है तो वह काफी है और उसका १० गुना जब आप मागेंगे तो वह बहुत काफी होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सेटिलमेंट हो गया सर्किल रेट या रोस्टर रेट के मुताबिक आप सब जमीनों का रेट फिक्स कर दीजिये। अगर सर्किल रेट का १० गुना लेते हैं तो ज्यादा बुरा नहीं होगा प्लेन्स में सीरदार का लगान कहीं कहीं रोस्टर रेट के दुगने से भी अधिक है तो जहां दुगने से अधिक है वह तो देता चला आया लेकिन जब तक दरख्वास्त न दे तब तक उसका रेट रिड्यूस नहीं किया गया। नतीजा यह है कि ऐसे लोग इस दिक्कत में फंस जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां रोस्टर रेट के दुगने से ज्यादा लगान दे रहे हैं वहां पर सेटिलमेंट के वक्त ही आप करेक्ट करा दें ताकि रोस्टर रेट के बराबर हो जाय।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक सीरदारी का सवाल है उक्त रोस्टेड रेट्स लगान है इसे खत्म करना चाहिये। रोस्टेड रेट से सारी जमीन का इन्तजाम कर दिया जाय ताकि कोई जमीन झगड़े वाली न हो। जो सीरदार अधिवासी पहले थे जो उनका लगान पहले था १५, २० साल का लगान सी० एल० आर० डी० के जरिये लिया गया जबकि वह जमींदार तथा असली काश्तकार को लगान देता था और ये बातें दोहराई न जायं ताकि किसान परेशान न हो।

एक बात यह है कि जब चकबन्दी हुई तो गांव की आबादी के लिये कुछ जमीने छोड़ी गयीं। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में जहां लोगों की झोपड़ियां अथवा मकान बने हुए हैं वहां इतनी काफी जमीन छोड़ दी जाय कि भविष्य में जो खानदान रह रहे हैं, उनके खानदान में लोग बढ़े तो उनको जमीन मिल सके। यह न हो कि उनका उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़े। गांव समाज के लिये भी दिक्कत न हो। लोगों की जमीन निकाल कर सेटिलमेंट करने का सवाल पैदा हो यह सब बातों की नौबत न आये इसलिये पहले से ही जमीन छोड़ दी जाय। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेटिलमेंट हुआ है इस सम्बन्ध में बजट के अवसर पर भी मैंने वहां की कठिनाइयों तथा परेशानियों का जिक्र किया था, मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, जिनसे मैं दिखाना चाहता हूं कि टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी जो जिले हैं वहां के लोगों पर अन्याय हो रहा है। आप देखेंगे इन सेटिलमेंट रिपोर्ट्स में टिहरी गढ़वाल में पड़ता, १ रुपया ४५ पैसे उत्तरकाशी में १ रुपया छ पैसे, पिथौरागढ़ में ७५ पैसे, पौडी गढ़वाल में ६६ पैसे, नैनीताल में १ रुपया ४ पैसे अल्मोडा में ८० पैसे हैं अगर आप अल्मोडा, ननीताल, पिथौरागढ़ और गढ़वाल की परिस्थिति का मुकाबला टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी से करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सब तरह से पिछड़े हुये हैं फिर यह ध्यान देने की बात है कि हमारे यहां इतनी ज्यादा पडत मालगुजारी १ रुपये ४५ पैसा या १ रुपया ६ पैसे क्यों है?

१९२४ में जब यहां रजवाड़ा था तो एक सेटिलमेंट हुआ था, यह सेटिलमेंट कोई वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ था जो सेटिलमेंट आफिसर चाहते थे वही होता था, इसका एक दृष्टान्त मैं आपको दूंगा। एक गांव में वहां १ रुपया मालगुजारी पड़त लगायी गयी और पड़ोस के दूसरे गांव में ४ रुपया की पड़त रखी गई। पहले गांव वालों ने सटिलमट आफिसर को खुश कर दिया तो उनकी कम हुई दूसरे गांव वालों ने खुश नहीं किया इसलिये उनकी बढ़ गयी। मनमानी मालगुजारी लगायी गयी। इसमें यह बात भी थी कि महाराजा साहब यह चाहते थे कि हमारी आमदनी ज्यादा हो, ऐसा कोई उद्योग वहां नहीं था जिससे महाराजा साहब को आमदनी हो सकती थी। यही एक जरिया था जिससे आमदनी हो सकती थी। माल-गुजारी बढ़ायी गयी उस वक्त बगावत हुई जंगलात और मालगुजारी के विरोध में रवाई काण्ड हुआ। लोग गोली से मारे गये। फिर सन् १९४७–४८ में भी वहां बगावत हुई। अन्तरिम मिनिस्टरी बनी। हम लोगों ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम मालगुजारी की पडत वही रखेंगे जो गढ़वाल में है। पहले गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एक रजवाडा था। १७३ वर्ष के करीब हुये जब गढ़वाल अलग हुआ था टिहरी गढ़वाल से। उस वक्त से गढ़वाल ने ब्रिटिश शासन काल में थोड़ी बहुत तरक्की की, लेकिन रजवाड़ा होने की वजह से हम लोग पीछे रह गये। आप देखेंगे कि नैनीताल और अल्मोड़े में जितने हाई स्कूल हैं उसके १/१० भी हमारे यहां नहीं हैं, वहां जितने जूनियर हाई स्कूल हैं उसके आधे पर भी हम और २० वर्ष में नहीं पहुंच पायेंगे। मोटर सड़कों में तो हम वहां की बराबरी कर ही नहीं सकते। हमारी हालत यह है। उद्योग हमारे यहां कुछ नहीं हैं। गढ़वाल में थोड़े बहुत हैं भी। नैनीताल और अल्मोड़े में उद्योग काफी आगे बढ़ा है। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आमदनी ८४ रुपये है। हिन्दुस्तान

[श्री कुण्वर्सिह]

में सबसे कम। यह कहा गया कि हमारी मालगुजारी पड़त इस बन्दोवस्त में नहीं बढ़ायी, ठीक है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब हम विलीन हुये थे इस उद्देश्य से कि हिन्दुस्तान एक हो। उस वक्त हमने पन्त जी से कहा था कि देखिये हमने लोगों को आश्वासन दे रक्खा है कि मालगुजारी पड़त हमारी वही रखी जायगी जो पौड़ी गढ़वाल की है। मैं भी वहां मिनिस्टर था और रेविन्यू मेरे अन्डर था। उन्होंने कहा कि रेकार्ड आपरेशन्स होने दीजिये तब पड़त वही रखी जायगी। यानी पौड़ी गढ़वाल के स्तर पर लाई जायगी। बन्दोवस्त हो गया। पडत वही पुरानी रही। आखिरकार लोगो ने इतनी बगावत की है। इतने लोगो को मारा गया है उत्तर प्रदेश के साथ हम आये हैं, इसलिये आये हैं कि हमें राहत मिलेगी। लेकिन आज तक हमें राहत नहीं मिल पाई है। हमसे पूछा जाता है कि ६६ नये पैसे पड़त कैसे लायी जावे। मैंने उनसे कहा है कि आप ६६ नये पैसे यहां लगाइये, हम आपको हिसाब बता देंगे। यह भी सत्य है कि हर गांव की पड़त अलग-अलग है। इसलिये सवाल यह था कि उसे कैसे निकाला जाय। मैंने कहा कि अगर पड़त १ रुपया ४५ पैसे टिहरी गढ़वाल की है और ६६ पैसे वहां की जाय तो उसी प्रोपोर्शन से हर गांव की पडत निकाली जा सकती है।

उदाहरण---पड़त एक गांव की चार रुपये है और एवरेज जिले की एक रुपया ४५ पैसे पडत है अगर एवरेज पड़त जिल की ६६ पैसे की जावे तो क्या उस गांव की पडत होगी। इस तरह से हर गांव का पड़त निकल सकती है। रेविन्यू सेक्रेटरी साहब बड़े मेहरवान हैं और वे भी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बार बार यहां कहा है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। सरकार ने हमारी आवाज सुनी है और ऐलान किया है कि बढ़ी हुई लगान की वसूली फिलहाल रोक दी जावे। उसके लिये हम उनके आभारी हैं। हमें मालूम है कि सरकार राहत देने जा रही है लेकिन मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि इससे लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे और न कठिनाई दूर होगी। अगर आप यह करते हैं कि जहां जिन गांवों में ११ रुपये, ८ रुपये या चार रुपये का दर है केवल उसको कम कर दें।

इसकी वजह यह है सेटिलमेंट में कई प्रकार की जमीन दिखाई गई है तालाब, अव्वल, दोयम, और इजरान कटील। बन्दोवस्त में बहुत तायदाद में इजरान कटील जमीन को दोयम में बदला गया। अव्वल जमीन को तालाब में डाल दिया। दोयम जमीन को अव्वल में डाल दिया है। ७५ फासदी जमीन को तालाब में डाल दिया है। आपने हमारे यहां ५, ६ नहरें बना दी हैं और जो जमीन इन नहरों के नीचे आ गयी है उसको तालाब में डाल दिया है। मैंने कहा कि जब तक नहरें ठीक नहीं हुई तब तक ऐसा मत कीजिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहरें अभी इस्टैबिलाइज नहीं हो पायी हैं। इनके इस्टैबिलाइज होने में कई साल लगेंगे। आप कहते हैं कि जमीन में तरक्की हो गयी है इसलिये किसम बदली गई। ऐसी बात नहीं है। वहां के लोग हर साल बड़ी मेहनत करके जमीन ठीक करते हैं आपने रद्दी जमीन को अच्छी जमीन में डाल कर वहां का रेवेन्यू को बढ़ा दिया है। इस ओर सरकार को गौर करना चाहिये। यह सीमान्त इलाका है। जो कुछ आपने वैज्ञानिक तरीके से नाप से जमीन का रकबा बढ़ा दिया है। उसके लिये वहां के लोगों का दिमाग अभी तैयार नहीं हैं। इसलिये आप अभी धीमे चलिये।

मेरा निवेदन है कि अगर सरकार केवल कुछ गांवों की पडत को कम कर देती है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप पड़त दोनों जिलों की गढ़वाल के बराबर नहीं ले जायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जहां तक जमीन की किस्म के बारे में है। आप अल्मोड़ा गये हैं, नैनीताल गये हैं आपने देखा होगा कि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है वहां की सेटिलमेंट रिपोर्ट में इसका जिक्र है लेकिन टिहरी, उत्तरकाशी की जमीन उतनी अच्छी नहीं है फिर भी यहां की पड़त उनसे ज्यादा है। अगर आप हमारे यहां पड़त कम नहीं करेंगे तो लोगों में असन्तोष बढ़ जायगा।

असन्तोष हमारे लिये खतरनाक होगा। सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा होगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि गढ़वाल की पड़त के मुताबिक यहां की पड़त कीजिये। उसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

श्री त्रेपनसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने टेहरी गढवाल तथा अन्य पर्वतीय जिलों के सेटिलमेन्ट की रिपोर्ट के ऊपर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, लगान की जो समस्या है उत्तरकाशी और टेहरी गढवाल के लोगों की बुनियादी समस्या है। जैसा कि अभी श्री कृष्णसिंह जी ने कहा समय समय पर वहां के लोगो ने आन्दोलन किये हैं क्योंकि महाराजा के जमाने में मनमाना लगान किसानों पर लगा। लोगों ने इस पर ऐतराज किया लेकिन उस समय उनकी सुनवाई नहीं हुई। १९४५ और १९४७ के दर्मियान महाराजा ने बन्दोबस्त शुरू किया। उसको लेकर आन्दोलन शुरू हुआ और आखिर में वहां के लोगों ने आजादी हासिल की। उसके बाद १७–१८ महीने तक वहां इंटरिम गवर्नमेन्ट बनी थी जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर काशी और टेहरी गढवाल जिले मर्ज हो गये। उस समय सरकार ने वादा किया था कि वहां की जनता को अन्य जिलों के समकक्ष लाया जायगा। उनको विशेष सुविधाएं दी जायंगी। लेकिन अफसोस है कि कोई विशेष सुविधा नहीं दी। जो महाराजा के जमाने में लगान बढ़ा था उसको घटाने के बारे में कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया जबकि कहा गया था कि इस लगान की पौड़ी गढवाल के समकक्ष लाया जायगा। हमारी भी यही मांग थी जो बार बार हमने सामने रखी। लेकिन सरकार इस मांग को स्वीकार करने में आगे नहीं आ रही है। मैं निवदन कर दूं कि इस समय जो सेटलमेन्ट हुआ उसको सही नहीं कह सकते। मैदानी इलाकों में अमीन से जो ७५ माली की कारगुजारी ली जाती है वही पहाड़ी क्षेत्र के लिये कायम कर दी जो कि नामुमकिन है। उसको कोई भी बढिया से बढिया अमीन पूरा नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों में मेजरमेन्ट हो सकता है २५–३० नाली तक। जब उनको ७५ एकड़ दिया गया तो रात को पुराने नक्शे और सेटिलमेन्ट रिपोर्ट सामने रख कर ७५ नाली पूरा कर देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक सही रिपोर्ट होगी।

हम चैलेंज करते हैं कि एक गांव का भी बन्दोबस्त सही नहीं है। जो पहले जमाने का लगान था उसी को मान कर आज हमारा लगान बढ़ रहा है। जमीन का क्लासिफिकेशन भी बदल दिया गया। लोगों को पता नहीं चला यह किस किस्म की लैन्ड है, इर्रीगेटेड है, बोयम है या सोयम है, इसका पता उन्हें नहीं चला और सारा लगान बढ गया। मैं तो निवेदन यह करूंगा और सरकार से यह मांग करूंगा कि पौढी गढवाल में भी ऐसा हो जैसा टेहरी गढवाल में हुआ था। सन् ३०–३१ में पौढ़ी गढवाल का लगान बढ़ा था और इस प्रकार के करीब ८०–९० हजार रुपया बढ़ गया था। जो सेटिलमेन्ट आफिसर थे उन्होंने दुरबीन से देखकर बढा हुआ लगान तय कर दिया था और लगान बढ़ा दिया गया था और लेकिन जब कांग्रेस सरकार शक्ति में आई और पन्त जी थे तो उन्होंने उसे बिलकुल खत्म कर दिया था और मैं आज वही बात इस सरकार से निवेदन करता हूं कि जो अन्दाज से सामन्तशाही के जमाने में लगाया गया था वह खत्म कराया जाय तथा पौड़ी गढवाल की तरह ही लगान हम पर भी किया जाए। महाराजा ने ६० हजार रुपये के ऋण के बदले में पौढी गढवाल को टेहरी गढ़वाल के राजा ने अंग्रेजों को दे दिया था। तब से वह दोनों अलग अलग हो गये थे नहीं तो उसके पहले एक ही में थे। इन दोनों की जमीन एक सी है, दोनों में एक सी पैदावार है, दोनों के निवासियों का एक सा रहन-सहन है, एक सी समस्यायें हैं और दोनों स्थानों की ऊंचाई निचाई भी एक सी ही हैं। इस-लिये मैं चाहता हूं कि इसको भी उसके समकक्ष अब लाया जाये। हमें खुशी है कि फिलहाल जो बढ़ा हुआ लगान था वह सरकार ने रोक दिया है और पुराना लगान ही वसूल किया जा रहा है। अब मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि जब तक हमारा लगान पौढ़ी गढ़वाल के बराबर नहीं होगा तब तक हम लोगों को सन्तोष नहीं होगा।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सेटिलमेन्ट रिपोर्ट टेहरी जिले की पेश हुई है, उसके संबंध में मैं अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सेटेलमेन्ट आज टेहरी में हुआ है वह सेटिलमेन्ट सिर्फ कागजों में हुआ है और यह बात सही है जैसा कि अभी त्रेपनसिंह जी ने कहा है कि उन्होंने खेतों खेतों पर जाकर, मौके पर जाकर पूरे खेत नापे नहीं हैं, बल्कि पुराने रिकार्ड के मुताबिक ही उन्होंने नकल कर दी है। केवल यह किया है कि जो मींड होती है, उसे देखकर उसे निकालकर एक खेत के तीन खेत के नम्बर डाल दिये हैं। परन्तु जहां तक सेटिलमेन्ट आपरेशन का प्रश्न है, सेटिलमेन्ट आपरेशन और रेकार्ड आपरेशन में फर्क है। रेकार्ड आपरेशन में उसके ऊपर रकम तस्दीक की जायेगी, जिस तरह कि पहले जमाने से चली आ रही है और सेटेलमेन्ट आपरेशन के माने यह हैं कि जो जमीन नापी जायेगी, उस पर दूसरे रेट से रकम तस्दीक की जायेगी, इसलिये इसे कहा गया सेटिलमेन्ट आपरेशन। लेकिन यह सेटिलमेन्ट आपरेशन केवल रकम नापने का हुआ है। यह बात कतई सही है और दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि सरकार देखना चाहे और माननीय मंत्री जी हमारे साथ चलें और मौके पर चलकर जिन खेतों का सेटिलमेन्ट हो चुका है उनके रिकार्ड को लेकर मौके पर जांच करें तो आपको फौरन पता चल जायेगा कि वहां पर कोई मेजरमेन्ट आन दी स्पाट हुआ ही नहीं है। यह बड़ी भारी कमी इस सेटिलमेन्ट की है।

जहां तक उत्तर काशी और टेहरी गढवाल का संबंध है, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि जो सदस्य टेहरी से आये हुए हैं जानते हैं कि उसमें बाउन्ड्री का डिमारकेशन भी हुआ है। उसकी हालत बहुत बुरी है, अगर आप लोग उसको मौके पर देखें तो आप समझ सकेंगे कि इतनी तकलीफ है यहां के लोगों को और उन्हें सरकार की तरफ से इंसाफ नहीं समझा गया। यह हालत जो गांव की बाउण्ड्री की है यह राजाओं के पुराने जमाने से चली आ रही है। वहां पर फारेस्ट पिलर्स की भी बड़ी खराब हालत है वह गांव के चौराहे पर लगाये गये हैं। उसके बाहर जाने के बाद ट्रेस्पास हो जाता है और उन लोगों का चालान किया जाता है और उन लोगों का चालान किया जाता है। मैं कुमायूं फारेस्ट कमेटी का मेम्बर था। मैंने देखा कि फारेस्ट पिलर्स इतने ज्यादा थे कि गांवों में चलने फिरने तक की जगह नहीं रखी गयी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, अब यह कब तक बरदाश्त किया जाय। कितनी दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि कोरम को पूरा रखने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं होता।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह तो लीडर आफ अपोजीशन की भी जिम्मेदारी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम चाहते हैं कि जब आज लिटरेचर हमको नहीं मिला है तो आज इसे स्थगित कर दिया जाय और फिर जब कोरम हो तब इस पर विवाद हो और हमारे पास लिटरेचर भी हो।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। अपोजीशन की जिम्मेदारी नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सचमुच हमें श्रीमन्, बहुत दुख है। हम तो पहाड़ के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे, सीमा के इलाके में हम उत्थान चाहते हैं राज्य के विलयन के बाद प्रदेश में सरकार ने आश्वासन दिये थे वे पूरे नहीं हुए, उनके बारे में कहना चाहते थे लेकिन हमको लिटरेचर नहीं दिया जाता। यह तो हमारे साथ अन्याय किया जाता है और फिर हम कार्य करते हैं यह आप खुद ही देखिये कि क्या हो रहा है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं तो समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को स्वयं उत्तरकाशी और टेहरी का दौरा करना चाहिये। वह गयीं भी लेकिन उनका ध्यान शायद मौके पर नहीं दिलाया गया कि किन एक्स्ट्रीम डिफीकल्टीज में वहां की जनता इन फारेस्ट पिलर्स के कारण है। उत्तरकाशी में एक सरकारी डाकबंगला है उसकी सड़क के दोनों तरफ जो अच्छी उपजाऊ जमीन है उसको फारेस्ट वालों ने पिलर्स से घेर रखा है, उन लोगों के रहने के मकान और चौकियां भी इन पिलर्स से घेर रखी हैं। मैंने सरकार से दरख्वास्त की कि आजादी होने के बाद तो कम से कम वहां के लोगों को आजादी से सांस लेने का मौका मिलना चाहिये। जो पुरानी सड़ी-गली व्यवस्था थी वही गुलाम बनाये रखने वाली प्रथा आज भी चल रही है। हमारी दरख्वास्त पर कुछ जरीब उन फारेस्ट के पिलर्स को हटाया गया परन्तु मैं समझता हूं कि यह एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है और लोग अपनी आजीविका खेती-बारी से करते हैं और अगर खेतीबारी करना है तो पशु रखना होगा। उसके बगैर खेती-बारी हो नहीं सकती। इस ओर सरकार की ओर से कदम उठाया जाना नितान्त आवश्यक है। उन लोगो के जानवरों के चुगाने के लिये और उन लोगों के जमींग के विस्तार के लिये कुछ न कुछ गुंजायश जमीन के डिमारकेशन में अवश्य रखनी चाहिये। परन्तु जैसा मौजूदा बाउन्डरी डिमारकेशन हुआ है उसमें मनुष्य के भविष्य के जीवन के साधन के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आबादी को जमीन से काफी डिस्टेन्स पर इनको हटा देना चाहिये। अगर ये दूर होंगे तो तभी गांव के लोगों को जिन्दगी में सुविधा से रहने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि सरकार इसको जानती है कि हर स्टेट का जब मर्जर हुआ था तो टेहरी की जनता का बहुत शोषण होता था। उसी के कारण टेहरी की जनता ने पहले ही विद्रोह कर दिया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि टेहरी स्टेट पहले ही लिक्विडेट हो गई थी। टेहरी के जो राजा थे वह बड़ी बेदर्दी के साथ इन्सान को इन्सान नहीं समझते थे। वे इन्सानों को गुलाम समझते थे क्योंकि टेहरी के राजा अंग्रेजों के गुलाम थे तो टेहरी की जनता अंग्रेजों के गुलाम राजा की गुलाम थी। उस गुलाम जनता का जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था क्योंकि जो जमीन का बढ़ा लगान था वह कायम रहता चला आया था। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया तो हर एक इन्सान को आजाद तरीके से रहने का अधिकार है। पहले से उनके अन्दर जो गुलामी की भावना जमी हुई है उसको हमें और आपको दूर करना है। पुराने सड़े गले जो कायदे और कानून हैं उनको हमें बदलने की आवश्यकता है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज जो वहां पर बढ़ा हुआ लगान है उसको चौथाई भी रहने की जरूरत नहीं है। अगर उसका गढ़वाल से मुकाबला किया जाय तो यह टेहरी के लोगों के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार है। यह उनके साथ अन्याय होगा और असेसमेन्ट आफ रेविन्यू को रिवाइज नहीं किया गया क्योंकि वह गुलामी के जमाने का लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर गुलामी और आजादी के देश में रहने का क्या अन्तर हो सकता है। अगर उनके साथ रियायत की जाय

[श्री चन्द्रसिंह रावत]
तो तभी उनको मालुम होगा कि हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारी हुकूमत आजाद है। तभी हम यह महसूस कर सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं।

मैं आपको बतलाऊं कि जिस वक्त मैं उत्तरकाशी गया तो जंगल के ट्रैक से चार जानवर निकल गये। वहां से जाने पर उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है। वे चार बकरियां उस रास्ते से निकलीं। वहां पर किसी बकरी ने २, ४ पत्तियां भी चबा लीं। तो रेन्जर साहब ने उत्तरकाशी में उनको कैद कर दिया। वे रात भर बन्द रहीं। एक साहब ने मुझे बतलाया कि पत्ती खाने पर उन बकरियों को कैद कर दिया गया है। मैं उत्तर काशी में डी० एम० साहब के पास गया और उनसे कहा कि ये तो जानवर हैं इनके साथ किस तरह से यह बेदर्दी का बरताव किया गया। आजाद हिन्दुस्तान में आप पत्ती खाने पर अगर जानवरों को बन्द करते हैं तो यह कैसी आजादी है। यह आपकी भूल है। उसने कहा कि हम क्या करें कानून ही ऐसा है। मैंने कहा कि इसको बदला जाय। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार के जो सड़े-गले कानून हैं और पुराने जमाने के हैं उनको बदलना जरूरी है। आजाद देश के अन्दर हर एक नागरिक जब उसका देश आजाद हो जाता है तो वह आजाद देश का नागरिक हो जाता है और उसको वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो स्वतंत्र देश को होते हैं। इसलिये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से कि इस असेसमेन्ट आफ रेवेन्यू को रिवाइज करने की कोशिश करें जैसा कि और जगह पर होता है। अगर वही पुराना रास्ता रहा तो मान्यवर, यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

मान्यवर, एक बहुत बड़ा आघात जो वहां के लोगों पर हुआ है वह यह कि कारिन्दों ने जो कागजात में इन्दराज किये हैं वे बहुत गलत हैं। जो लैन्ड फर्स्ट क्लास में दर्ज की गयी है, आप उसकी जांच करा कर देखें कि वह फर्स्ट क्लास हैं भी या नहीं। सब गलत इन्दराज कर दिये गये हैं। इससे बड़ा भारी जुल्म लोगों पर ढाया गया है। उन आफिसरों ने, जिनके हाथों में इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, इस तरह का गलत काम करके बहुत बड़ा अपराध किया है और उसके लिये उनको दन्ड मिलना चाहिये। उनको सजा मिलना चाहिये। किसी भी देश में यह बहुत आवश्यक है कि कानून के मुताबिक कार्यवाही हो। ला आफ दि लैन्ड का आदर जहां नहीं होगा वहां जनता के साथ अन्याय होगा और वह देश प्रगति नहीं कर सकता। मैं इसके लिये इंगलैन्ड की तारीफ करता हूं जहां पर कि ला आफ दि लैन्ड की इतनी इज्जत है कि वहां बड़े से बड़े आदमी को भी कानून के खिलाफ काम करने पर दन्ड दिया जाता है। वहां कोई राजा ही क्यों न हो, अगर वह ला आफ दि लैन्ड का आदर नहीं करता है तो उसको सजा मिलती है। मैं चाहता हूं जिस तरह से ला आफ दि लैन्ड का आदर इंगलैन्ड में होता है। उसी प्रकार उसका आदर हमारे यहां भी होना चाहिये। जब तक उसकी रेस्पेक्ट नहीं होगी, जनता को न्याय नहीं मिलेगा। प्रैस्टिज के मानी क्या होते हैं। आज देखने में क्या आता है? प्रैस्टिज आज उनकी होती है जो झूंट बोलते हैं, जो बेईमानी करते हैं। जो सही बात कहते हैं, ईमानदार होते हैं, आज उनकी प्रेस्टिज कहां है? ईमानदारों की कोई प्रैस्टिज यहां नहीं होती है। मैं अगर यहां बैठा हूं, मुझसे कोई कसूर होता है तो मैं उसका पश्चाताप करने के लिये हरदम तैयार रहता हूं। इसमें कोई सरकार के प्रेस्टिज को रखने की बात नहीं है। मेरा कहना यही है कि सही कार्यवाही हो, रेकार्ड सही हो, असेस्मेन्ट आफ रेवेन्यू सही हो, राजा के जमाने का जो अत्याचार, अन्याय और शोषण हैं उसे समाप्त किया जाय। श्रीमन्, मैं आपको और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में जिस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा चल रही है उसका उल्लेख जब कि माननीय माल मंत्री ने रेवेन्यू संबंधी अनुदान पेश किया था, तब भी किया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन उस समय थोड़ा वक्त था जिससे में अधिक कुछ नहीं कह सका था। इस समय में उस संबंध में थोड़ा विस्तार में चीजों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, वैसे तो कापीज के संबंध में जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि हम लोगों को दी नहीं गयी है परन्तु फिर भी जो रिपोर्ट है उसके बारे में वहां की जनता का क्या कहना है, उसके बारे में और बातों को छोड़ दें तो भी सभी दल के लोगों ने मिलकर चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे पी० एस० पी० के हों, सभी मिलकर राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री के पास मिलने गये और मुझे यहां तक सूचना मिली है कि माननीया मुख्य मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि वहां जितनी गड़बड़ियां हैं उनको दूर कराने का वे प्रयास करेंगी। उन गड़बड़ियों में से दो एक जो प्रमुख हैं उनका उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं। यह बिलकुल सर्वविदित है कि पहले वहां महाराजा का राज्य था और रजवाड़ों में लगान वसूल करने की कोई निश्चित पद्धति तो होती नहीं थी, कोई सर्किल रेट पर तो लगान फिक्स होता नहीं था, जिस तरह से चाहते थे मनमाने ढंग से लगान वसूल करते थे। तो सरकार को चाहिये था कि जब सरकार ने इस कानून को वहां लागू किया तो सारे प्रदेश में सर्किल रेट के आधार पर लगान फिक्स है उसी तरह से वहां भी कर देती। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा वहां नहीं किया गया। देखने में तो यहां तक आया है कि राजा के समय में जो लगान था वही लगान आज भी बना रखा गया है।

एक बात मैं सेटिलमेन्ट के संबंध में कहना चाहता हूं। खेतों की जो नापजोख की गयी, उसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। सारे के सारे पहाड़ी एरिया को समतल भूमि की तरह से नापा गया है। समतल जमीन की बात तो समझ में आती है लेकिन जो तिरछे पहाड़ हैं उनको भी उसी तरह से नापा गया है, भले ही बीच में पड़ने वाले पेड़ों को छोड़ दिया गया हो लेकिन इस तरह से पहाड़ों की घाटियों में जो तिरछे पहाड़ों की नाप की गयी है वह सही नहीं है। इस तरह से अधिक बढा हुआ रकबा दिखला दिया गया है। सेटिलमेन्ट रिपोर्ट से ही मालूम होता है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई सुविधा उनको नहीं दी गयी है। होना तो यह चाहिये था कि उनका लगान सर्किल रेट के अनुसार फिक्स कर दिया जाता और अगर यह भी न होता तो आसपास के जिलों में जितना लगान है उतना ही फिक्स कर दिया जाता। वास्तविकता यह है कि वहां के लोगों को आसपास के जिलों से तिगुना लगान आज देना पड़ता है।

इसी तरह से वहां के लोगों को हेड क्वार्टर के बारे में भी शिकायत है। उनका कहना है कि अगर जिले का हेडक्वार्टर टेहरी में होता तो हम लोगों को अपनी शिकायतें दूर कराने में अधिक सहूलियत होती बनिस्बत उस स्थान के जहां कि आजकल इसका हेडक्वार्टर है। टेहरी एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित है इसलिये उनकी मांग यह है कि उनका मुख्य कार्यालय टेहरी में होना चाहिये ताकि उनको ज्यादा सुविधा हो सके। तो दो विशेष बातें हैं। उनको साढ़े तीन गुना लगान देना पड़ रहा है। रकबा ज्यादा नापा गया है। सेटिलमेन्ट जो हुआ है उससे उनको वास्तव में लाभ होना चाहिये था, लगान घटना चाहिये थे पर वह नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं। गांव समाज के अधिकार में जो चरागाह चले गये हैं उसके कारण वहां के जानवरों को चरने के लिये जमीन नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार की असुविधायें उत्पन्न हो गई हैं। मैं यही कहूंगा कि इस रिपोर्ट को वापिस लें और फिर से वहां के सेटिलमेन्ट करते हुए वहां के किसानों की जो मांग है, उसके लिये सब दलों के प्रतिनिधि एक साथ होकर वहां की जो समस्यायें हैं उनको दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरी यह प्रार्थना है कि इसे नोट कर लिया जाय कि कितनी मर्तबा कोरम बेल बजी और कोरम नहीं हुआ। दो तीन चीजें उल्लेखनीय हैं। एक तो कल मेरे विचार व्यक्त करने के बाद उत्तर देने के समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कौन से प्वाइन्टस हैं। दूसरी यह कोरम बेल वाली कि कितनी मर्तबा कोरम के लिये आज घंटी बजाई गई।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

लीडर आफ आपोजिशन को यह ज्ञात नहीं है कि कोरम नहीं हुआ हो तो भी प्रोसीडिंग बुक में लिख लिया जाता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

प्रोसीडिंग में तो हर चीज आ जाती है यह मुझे भी मालुम है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों की प्रस्तुत है, उसके तहत में मैं यह बात रखना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी नीति है कि सारी शक्ति समाज की खींचकर अपने हाथ में ले ले और चन्द चुने हुए लोग जो समाज को दबाये बैठे हुए हैं वही हुकूमत में भी आयें और अपनी हुकूमत चलाते रहें। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में इनकी भूमि व्यवस्था भूमिहीनों को मजदूर बनाकर या मजबूर रखने के लिये चली। कई प्रकार से हद बन्दी और भूदान जमीन गांवों में बची। सरकार के कागजों में आंकड़ों से यह बात साफ प्रकट होती है और यह कहते हैं कि बची हुई भूमि इन्होंने भूमिहीनों को दी। अब ये पहाड़ों के आदमियों को भी मजबूर करना चाहते हैं या मजलूम करना चाहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की तुलना हम मैदानी क्षेत्र से करते हैं। समाज के ८५ प्रतिशत या ९० प्रतिशत लोगों के जीवन को यही लोग दबाये हुए बैठे हैं और यही सुधार की बात भी करते हैं। जब ये छोड़ेंगे नहीं जो दबाये हुए बैठें हैं तो कैसे समाज को कुछ मिलेगा? बची हुई भूमि गरीबों को देने का वायदा सरकार का था। आज भी यह कहा जाता है और प्रश्नों के उत्तर में बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार से बची हुई भूमि गांबों के गरीबों को बांटी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी को जमीन नहीं मिली है जो गरीब कहे जाते हैं। गरीब आदमी इनके गलत कानूनों और गलत नियमों के कारण बरबाद हो रहा है। कहीं तो राजनैतिक पीड़ित के नाम पर, कहीं यार दोस्त, नातेदार और रिश्तेदार, कहीं भाई भतीजावाद और कहीं जातिवाद के नाम पर इन्होंने देश को तबाह कर डाला है। वही व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाकर वहां भी बरबादी करना चाहते हैं। यह सरकार अपनी इस अनोखी समाजवाद की नीति को खत्म करे जिससे वह सारी शक्ति घसीट कर अपने हाथ में ले लेना चाहती है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग भी कहते हैं कि इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि वे परेशानियों में फंस गये हैं। १८ वर्ष से देश इनकी गलत नीतियों का नतीजा भोग रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों की बातों पर तो कम से कम गंभीरता से विचार करके इसे यहां पास करावे।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्त जिलों के बारे में कोई विवाद नहीं था। टेहरी गढवाल और उत्तर काशी के बारे में अगर कोई समुचित प्रस्ताव या सुझाव आवेगा तो शासन उस पर अच्छी तरह से विचार करेगा। पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्यों ने शासन के प्रति आभार भी प्रकट किया है कि जो बढ़ी हुई रकम मालगुजारी की है उसे रोक दिया गया है। वह हमारी देन नहीं है। वह सामन्तशाही, टेहरी गढवाल के महाराजा की देन है। जमीन के

लगान की क्या प्रतिक्रिया होगी, उस पर अच्छी तरह से विचार करने के लिये और जो कुछ खामी रह गई हैं उनके ऊपर कानूनी सलाहकारों से राय ली जा रही है।

बहुत से मित्रों ने कहा कि विकास से कोई फायदा नहीं हुआ है...

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह दो जिलों की बात नहीं और जिलों के बारे में कृष्ण चन्द्र जी ने कहा कि नैनीताल और टेहरी गढ़वाल की तुलना की जाय। अल्मोड़ा में भूमि बहुत उपजाऊ है। इस वक्त जो रिपोर्ट पेश की जा रही है वह ४–५ जिलों की है। उन जिलों में जो थोड़ी बहुत खामी रह गयी है, उस पर सरकार विचार कर रही है। पर्वतीय क्षेत्र के जो माननीय सदस्य हैं वे माननीया मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री जी से मिल चुके हैं। जितनी भी कानूनी दिक्कतें हैं, अगर कोई खास चीज रास्ते में हायल नहीं हुई तो, उन सब को दूर कर दिया जायगा। वहां जो लगान अधिक है और उस को कम करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसको भी कम कर दिया जायगा। लेकिन यह कहना कि वहां त्राहि त्राहि मची हुई है, यह चीज गलत है। माननीय रक्षपाल जी उस समय मौजूद नहीं थे, जब कृष्ण चन्द्र जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सुधार वहां हुये हैं उसका श्रेय इस सरकार को है। जब वहां के लोगों ने सन् २७ में फारेस्ट सेटिलमेंट के समय अंग्रेजों का खून पसीना लगा कर मुकाबला किया और स्वतन्त्रा संग्राम में भी अपना योगदान दिया, तो इस में कोई शक नहीं कि स्वतन्त्रता के बाद उन को भी मैदानी कृषकों की भांति रास्त पाने का हक है। इन शब्दों के साथ में अनुरोध करता हूं कि जो सेटिलमेंट रिपोर्टस् पेश की गयी हैं, सदन उन को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन—

(क) तहसील व जिला नैनीताल की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४ एवं

(ख) जिला उत्तरकाशी की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि—यह सदन जिला टिहरी गढ़वाल की वन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५ से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिला अल्मोड़ा की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६५ से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६ से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्बेट नेशनल पार्क की चौहद्दी में परिवर्तन के सम्बन्ध में संकल्प

कृषि उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कार्बेट नेशनल पार्क की चौहद्दी में परिवर्तन के सम्बन्ध में यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

सकल्प

क्योंकि यू० पी० नेशनल पार्क ऐक्ट, १९३५ (१९३५ का यू० पी० ऐक्ट संख्या १) की धारा ३ के अधीन एक नेशनल पार्क बनाया गया था और उसकी चौहद्दी उक्त ऐक्ट की अनुसूची में निर्दिष्ट की गयी थी;

और क्योंकि पूर्वोक्त पार्क की सीमायें पिछली बार विज्ञप्ति संख्या ७२१—१४-क—२३५(१)-१९३३, दिनांक ८ जुलाई, १९४० द्वारा परिवर्तित की गयी थी;

और क्योंकि राम गंगा नदी परियोजना के कारण पूर्वोक्त पार्क की लगभग ११,५२० एकड़ भूमि के रामगंगा जलाशय में डूब जाने की सम्भावना है;

और क्योंकि भूमि की इस क्षति की पूर्ति करने और उक्त पार्क की प्राकृतिक सुन्दरता का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करने और वन्य जीव-जन्तुओं की भली प्रकार परिरक्षा करने के लिए भी यह आवश्यक तथा समीचीन है कि आस-पास के कतिपय शिकार ब्लाकों की भूमि उपर्युक्त पार्क में सम्मिलित कर ली जाय;

इसलिए अब उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ५ के अधीन इस संकल्प द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार उपर्युक्त पार्क की चौहद्दी नीचे लिखे अनुसार परिवर्तित कर लें;

यू० पी० नेशनल पार्क ऐक्ट, १९३५ (१९३५ का यू० पी० ऐक्ट संख्या १) की धारा ३ में उल्लिखित नेशनल पार्क की चौहद्दी का विवरण

उत्तरी सीमा—

रामनगर—रानीखेत सड़क और धनगड़ी सोत (Dhangri Sot) के जंक्शन से धनगढ़ी सोत के बायें किनारे के ऊपर गाजर सोत (Gajar Sot) के साथ इस के जंक्शन तक। वहां से ऊपर थोड़ी दूर के लिए गाजर सोत के बायें किनारे इसके सुल्तान वन विश्राम गृह के पश्चिम लगभग १०० गज दूरी पर सुल्तान-ढिकाला मोटर सड़क के जंक्शन तक वहां से एक बाहरी रेखा (Outline) के किनारे-किनारे उत्तर की संगुरी सोत (Sanguri Sot)) की एक शाखा तक। वहां से संगरी सोत की इस शाखा के मध्य नीचे की गैराल वन विश्राम गृह के निकट मुख्य राम गंगा नदी के साथ इस के जंक्शन तक, वहां से रामगंगा नदी के बायें किनारे के ऊपर मुख्य रिज (Main ridge) पर लोहाचौड़ कम्पार्टमेंट ७ और ८ के जंक्शन के आगे लगभग ढाई फर्लांग की दूरी के स्थान तक। वहां से मुख्य रिज के साथ-साथ बायें की तरायल गांव (Tarail Goan,), बखान (Bakhan), तैरियाखाल (Tairia Khal), काण्डा वन विश्राम गृह (Kanda Forest Rest House), बविलानी डन्डा (Bavilani Danda), कालीगांव डंडा (Kaligaon Danda) के बीच से होते हुए गउजेरा नाला (Gaujere Nala) के जंक्शन तक। वहां से गउजेरा नाला के बायें किनारे-किनारे नीचे को स्तम्भ संख्या १३८९ और ११७० के बीच से होते हुए, अदनाला शिकार खण्ड (Adnala Shooting Block) की बाहरी सीमा के साथ-साथ गउजेरा फारेस्टगार्ड चौकी तक। वहां से अदनाला शिकार खण्ड की बाहरी सीमा के साथ टुमेरिया (Tumeira) फारेस्ट गार्ड चौकी तक। वहां से रामगंगा नदी की मुख्य धारा के पानी के बायें किनारे के साथ-साथ बोक्सार तक।

पश्चिमी सीमा—

बोक्सार से राम गंगा नदी की मुख्य धारा के पानी के बायें किनारे के साथ-साथ लकड़-घाट (Lakarghat) के स्थान तक, जहां पहाड़ियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से एक बाहरी लाइन (Outline) के किनारे-किनारे पहाड़ियों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में लकड़ घाट फारेस्ट गार्ड चौकी तक, वहां से भूमि पर सीधी पंक्ति में अंकित की गयी बाहरी प्रभागीय (External Divisional) सीमा स्तम्भ संख्या ८२७ तक।

दक्षिणी सीमा—

लकड़घाट के स्थान पर कोटद्वार, रामनगर व मोटर सड़क के जंक्शन से बी० पी० संख्या ५२४ (B. P. no. 524) के निकट सड़क मार्ग के साथ-साथ जो बिजरानी और झिरना शिकार खण्ड की सीमायें बनाती हैं, कसेरवा सोत (Kaserwa Sot) के जंक्शन के ठीक ऊपर तक।

पूर्वी सीमा—

कसरेवा सोत (Kaserava Sot) साथ कोटद्वार-रामनगर वन मोटर मार्ग के जंक्शन से कसेरवा सोत के बायें किनारे-किनारे ऊपर तक जहां यह पार्क की वर्तमान सीमा से मिलता है, वहां से मैलानी (Malani) बिजरानी (Bijrani) तक मोटर मार्ग के साथ-साथ पनियागाड सोत (Paniagad Sot) तक, वहां से पनियागाड सोत के साथ-साथ नीचे को जहां यह रत्ता पानी राउ (Ratta Pani Rau) से मिलता है, वहां से रत्ता पानी राउ और गरजिया सोत (Garajia Sot) जंक्शन के साथ-साथ ऊपर की ओर वहां से गजरिया सोत की मुख्य धारा के साथ-साथ उसके स्रोत की ओर उस स्थान तक, जहां यह मुख्य चिनाल रिज (Main Chinaleridge)) से मिलती है, वहां से रिज (Ridge) के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर उस स्थान तक जाती है, जहां वह पूर्व-पश्चिम की रिज से मिलती है वहां से बड़ा पनोद सोत (Bara Panod Sot) के साथ पार्क की वर्तमान सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर रामनगर-रानी-खेत सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क तक, और वहां से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के बायें किनारे किनारे धनगढ़ी सोत (Dhangarhi Sot) तक।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नेशनल कार्बेट पार्क जो ढिकाला में स्थित है और जिसका क्षेत्र-फल १२५ वर्गमील है, उसकी १८ वर्गमील भूमि राम गंगा परियोजना में आ गयी है। यह सम्भावना की जाती है कि वहां क्षेत्रफल कम होने से जो वन जन्तु रहते हैं उन के लिए जरूरी है कि अधिक विस्तृत क्षेत्र हो ताकि वह आजादी से उस से इधर उधर घूम फिर सकें। इस पार्क से लगे हुए ही कुछ शिकार ब्लाक्स हैं जहां शिकारी लोग जाकर शिकार खेलते हैं। वह तीन ब्लाक्स हैं झिरना शूटिंग ब्लाक, गिजरानी शूटिंग ब्लाक तथा अडनाला शूटिंग ब्लाक इन ब्लाक्स में पार्क के जानवर चले जाते हैं और वहां शिकारी शिकार खेलते हैं। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश के उस भाग में जो वन जन्तु हैं उनकी रक्षा की जाय और उनकी जातियां जो धीरे धीरे शिकारियों द्वारा समाप्त की जा रही हैं, उनकी रक्षा की जाय। यह वन-जन्तु भी हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। इन तीन ब्लाक्स में लगभग ७६ वर्गमील भूमि है उस को इसमें सम्मिलित कर के हम चाहते हैं कि इन वन जन्तुओं को घूमने फिरने और उस क्षेत्र में आजादी से विचरने की सुविधा प्रदान की जाय।

इस लिए यह संकल्प इस सदन के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस क्षेत्र के शामिल हो जाने से इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल १८३ वर्ग मील हो जायगा। इस प्रकार काफी क्षेत्र आ जाने से पर्यटकों को, देश के और विदेश के, काफी सुविधा हो जायगी और वहां पर जो वन्य जन्तु हैं उन की भी काफी, अभिवृद्धि होगी। इसलिए जरूरी है कि जो क्षेत्र कम हुआ है उस

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

को और बढ़ा दें जिससे कि यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफी विस्तृत रहे। यह भूमि जो इस के साथ अब मिलायी जायगी, संरक्षित वन के अन्दर है, किसी किसान की भूमि नहीं ली जा रही है। इसलिए किसी को इस में कोई एतराज नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संकल्प को स्वीकार कर इस क्षेत्र को संकल्प के मुताबिक शामिल करने में सदन सरकार की मदद करे।

*श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण मैं बतलाऊंगा कि क्या इसकी जरूरत है। मन्त्री जी ने बताया कि इस भमि के क्षेत्र को बढ़ाने से किसी का नुकसान नहीं होता है। इस की जरूरत क्यों है? आपको मालुम होगा कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को इस पार्क से काफी आमदनी होती है क्योंकि दूर-दूर से पर्यटक यहां आते है। हमारे यहां के जो अन्य जन्तु हैं, उनकी रक्षा की भी बहुत जरूरत है। हमारे यहां कानून को तोड़ने वाले काफी हैं जो जानवरों को छिप-छिप कर मारते हैं, उनके गोश्त को बेचते हैं। जब तक सरकार किसी खास क्षेत्र में भारतवर्ष के जन्तुओं की रक्षा नहीं करेगी तो एक दिन ऐसा आयेगा कि उन को नस्ल ही समाप्त हो जायगी। एक समय हमारे देश में यह था कि दिल्ली के आस-पास १८७८ में गैंडे मारे गये। लखनऊ के आस पास जंगली जानवर रहते थे। लेकिन अब नहीं हैं। कारण इसका यह है कि मनुष्य जंगली जानवरों का शत्रु है। उन को अपने आराम के लिए अपना शौर्य दिखाने के लिए जन्तुओं को नष्ट करता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपने जंगलों में कुछ क्षेत्रफल सुरक्षित रखे जहां जानवर स्वतंत्रता के साथ रह सके। मैं कार्बेट पार्क में गया हूं, शिकारी की हैसियत से भी, और अब भी देखा है कि जबकि सरकार रक्षा कर रही है।

इस समय सरकार की नीति इस पार्क के लिए यह है कि वहां थोड़े से जन्तु रखे हुए हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में हैं, जैसे चीतल वहां काफी हैं, पिग्स काफी हैं, शेर भी हैं और भालू भी हैं।

भालू वहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि हमारी सरकार उस पार्क में जितने हमारे जंगली जानवर हैं उन सब को उसमें रखें। आज नीलगाय जो एक जंगली जानवर है देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहां पर डीयर जरूर हैं। इस सम्बन्ध में मैंने जंगल के संरक्षण अधिकारी हैं, उनसे बात चीत की तो उन्होंने कहा कि वे उन ही जानवरों को उस में रख सकते हैं जो कि वहां पर पहले से रहते थे लेकिन मैं कहता हूं कि पहले तो वहां पर सभी प्रकार के जानवर रहते थे लेकिन वे कहां चले गये। सिराव एक प्रकार का जानवर है जो शायद इस प्रदेश में केवल ४ या ५ की संख्या में मौजूद हों। अब हम जंगली जानवरों को जू में रख सकते हैं तो क्या कारण है कि उनको हम इस पार्क में नहा रख सकते हैं। कहा गया है कि कालागढ़ में डाम बनाने से एक्कोचसेंट हो रहा है उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारे प्रदेश में बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, जहां पर जंगली जानवर पाले जा सकते हैं। अतः मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को जल्द से जल्द पास कर दें।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के सम्बन्ध में सब से पहले मेरा एतराज यह है कि हमें यह ही मालम नहीं है कि यह बिल क्यों लाया गया है। माननीय सदस्य क्या समझे होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो बिलकुल भी नहीं समझ पाया हूं कि इसका क्या अर्थ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपने माननीय मन्त्रीजी के भाषण को नहीं सुना है ?

श्री उग्रसेन—

उन्होंने हम को यह नहीं बताया है कि यह पार्क वहां पर किस के लिए बनाया गया था। संकल्प में केवल यह दिया हुआ है कि क्योंकि राम गंगा नदी परियोजना के कारण पूर्वोक्त पार्क की लगभग ११,५२० एकड़ भूमि के राम गंगा जलाशय में डूब जाने की सम्भावना है और दूसरा यह दिया हुआ है कि क्योंकि भूमि की इस क्षति की पूर्ति करने और उक्त पार्क की प्राकृतिक सुन्दरता का अवलोकन करने के लिए प्राप्त सुअवसर प्रदान करने और अन्य जीव जन्तुओं की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए भी यह आवश्यक तथा समीचीन है कि आस पास के कतिपय शिकार ब्लाकों की भूमि उपर्युक्त पार्क में सम्मिलित कर ली जाय। मैं जानना चाहता हूं, कि जिस समय राम गंगा नदी परियोजना बनी होगी, उस समय नक्शे बने होंगे, तो उस समय इस बात का क्यो नहीं बयान रखा गया, इसका जवाब माननीय मन्त्री जी दें। दूसरी बात उन्होंने कही कि भूमि की इस क्षति की पूर्ति और उक्त पार्क को प्राकृतिक सुन्दरता का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सुन्दरता का अवलोकन करने की सुविधा किस को मिलती है, केवल या तो मन्त्री को मिलती है और या वन विभाग के अधिकारियों या चीफ सेक्रेटरी को मिलती है जो गुलाब का फूल लगाये फिरते हैं। साधारण आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है। कहा जाता है कि जन्तुओं की भली प्रकार से परीक्षा की जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शिकार कौन करता है। और शिकार के लिए जानवरों की परीक्षा की जाती है तो इस में भी वन विभाग के अधिकारियों के फूफा के फूफा और साले के साले ही लाभ उठाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह नेशनल पार्क किस लिए बनाया गया है।

हमारे यहां देवरिया में एक मन्त्री जी गये थे। बड़ा नाच गाना हुआ। मन्त्रिगण बड़े सौन्दर्य के पुजारी हो गये हैं, क्योंकि लखनऊ का असर है और वाजित अली शाह यहां रहते थे। प्रोफेसर साहब शिकार के बड़े शौकीन हैं। उनका कहना है कि गाय रखी जायं। गायों के बारे में लोक लेखा समिति की रपट है। प्रदेश की सरकार ने कुछ जंगली जानवरों का जंगलात विभाग तथा पशु पालन विभाग को पालने को दिये। ५८६ गायों पालने के लिए रुपया दे दिया, लेकिन गाये पली नहीं। ५८६ गायों में से ५४६ रास्ते में मर गयीं। बड़ी-बड़ी ट्रक में रखी गयी और रास्ते में छिटक कर गिरती गयीं। तो जंगली जानवर प्रोफेसर साहब कैसे रक्खेंगे ? शेर चीते से हमको क्या मतलब ? शाहजहांपुर के सुपरिन्टेंडेंट को चीते ने अभी खत्म ही कर दिया। कहा गया कि किसान का खेत नहीं निकल रहा है। आप तो उत्तर प्रदेश के पौने ८ करोड़ किसान की जमींदारी ले रहे हैं, लेकिन किया क्या जाय। जनता ने आपको चुन कर भेजा और सन् ६७ से पहले हटाने वाले नहीं हैं। मैं यह एतराज करता हूं कि यह कम का मामला है और अब तक क्यों ऐसा नहीं हुआ ? हमारे सामने कोई रूपरेखा नहीं है। जब यह बांध बना तो सर्वेक्षण में क्यों नहीं छोड़ी गयी और अब सुन्दरता के लिए इसे किया जा रहा है। इसके लिए मुझे सख्त एतराज है। कोई स्पष्ट चित्र इस संकल्प का नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं वर्ना हमें समझाया जाय।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९३५ के पहले यह नेशनल पार्क बताया गया था। इसलिए बनाया गया था कि उस में जंगली जानवरों का शिकार नहीं होगा और वे प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे और विदेशी पर्यटक फोटो खींचने आयेंगे। कांग्रेस सरकार आई तो इसका नाम नेशनल कार्बेट पार्क कर दिया गया वहां कार्बेट नाम के एक अंग्रेज रहते थे, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और उस बेचारे ने इतना किया कि अपनी जिन्दगी वहां के

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

लिए दे दी। जंगल को काट कर पार्क की शक्ल में बना कर उस ने वहां के बाशिन्दों को शेरों से छुटकारा दिलवाया। जिन्होंने हजारों आदमियों को खा लिया था। इसलिए जब पंत सरकार आयी तो उसने इसका नाम नेशनल पार्क से बदल कर कार्बेट के नाम से, जिनको आज उस एरिया में घर-घर लोग जानते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया और एक अलग बंगला बनाया जिस में पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान की गयीं। आज बहुत से विदेशी पर्यटक रोज वहां पहुंचते रहते हैं, जिन में हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है और विदेशों में यहां का नाम भी होता है। जिस वक्त यह पार्क बनाया गया था उस वक्त रामगंगा परियोजना बनाने का कोई निर्णय नहीं रहा होगा। रामगंगा द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनी। इस साल रामगंगा परियोजना से जितना रकबा मन्त्रीजी ने बताया उतना पानी में डूब कर झील की शक्ल में बदल जायगा। इसलिए आवश्यकता यह हुई कि इस पार्क को जिससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इसके एरिया को बढ़ाया जाय। इस पार्क में कोई बन्दूक लेकर नहीं जा सकता। अगर कोई ले जाता है तो फारेस्ट डिपार्टमेंट की चौकियां बनी हुई हैं, वहां उसकी बन्दूक को सील कर दिया जाता है।

अभी हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस में हम ने बहुत से फैसले लिये। एक फैसला यह भी था कि चूंकि पानी में इसका रकबा चला जायगा इसलिए इसका एरिया बढ़ा दिया जाय। इसीलिए यह प्रस्ताव है। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा, इस में किसी किसान की जमीन नहीं आती, सिर्फ जंगल विभाग का रकबा आता है। वहां बहुत से जंगली जानवर रखे जाते हैं। ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनकी स्पेशीज खत्म होती जा रही हैं। उनको वहां रख कर प्राकृतिक वातावरण में पाला जाता है। इसलिए यह निश्चय किया गया कि इन जानवरों की सुरक्षा की जाय। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश में ही पाये जाते हैं। इस देश के दूसरे प्रदेशों में और विदेशों में भी नहीं पाये जाते हैं। उनकी तस्वीर खींचने के लिए जर्मनी और रूस वगैरह के लोग बराबर आते रहते हैं। इस से हमारा विदेशों में प्रचार भी होता है और हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है। हमारे प्रदेश में बहुत सी सैंक्चुरीज हैं। सैंक्चुरीज उन को कहते हैं कि जहां शिकार बन्द कर दिया जाता है। जब किसी एरिया को हम देखते हैं कि वहां जानवर कम हो गये हैं तो उसे हम सैंक्चुअरी घोषित कर देते हैं। सैंक्चुअरी कभी भी फारेस्ट डिपार्टमेंट अपनी ओर से खोल सकता है जब आवश्यक जानवर वहां बढ़ गये हों। बिला लेजिस्लेशन लाये या ग्राम सभा में लाये हम पार्क के एरिया को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसी लिए यह संकल्प हमारे मन्त्रीजी ने पेश किया है। यह सार्वजनिक हित में है, अपने देश और प्रदेश के हित में है और विदेशियों के हित में है। आपकी आज्ञा से मैंने इसकी आवश्यकता बतला दी।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैं केवल दो तीन मिनट लेकर कुछ जानकारी चाहता हूं। मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि जो पार्क इस समय है वह १५० वर्ग मील का है और उसका १८ वर्ग मील राम गंगा परियोजना में निकल जायगा। लेकिन १८ वर्ग मील की जगह ७६ वर्ग मील और जमीन उस के एरिया में ला रहे हैं जो कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का है। इस ७६ मिल के जंगल का उपयोग किस तरह से होगा ? अब यह जो जमीन जंगल की ले लेंगे तो उसकी उपयोग्यता समाप्त हो जायेगी और जो वहां की जनता को लकड़ी वगैरह की अन्य सुविधायें मिलती थीं वे भी सब समाप्त हो जायेंगी। मेरा ख्याल यह है कि जो यह संकल्प रखा गया है, इसमें कुछ चीज छिपा ली गई हैं। अगर उनको स्पष्ट कर दिया जाता तो इस पर माननीय सदस्य और प्रकाश डाल सकते थे। आप १८ वर्ग गज की बजाय ७६ वर्ग गज क्यों ले रहे हैं ? अगर यह जमीन लेनी थी तो जो सुविधायें फारेस्ट डिपार्टमेंट वहां दे रहा था, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब वहां के लोगों को किस जंगल से मिलेगी । क्या वहां के लोग उन सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे ? इसलिये आप बताइये कि कहां पर आप जनता को सुविधायें देंगे । इन चीजों को आपने छिपा रखा है । मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से बताइये कि आपका मन्तव्य क्या है ?

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक संकल्प का संबंध है पहली बात यह है कि कोई भी आदमी वहां शिकार वगैरह नहीं खेल सकता है । लेकिन हमारा तजुर्बा यह है कि सारनाथ में मृग रखे गये तो निगम साहब वहां के मृगों का कबाब बना कर खा गये । इससे मालूम होता है कि जो जमीन ली जा रही है, वह सरकारी अफसरों के लिये इंतजाम किया जा रहा है ताकि वह इसका इस्तेमाल कर सकें ।

दूसरी चीज यह है कि जब रामगंगा परियोजना बनाई गई तो यह मालूम हो गया होगा कि कितनी जमीन जलमग्न हो जायेगी । उस समय क्या सरकार की आंखे बन्द थीं ? क्या वन विभाग उस समय नहीं सोच सकता था कि अगर जमीन चली जायेगी तो वह अपने जंगली जानवरों को कैसे सेफ करेंगे ? आज सिंहों और अन्य जानवरों की फैमिलीज समाप्त होती चली जा रही हैं । पहले हमारे यहां शेर आदि जानवरों का छुट्टा छोड़कर पालन पोषण होता जो एक अजीबो गरीब चीज थी । आजकल अच्छे किस्म के जानवरों को जो मशहूर थे उनको डिटो-रेरियेशन होता चला जा रहा है । इसलिये जरूरी है कि ऐसे जानवरों का शिकार न किया जाये और बढ़ोत्तरी की जाये ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि उधर से माननीय तिवारी जी ने कहा था कि १८ वर्ग गज जमीन के बजाय ७६ वर्ग गज जमीन क्यों ली जा रही है ? जो इसमें दी गई है उसके लिये आपने व्यवस्था दी कि यह बढ़ी हुई मान ली जाये । जब सीमा बढ़ाई जायेगी तो प्राकृतिक सीमा जहां नदी नाले वगैरा पड़ते हैं वहां तक सीमा बढ़ाई जायेगी क्योंकि ऐसे जानवरों को अप्राकृतिक सीमा में नहीं रखा जा सकता है । इसलिये उसके साथ-साथ इन तीन ब्लाक्स को सम्मिलित किया गया है । वह तीनों ही ब्लाक प्राकृतिक सीमाओं के अन्दर आते हैं जिनके अन्दर यह जानवर विचरण करते हैं । इसलिये यह सीमा बढ़ायी गयी है ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें जो धारायें दी गयी हैं तीन और पांच, ऐक्ट के जरिये जो एक्वीजीशन हुआ है संकल्प के जरिये किसी को कैसे दे सकते हैं । जब तक ऐक्ट में संशोधन न करें तब तक आप इस चीज को अलग नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तो सीमा बढ़ाने की बात है । हाउस तो सुप्रीम है । अगर संकल्प है तो मान्य होगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

आपने कार्बेट पार्क के लिये एक ऐक्ट बनाया है । अब उसमें एक्सट्रा लैंड अक्वायन करने जा रहे हैं । तो उसके लिये ऐक्ट में संशोधन होना चाहिये सीमा बदलने से अक्वीजीशर नहीं होगा । उसके लिये ऐक्ट में संशोधन करना होगा । संकल्प के द्वारा अक्वीजीशन नहीं कर सकते हैं । यह लीगल फ्लां है इसमें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री कमलासिंह यादव—

पांच तारीख को क्या लिया जायगा यह तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह समय तो आने दीजिये ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने एक प्रश्न उपस्थित किया और एक दूसरे मित्र ने भी आपत्ति की कि जब तक ऐक्ट में संशोधन नहीं होता है तब तक उसमें सीमा नहीं बढ़ायी जा सकती । अगर वह १९३५ के नेशनल पार्क ऐक्ट को देख लेते तो उसमें इस बात का प्राविधान है धारा ५ के अधीन कि जब कभी भी सीमा को बढ़ाया जायगा या परिवर्तन किया जायगा तो विधान मंडल के दोनों सदनों की स्वीकृति से बढ़ सकता है । इसलिये जो मूल अधिनियम है, उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है । मेरे मित्रों ने यह कहा कि कार्बट नैशनल पार्क में सिर्फ बड़े-बड़े अधिकारी तथा मंत्रिगण अपने सैर सपाटे के लिये जाते हैं । तो ऐसा नहीं है । जैसा कि सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने कहा, उन्होंने बहुत विस्तार से कहा, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने उसकी पूरी जानकारी दी । वहां पर देश के प्रत्येक भाग के लोग ही नहीं विदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और वहां के वन्य जन्तुओं की प्राकृतिक छटा को देखकर बड़े आनन्दित होकर खुशी से वापस लौटते हैं । इसलिये वह क्षेत्र सुरक्षित वन के अन्दर है ।

उस वन के अन्दर जंगली जानवर सर्वत्र विचरण करते हैं, बाहर से ले जाकर वहां पर किसी जानवर को नहीं छोड़ा गया है । जो पशु वहां पर हैं वे सब वहीं पर पैदा हुये हैं और वहीं पर रहते रहे हैं । शायद आपका ख्याल हो कि वहां पर भी जू की तरह का कोई जू है और बाहर से अच्छे-अच्छे जानवर लाकर रखे गये हैं, सो बात नहीं है । वहां पर जो भी पर्यटक जायेंगे, वे फाटक पर ही अपने अस्त्रों को जमा कर देंगे या उन पर सील लगवा लेंगे, जिससे कि वे पर्यटक उस १८३ वर्ग मील के क्षेत्र के अन्दर कोई शिकार न खेल सकें । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उन पशुओं का शिकार न किया जाय तथा उनको अन्य किसी प्रकार की क्षति न पहुंच ने पाये । यह केवल देखने और घूमने की जगह है वह शिकार खेलने की जगह नहीं है, इसलिये इन बातों का ध्यान रखा जाता है ।

श्री उग्रसेन जी ने यह भी कहा कि यह कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन है कहां ? लखनऊ से यदि आप जाने लगें तो यहां से रामनगर ३७६ किलोमीटर है और वहां से ५१ किलोमीटर दूर वह जगह है । यहां से आप छोटी लाइन से रामनगर जायें और वहां से बस द्वारा वहां पर आप पहुंच सकते हैं । वहां पर प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिये रहने सहने की समुचित व्यवस्था है । वहां पर एक फारेस्ट विभाग का रेस्ट हाउस है और इसके अतिरिक्त बहुत सी हटमेंट्स हैं । खाने पीने की पूरी व्यवस्था है ताकि वहां पर जाने वाले को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो । आजकल वन के अन्दर घूमने के लिये हाथियों की व्यवस्था है । अभी तक लोग वहां पर जीप और मोटर द्वारा भी जाते थे, लेकिन पिछली बार वाइल्ड लाइफ एसोसियेशन की जो मीटिंग हुई उसमें यह डिस्कस हुआ था कि जो लोग वहां पर जीप या मोटरों से जाते हैं उनसे वहां के जानवर डिस्टर्ब होते हैं इसलिये इन पर रोक लगे, कुछ लोगों का मत यह भी था कि इन सवारियों से उनको कोई नुकसान नहीं होता है, उन्हें खुशी होती है और वे मोटर और जीप को अपने ही तरह का कोई जानवर समझते हैं । वहां पर विचारों में मतभेद था, खैर यह तो विवाद का सवाल है । वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि पर्यटक वहां जायें, घूमें, वहां की प्राकृतिक

छटा को देखें, वहां के जंगलों जानवरों को देखें, अपना मनोरंजन करें और अपने मन को मानसिक शान्ति दें, इन चीजों के निमित्त इस प्रकार का यह सुन्दर पार्क बनाया गया है ।

सन् ३५ में यह पार्क इस प्रकार से बनाया गया था और इसको यह नाम दिया गया था, लेकिन यह पार्क उससे बहुत पहले से था । यहां पर एक पहले लार्ड माल्कम हैली थे, जो कि वहां पर मछली के शिकार के लिये जाया करते थे । उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि यहां पर जंगली जानवर बहुत और सुन्दर-सुन्दर हैं इसलिये इसे वन जन्तुओं के लिये सुरक्षित वन घोषित कर दिया जाय । इसलिये उन्हीं के नाम पर यह पार्क का पहले नाम हैली नेशनल पार्क पड़ा था । जब भारत से चले गये और यू० पी० में कांग्रेस की मिनिस्ट्री कायम हो गयी तो उन्होंने वहां से एक चिट्ठी स्वर्गीय पन्त जी को लिखी, इस निवेदन के साथ कि अब इस पार्क का नाम जिम कार्बेट के नाम से रख दिया जाय तो अच्छा हो । क्योंकि यह सज्जन जिनका नाम जिम कार्बेट था काफी दिनों तक वहां के जीव जन्तुओं के बीच में रहे थे, उनका अध्ययन किया था, उनके रहन सहन, व्यवहार और आदतों को बहुत नजदीक से देखा था। वन जन्तुओं में उनकी बड़ी ही रुचि थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने वहां पर 'कुमायूं में मैन ईटर्स को मारा था । इन सब बातों के कारण से उन्होंने लिखा था कि इस पार्क का नाम मेरे नाम के बजाय जिम कार्बेट के नाम से जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया जाय । इसलिये इसका नाम तब से यह है । कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि जब रामगंगा परियोजना वहां पर बनी और १८ वर्ग मील भूमि उसमें आ रही है तो यह पहले से क्यों नहीं सोच लिया गया । वह राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी योजना है और उसमें विद्युत् उत्पादन होगा उससे असिंचित भूमि को पानी दिया जायगा-लेकिन पार्क तो पहले ही से बन गया था और पर्यटक वहां पहले से जाया करते थे यह परियोजना तो बहुत बाद की है । १८ वर्ग मील भूमि अगर उसमें चली गयी तो उसके बदले में जंगल इतना था कि उसमें शामिल किया जा सकता था और उसी के लिये यह प्रस्ताव आपके सम्मुख लाये हैं ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । यह कहा गया कि जो जंगल इसमें आ गया उनका क्या होगा । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ५० वर्ग मील भूमि तो ऐसी रखी जायगी जिसमें एक्स्प्लायटेशन फारेस्ट का नहीं होगा और उसके बाहर आजकल समय-समय पर सेरी-कल्चर के सिद्धान्त के मुताबिक जो जंगल काटने बाकी होंगे उनको समय-समय पर काटा जायेगा और उनको एक्स्प्लायट किया जायगा ।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं और खास तौर से श्री मुकुन्दी लाल जी ने और श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप को दावत देता हूं कि एक बार कम से कम घूमने के लिये जरूर वहां तशरीफ ले जायं और देखें कि किस प्रकार वहां जंगली जानवर रहते हैं और किस प्रकार से वे विचरते हैं और किस प्रकार पर्यटक वहां विचरते हैं और वहां का लाभ उठाते हैं । इससे देश और प्रदेश को कितना लाभ होता है यह भी देखें । अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय रूप से अगली बार जब प्रश्न उठेंगे तो आप प्रदेश की सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा । संकल्प विधान परिषद् में स्वीकार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस सदन से भी इस संकल्प को आप स्वीकार अवश्य करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह स्पष्ट नहीं हुआ कि धारा ३ में आप सीमा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिनियम से बढ़ा वेंगे या कोई विधेयक लावेंगे या संकल्प से हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोर्ट से जैसा फैसला होगा, उन्हीं लाइन्स पर होगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

तो फिर कोई लोगल या इल्लीगल चीज यहां से पास करते रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो अदालत का काम है ।

प्रश्न यह है कि कार्बेट नेशनल पार्क की चौहद्दी में परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प को यह सदन स्वीकार करता है ।

संकल्प

क्योंकि यू० पी० नेशनल पार्क ऐक्ट, १९३५ (१९३५ का यू० पी० ऐक्ट संख्या १) की धारा ३ के अधीन एक नेशनल पार्क बनाया गया था और उसकी चौहद्दी उक्त ऐक्ट की अनुसूची में निर्दिष्ट की गई थी;

और क्योंकि पूर्वोक्त पार्क की सीमायें पिछली बार विज्ञप्ति संख्या ७२१/१४-क—२३५ (१)-१९३३, दिनांक ८ जुलाई, १९४० द्वारा परिवर्तित की गई थी;

और क्योंकि राम गंगा नदी परियोजना के कारण पूर्वोक्त पार्क की लगभग ११,५२० एकड़ भूमि के रामगंगा जलाशय में डूब जाने की सम्भावना है,

और क्योंकि भूमि की इस क्षति की पूर्ति करने और उक्त पार्क की प्राकृतिक सुन्दरता का अवलोकन करने के लिये पर्याप्त सुअवसर प्रदान करने और वन्य जीव-जन्तुओं की भली प्रकार परिरक्षा करने के लिये भी यह आवश्यक तथा समीचीन है कि आस-पास के कतिपय शिकार ब्लाकों की भूमि उपर्युक्त पार्क में सम्मिलित कर ली जाय;

इसलिये अब उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ५ के अधीन, इस संकल्प द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार उपर्युक्त पार्क की चौहद्दी नीचे लिखे अनुसार परिवर्तित कर लें;

यू० पी० नेशनल पार्कस् ऐक्ट, १९३५ (१९३५ का यू० पी० ऐक्ट संख्या १) की धारा ३ में उल्लिखित नेशनल पार्क की चौहद्दी का विवरण ।

उत्तरी सीमा—

रामनगर—रानीखेत सड़क और धनगढ़ी सोत (Dhangri Sot) के जंक्शन से धनगढ़ी सोत के बायें किनारे के ऊपर गाजर सोत (Gajar Sot) के साथ इसके जंक्शन तक । वहां से ऊपर थोड़ी दूर के लिये गाजर सोत के बायें किनारे इसके सुल्तान वन विश्राम गृह के पश्चिम लगभग १०० गज दूरी पर सुल्तान-ढिकाला मोटर सड़क के जंक्शन तक वहां एक बाहरी रेखा (Out line) के किनारे-किनारे उत्तर की ओर संगुरी सोत (Sanguri Sot) की एक शाखा तक । वहां से संगरी सोत की इस शाखा के मध्य नीचे को गैराल वन विश्राम गृह के निकट मुख्य राम गंगा नदी के साथ इसके जंक्शन तक, वहां से रामगंगा नदी के बायें किनारे के ऊपर मुख्य रिज (Main ridge) पर लोहाचौड़ कम्पार्टमेंट ७ और ८ के जंक्शन के आगे लगभग ढाई फर्लांग की दूरी के स्थान तक । वहां से मुख्य रिज के साथ-साथ बायें को तरायल गांव (Tarail Gaon) बखान (Bakhan) तैरियाखाल (Tairia Khal), कान्डा वन विश्राम गृह (Kanda Forest Rest House) बबिलानी डंडा (Babilani Danda), कालीगांव डंडा (Kaligaon Danda) के बीच से होते हुये गउजेरा नाला (Gaujere Nala) के जंक्शन तक । वहां से गउजेरा नाला के बायें किनारे किनारे नीचे को स्तम्भ संख्या १३८९ और ११७० के बीच मे होते हुये, अदनाला शिकार खण्ड (Adnala Shooting Block) की बाहरी सीमा के साथ-साथ गउजेरा फारेस्ट गार्ड चौकी तक । वहां से अदनाला शिकार खण्ड की बाहरी सीमा के साथ टुमेरिया (Tumeria) फारेस्ट गार्ड चौकी तक । वहां से रामगंगा नदी की मुख्य धारा के पानी के बायें किनारे क साथ-साथ बोक्सार तक ।

पश्चिमी सीमा—

बावसार से रामगंगा नदी की मुख्य धारा के पानी के बायें किनारे के साथ-साथ लकड़घाट (Lakarghat) के स्थान तक, जहां पहाड़ियां समाप्त हो जाती हैं, वहां से एक बाहरी लाइन (Out line) के किनारे-किनारे पहाड़ियों के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में लकड़घाट फारेस्ट गार्ड चौकी तक, वहां से भूमि पर सीधी पंक्ति में अंकित की गई बाहरी प्रभागीय (External Divisional) सीमा स्तम्भ संख्या ८२७ तक।

दक्षिणी सीमा— —

लकड़घाट के स्थान पर कोट्द्वारा, रामनगर व मोटर सड़क के जंक्शन से बी० पी० संख्या ५२४ (B. P. no. 524) के निकट सड़क मार्ग के साथ-साथ जो बिजरानी और झिरना शिकार खण्ड की सीमायें बनाती है, कसेरवा सोत (Kaserwa Sot) के जंक्शन के ठीक ऊपर तक ।

पूर्वी सीमा—

कसेरवा सोत (Kaserwa Sot) साथ कोट्द्वारा-रामनगर वन मोटर मार्ग के जंक्शन से कसेरवा सोत के बायें किनारे-किनारे ऊपर तक जहां यह पार्क की वर्तमान सीमा से मिलता है, वहां से मैलानी (Malani)., बिजरानी (Bijrani) तक मोटर मार्ग के साथ-साथ पनियागाड सोत (Paniagad Sot) तक, वहां से पनियागाड सोत के साथ-साथ नीचे को जहां यह रत्ता पानी राउ (Ratta Pani Rau) से मिलता है, वहां से रत्ता पानी राउ और गरिजया सोत (Garajia Sot) जंक्शन के साथ-साथ ऊपर को और वहां से गारजिया सोत की मुख्य धारा के साथ-साथ उसके सोत की ओर उस स्थान तक, जहां यह मुख्य चिनाल रिज (Main Chinal Ridge) से मिलती है, वहां से रिज (ridge) के साथ-साथ उत्तर पश्चिम की ओर उस स्थान तक जाती है, जहां वह पूर्व-पश्चिम की रिज से मिलती है वहां से बड़ा पनोद सोत (Bara Panod Sot) के साथ पार्क की वर्तमान सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर राम नगर रानी खेत सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क तक, और वहां से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के बायें किनारे-किनारे धनगढ़ी सोत (Dhangarhi Sot) तक।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अब श्रीमन्, यह बहुत ही आवश्यक बात है कि हम लोग ५ को आवेंगे और उस वक्त मालूम नहीं होगा कि किस पर विचार होगा तो फिर हमारे लिये बड़ी कठिनाई है कि हम किस विषय पर विचार प्रकट करेंगे बिना कुछ अध्ययन किये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो विधेयक आज प्रस्तुत हुये हैं, उन पर विचार होगा और जो और प्रोग्राम होगा वह डाक से आपके पास भेज दिया जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

आज कौन से प्रस्तुत हुये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनके विषय में आपको पहले से ही बतला दिया जायगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

डाक से तो भेज दिया जायगा लेकिन अगर ५ तारीख को मिला तो फिर कैसे होगा । कम से कम ३ रोज पहले मिल जाय तो अच्छा है । पेपर्स को देखने का मौका मिल जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं होगा ।

अब हम उठते हैं और बृहस्पतिवार ५ मई, १९६६ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे बृहस्पतिवार, ५ मई, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा ।
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१४ अप्रैल, १९६६ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३६ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर ।]

आत्म हत्या की रिपोर्ट

	१६६२			१६६३			१६६४		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
कानपुर ..	४८	५०	६८	३८	५४	६२	४३	५३	६६
इलाहाबाद ..	४	६	१३	४	७	११	५	२	७
वाराणसी ..	१२	१०	२२	७	६	१६	१०	६	१६
आगरा ..	६	१४	२३	१२	१०	२२	१३	८	२१
लखनऊ ..	१६	१६	३२	१४	६	२३	२०	२०	४०

आत्म हत्याओं के सामान्य कारण बीमारी, गरीबी, घरेलू झगड़े, इम्तिहान में फेल होना तथा प्रेम में असफलता आदि थे। कुछ मामलों में कारण अज्ञात रहा।

नत्थी 'ख'

देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० ७ का उत्तर पीछे ३५० पृष्ठ पर)

तालिका

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	सीजन १९६५–५६में चीनी मिलों की पेराई चालू होने की तिथि	नाम क्रम केन्द्र	क्रय केन्द्र के चालू होने की तिथि	देर से चलने के कारण
१	२	३	४	५	६
१	गौरी बाजार ..	२९–११–१९६५	अक्टहा (रोड) ..	.. २९–११–१९६५	यातायात की असुविधा ।
			जमीरा (रोड)	.. १०–१२–६५	
२	वैतालपुर ..	२९–११–१९६५	भलीचोर (रोड)	.. ३०–११–६५	
			जगनेवेलवा (रोड)	.. २९–११–१९६५	
			बरवानीरछापर (रोड)	.. २९–११–१९६५	
			मुशहरी (रोड) ..	.. २९–११–१९६५	
			मुंडेरी (रोड) ..	.. २८–११–१९६५	
			तरकुलवा (रोड)	.. २८–११–१९६५	
			बघौच (रोड) ..	.. २८–११–१९६५	भटनी क्षेत्र के गांवों के लिये देवरिया क्षेत्र के ग्रामों के लिये
				२९—११–१९६५	
			गोपाल गढ़ (रोड)	.. २८–११–१९६५	
			सभौया (रोड) ..	.. ३०—११–१९६५	
३	देवरिया ..	१९–११–१९६५	बरवाजगल (रोड)	.. १८–११–१९६५	
			बनवारी टोला (रोड)	.. १८–११–१९६५	
			पिपरहिया (रोड) ..	.. १८–११–१९६५	
			सोनहला रामनगर (रोड)	.. १८–११–१९६५	
			पथरदेवा (रोड) ..	.. १८–११–१९६५	
			नगवा (रोड) ..	.. १९–११–१९६५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			कनकपुर (रोड) ..	..	१८-११-१९६५	यह केन्द्र काश्तकारों की प्रार्थना पर बाद में खोला गया।
			महुवारी (रोड) ..		१५-१२-६५	
			बजरहा (रोड) ..	..	१९-११-१९६५	
			केरामतर (रोड) ..	..	२४-११-१९६५	
			मलसिल (रोड) ..	..	१८-११-१९६५	
४	भटनी	१९-११-१९६५	लाररोड (रेल) ..	..	२४-११-१९६५	
			सतावर (रोड) ..	..	३-१२-१९६५	यातायात की असुविधा
			खुरखुन्डर (रोड) ..	..	२४-११-१९६५	
			बेल्थरा (रोड) (रेल)	..	२४-११-१९६५	
			किडिहडापुर (रेल)	..	२४-११-१९६५	
			इन्दारा (रेल) ..	..	२४-११-१९६५	
			सलेमपुर (रोड) ..	..	२४-११-१९६५	
			सतराव (रेल) ..	..	२४-११-१९६५	
			भाटपार रानी (रोड)	..	२४-११-१९६५	
			बरहज रेल एवं (रोड)	..	२५-११-१९६५	
			पहेन ..	..	२९-११-१९६५	यातयात की असुविधा
५	खलीलाबाद ..	१९-११-१९६५	महुली (रोड) ..	..	२३-११-१९६५	
			साथा (रोड) ..	..	२३-११-१९६५	
			सेमरडांडी (रोड) (मुखलिसपुर) ..	..	२४-१२-१९६५	यातयात की कठिनाइयों के कारण कांटा चालू न हो सका और कांटा मुखलिसपुर से हटाने के कारण केन्द्र देर से चालू हुआ।
			मेहदावल (रोड) ..	..	२३-११-१९६५	संभवतः कांटा एवं ट्रक का प्रबंध
			भिटिया (रोड) ..	..	२८-११-१९६५	समय से न हो सका।
			सहजनवा (रोड) ..	..	२३-११-१९६५	
			जगतबेला (रेल) ..	..	९-१२-१९६५	इस क्षेत्र में अधिकांशतः देर से पकनेवाली जाति का गन्ना होने के कारण केन्द्र देर से चालू हुआ।

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५० पर।)

उत्तर प्रदेश में शक्कर, गुड़ तथा खाण्डसारी उद्योगों के विकास के लिए उच्चाधिकार सलाहकार समिति, १९६४ के प्रतिवेदन में निहित सूचना।

गन्ना पूर्ति के विषय में सिफारिश	की गई कार्यवाही का विवरण
(१) सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ना पूर्ति के संबंध में फैक्टरियों को प्राथमिकता देने व व कुछ चुनी हुई फैक्ट्रियों में गन्ने की एडवांस बांडिंग का प्रयोग प्रारंभ करने के संबंध में।	(१) गन्ना आयुक्त इन सुझावों को यथा सम्भव अमल में ला रहे हैं।
(२) गन्ना क्षेत्र का सुरक्षण सुरक्षित क्षेत्रों के गठित होने, फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द विकास कार्य के फलस्वरूप सुरक्षित क्षेत्र के विस्तार में उत्तरोत्तर कमी करने तथा सुरक्षित क्षेत्र में विस्तार न करने के संबंध में।	(२) उपरोक्त
(३) गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना गन्ने की बुआई के समय से कम से कम तीन महीने पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित किये जाने के संबंध में।	(३) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से जनवरी, १९६६ में इस संबंध में अनुरोध किया जा चुका है।
(४) शक्कर वितरण पर नियंत्रण हटाना वितरण योजना को संशोधित करके गन्ना उत्पादकों को शक्कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के संबंध में।	(४) प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को २३ फरवरी, १९६६ को इस आशय के निर्देश भेज दिये गये हैं कि वे अपने जिले की यूनियन्स को या गन्ना उत्पादकों को उचित शक्कर एलाट करने की व्यवस्था करें।
(५) राज्य के लिये चीनी का कोटा निर्धारण करना (१) जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा बढ़ाने, राज्य के कोटे में की गई कटौती को समस्त जिलों के कोटे में अनुपातिक कमी करने, थोक उपभोक्ताओं के चीनी के कोटे में उचित कटौती करने, पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध न होने के कारण नियंत्रण या राशनिंग लागू होने पर वितरण सामानरूप से स्थापित माध्यमों द्वारा करने के सम्बन्ध में।	(५) (१) भारत सरकार ने जनवरी–फरवरी, १९६६ में अलाटमेंट कोटा से २६,४०० मी० टन एलाट किया जो राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उचित हैं। जिलों के कोटा में कमी करने अथवा थोक उपभोक्ताओं के कोटे में कटौती का इस समय प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान वितरण प्रणाली इस संबंध में की गई सिफारिश के मुताबिक है।

गन्ना पूर्ति के विषय में सिफारिश	की गई कार्यवाही का विवरण
(२) पुराने व्यवसाइयों के द्वारा नये व्यवसायियों के विरुद्ध तत्परता से जांच किये जाने के संबंध में।	(२) इस बाबत पहिले से ही कार्यवाही हो रही है।
५—(३) कोटाहोल्डरों को चीनी का पर्याप्त कोटा दिये जाने के संबंध में	(३) वर्तमान चीनी वितरण योजना लागू होने के प्रारंभ में ही आवश्यक निर्देश भेज दिये गये थे।
गुड़ और खांडसारी के व्यापार की समस्या	
६— व्यापार के सामान्य माध्यमों में गुड़ तथा खांडसारी का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दिये जाने के संबंध में।	६— गुड़ और खांडसारी के मूल्यों का वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है उत्तर प्रदेश के बाहर खांडसारी के निर्यात पर नियन्त्रण हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई है।
सिंचाई की दर में कमी	
७—सघन खेती के लिये सिंचाई की दरों में कमी करने के संबंध में।	७—८ अक्तूबर, १९६५ को शुगर केन इर्रीगेशन के रेट में २५ प्रतिशत वृद्धि की गई है जिससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये फण्ड्स एकत्र हो सकें। इस दर में कर्म भी करना संभव नहीं है।
नये शक्ति चालित कोल्हुओं तथा खांडसारी यूनिटों को लाइसेंस	
८—(१) सुरक्षित क्षेत्रों में नये शक्ति चालित कोल्हुओं व खांडसारी यूनिटों को लाइसेंस न दिये जाने के संबंध में। (२) वर्तमान गुड़ तथा खांडसारी इकाइयों को सुरक्षित क्षेत्र से हटाकर असुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिये प्रोत्साहन देने के संबंध में।	८—(१) चीनी आयुक्त द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है। (२) असुरक्षित क्षेत्रों में गन्ना क्रय कर नहीं देना होता इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में गुड़ बनाने के लिये पावर क्रशर पर चीनी आयुक्त से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।
चतुर्थ योजना काल के लिये शक्कर उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना।	
९—चतुर्थ योजना काल में उत्तर प्रदेश द्वारा २२.५० लाख मीट्रिक टन शक्कर उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने एवं तदनुसार निर्दिष्ट मात्रा में शक्कर उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने हेतु लाइसेन्स दिये जाने के बाबत केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किये जाने के संबंध में।	९—केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए अनुरोध किया गया है।

गन्ना पूर्ति के विषय में सिफारिश	की गई कार्यवाही का विवरण
गन्ने के मल्य का भुगतान	
१०—गन्ने के मूल्य का भुगतान अत्यधिक समय तक न होने की दशा में फैक्टरी की परिसम्पत्ति (एसेट्स) कुर्क कर लेने व एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत चालान करने व फैक्टरियों में कुप्रबंध होने की दशा में भारत सरकार द्वारा उन्हें अपने नियंत्रण में लिये जाने के संबंध में।	१०—इस विषय में यथासंभव कार्यवाही की जा रही है।
गन्ने के मूल्य में परिवहन व्यय के लिये कटौती	
११—गन्ने के मूल्य में परिवहन मूल्य के हेतु प्रति क्वींटल गन्ने पर ३२ पैसे अधिक कटौती न किये जाने के संबंध में।	११—इसका यथासंभव अमल हो रहा है।
इकाइयों का विलीनोकरण	
१२—दो छोटी इकाइयों द्वारा स्वेच्छा से परस्पर विलीनोकरण के लिये अनुमति दिया जाना।	१२—इस पर अमल करने के लिए यथा संभव आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।
१३—अलाभकर इकाइयों का पुनर्वासन तथा **आधुनीकरण** पुरानी तथा अलाभकर इकाइयों के पुनर्वासन व आधुनीकरण हेतु गुड़-राब समिति की रिपोर्ट पर अविलम्ब कार्यवाही करने के संबंध में।	१३—इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।
गन्ना तथा शक्कर उत्पादन व्यय की जांच	
१४—भारत सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन तथा शक्कर उत्पादन व्यय संबंधी आंकड़ों का विस्तृत तथा वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किये जाने के संबंध में।	१४—केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित कार्यवाही के लिये रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की जा चुकी है।
सघन खेती के उपाय	
१५—चतुर्थ योजना काल में सघन गन्ना विकास परियोजना को ऐसे कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित करना चाहिये जिससे वह फैक्टरी के इलाके के समस्त सुरक्षित क्षेत्र पर लागू की जा सके।	१५—इस सम्बन्ध में यथा संभव आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

१–१–६३ से ३१–१–६६ तक थाना चौक तथा भेलूपुर, जिला वाराणसी में हुई चोरी, राहजनी, कतल व छुरेबाजी की घटनाओं की तालिका

कुछ अपराधों का संख्या

नाम थाना	नाम अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जो कोर्ट में चालान हुए	जिनमें सजाएं हुईं	जो रिहा हुए	न्यायालय के विचाराधीन है
१	२	३	४	५	६	७	८
चौक ..	चोरी ..	४००	३७९	१२२	६९	२५	२८
	कत्ल ..	५	५	५	—	२	३
	छुरेबाजी ..	१३	८	७	१	३	३
	राहजनी ..	५	५	३	—	—	३
भेलूपुर	चोरी ..	११९९	१११६	१८४	९४	३४	५६
	कत्ल ..	४	४	१	१	—	—
	छुरेबाजा ..	११	१०	८	१	१	६
	राहजनी ..	७	७	१	१	—	—

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० ५० का उत्तर पीछे ३६१ पर)

प्रश्न संख्या ५० में उल्लिखित सिपाहियों के नाम व पद आदि की सूचना

सिपाहियों का नाम व पद	पुलिस विभाग में भर्ती होने की तारीख
१—श्री मधुसूदन शर्मा, कान्सटेबिल	२१–३–५५
२—,, भानु प्रताप सिंह, ,,	२४–३–६२
३—,, नायूराम ,,	१८–९–५९
४—,, राम किशुन ,,	२४–६–६०
५—,, जैराम कटियार ,,	२२–६–६३
६—,, राम सनेही ,,	२६–११–५८
७—,, बादाम सिंह ,,	३०–६–६५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

सुझाव	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
१—मुसहर व करवल परिवार जहां पर बसे हैं वहीं उनके मकान बनवा दिये जायें।	विभाग की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत १४ मुसहर परिवार जिले में बसाये जा चुके हैं और उनके मकान भी बनवा दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनवाने की योजना के अन्तर्गत २० मुसहर परिवारों के मकान बनाये जा चुके हैं। शेष करवल व मुसहर परिवार भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं।
२—मुसहर व करवल परिवारों की जन संख्या वाले गांवों में पेय जल सुविधा।	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वाराणसी जिले को २ लाख रुपये की धनराशि वर्ष १९६५-६६ में स्वीकृत की गई। जिला नियोजन अधिकारी, वाराणसी को करवल परिवारों की जनसंख्या वाले १५ गांवों को पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिये समुचित आदेश प्रदान किये जा चुके हैं।
३—घरेलू उद्योग धंधों के लिये अनुदान	विभागीय कुटीर उद्योग योजना के अन्तर्गत अनुदान देने की व्यवस्था से मुसहर व करवल परिवार भी लाभ उठा सकते हैं।
४—मुसहर व करवल परिवारों के लिये आश्रम टाइप स्कूल खोलने की व्यवस्था	विमुक्त जातियों के बच्चों के लिये वाराणसी जिले में एक आश्रम टाइप स्कूल १९६५-६६ में खोला गया है जिसमें ५ वर्ष से १२ वर्ष तक के बालकों को भोजन, वस्त्र एवं रहने आदि की सभी सुविधायें सरकार की ओर से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। मुसहर एवं करवल जाति के बच्चे भी इससे लाभ उठा सकते हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ में किए गए शाब्दिक संशोधनों की सूची।

१—देशना में क्रम सं० १७ पर शब्द "सकत" के स्थान पर शब्द "सकते" कर दिया गया है।

२—खण्ड १ के उपखण्ड (३) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में "ह" के स्थान पर "है" कर दिया गया है।

३—खण्ड २ के भाग (ढ) की तीसरी पंक्ति में शब्द "ऐक्ट" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" कर दिया गया है।

४—खण्ड ४ के उपखण्ड (२) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "तीन" की मुद्रण त्रुटि ठीक कर दी गई है।

५—खण्ड ७ के उपखण्ड (१) के भाग (ख) में शब्द "है" के स्थान पर शब्द "हैं" कर दिया गया है।

६—खण्ड ८ के उपखण्ड (२) की छठीं पंक्ति में "करक" के स्थान पर "करके" कर दिया गया है।

७—खण्ड १२ में संख्या "१२" की मुद्रण त्रुटि ठीक कर दी गई है।

८—खण्ड १७ के उपखण्ड (१) के भाग (ड०) की प्रथम पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

९—खण्ड १८ के उपखण्ड (२) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

१०—खण्ड २५ के उपखण्ड (२) की छठीं पंक्ति में "मैं" के स्थान पर शब्द "में" कर दिया गया है।

११—खण्ड २७ के उपखण्ड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अपनो" के स्थान पर शब्द "अपनी" कर दिया गया है।

१२—खण्ड २७ के उपखण्ड (२) के भाग (क) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "निकाले" और "या" के बीच "," रख दिया गया है।

१३—खण्ड २८ की प्रथम पंक्ति में "किसो" के स्थान पर शब्द "किसी" तथा तीसरी पंक्ति में "बठक" के स्थान पर शब्द "बैठक" कर दिये गये हैं।

१४—खण्ड ३१ के उपखण्ड (२) के भाग (ङ) की चौथी पंक्ति में "स" के स्थान पर शब्द "से" तथा शब्द "करेगा" के स्थान में पर शब्द "करने" कर दिये गये हैं एवं इसी भाग की अन्तिम पंक्ति में शब्द "का" के स्थान पर शब्द "के लिये" कर दिये गये हैं।

१५—खण्ड ३१ के उपखण्ड (३) की चौथी पंक्ति में "ह" के स्थान पर शब्द "है" कर दिया गया है।

१६—खण्ड ३४ के उपखण्ड (१) के भाग (ग) के प्रतिबन्ध के नीचे से दूसरी पंक्ति में शब्द "घटाकर" के स्थान पर शब्द "घटकर" कर दिया गया है।

१७—खण्ड ३५ के उपखण्ड (६) की तीसरी पंक्ति में "स" के स्थान पर शब्द "इस" तथा चौथी पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिये गये हैं।

१८—खण्ड ३९ के भाग (घ) की द्वितीय पंक्ति में "कमशालाओं" के स्थान पर शब्द "कर्मशालाओं" कर दिया गया है।

१९—खण्ड ३९ के भाग (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "की" को निकाल दिया गया है तथा शब्द "पर" और "क्रय" के बीच में शब्द "जो इस प्रकार" बढ़ा दिये गये हैं।

२०—खण्ड ४३ की उपान्तीय टिप्पणी में "मक्ति" के स्थान पर शब्द "मुक्ति" कर दिया गया है और शब्द "निबन्ध" के स्थान पर शब्द "निबन्धन" कर दिया गया है।

२१—खण्ड ४४ के उपखण्ड (२) के भाग (ख) की अन्तिम पंक्ति में "ह" के स्थान पर शब्द "है" कर दिया गया है।

२२—खण्ड ४४ के उपखण्ड (३) की तीसरी पंक्ति में "दय" के स्थान पर "देय" कर दिया गया है।

२३—खण्ड ५० की उपान्तीय टिप्पणी में "पति" के स्थान पर शब्द "पूर्ति" कर दिया गया है।

२४—खण्ड ५१ के उपखण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

२५—खण्ड ५४ में "रहत" के स्थान पर शब्द "रहते" कर दिया गया है।

२६—खण्ड ५८ के उपखण्ड (१) में शब्द "वर्षों" के स्थान पर शब्द "वर्ष" कर दिया गया है।

२७—खण्ड ६५ के उपखण्ड (५) की तीसरी पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

२८—खण्ड ६९ में नीचे से दूसरी पंक्ति में "करन" के स्थान पर शब्द "करने" कर दिया गया है।

२९—खण्ड ७० के उपखण्ड (१) के भाग (ख) की तीसरी पंक्ति में "कयेटो" के स्थान पर शब्द "कमेटी" कर दिया गया है।

३०—खण्ड ७० के उपखण्ड (२) के भाग (क) की तीसरी पंक्ति में "दाव" के स्थान पर शब्द "दावे" कर दिया गया है।

३१—खण्ड ७४ के उपखण्ड (१) की चौथी पंक्ति में "प्रभाबी" के स्थान पर शब्द "प्रभावी" कर दिया गया है।

३२—खण्ड ७४ के उपखण्ड (४) की द्वितीय पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

३३—खण्ड ७७ के उपखण्ड (१) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में "पटटे" के स्थान पर शब्द "पट्टे" कर दिया गया है।

३४—खण्ड ७९ की उपखण्ड (१) की छठी पंक्ति में शब्द "का" के स्थान पर शब्द "को" तथा प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में "प्रक्षत्र" के स्थान पर शब्द "प्रक्षेत्र" कर दिये गये हैं और अन्तिम पंक्ति में शब्द "लिये" और "की" के बीच शब्द "सुरक्षित रखने" बढ़ा दिये गये हैं।

३५—खण्ड ७९ की उपखण्ड (३) की तीसरी पंक्ति में "दिय" के स्थान पर शब्द "दिये" कर दिया गया है।

३६—खण्ड ८८ के उपखण्ड (२) के भाग (ग) की प्रथम पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

३७—खण्ड ८८ के उपखण्ड (२) के भाग (घ) की प्रथम पंक्ति में "व" के स्थान पर शब्द "वे" कर दिया गया है।

३८—खण्ड ९१ की आठवीं पंक्ति में "दय" के स्थान पर शब्द "देय" तथा प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में "शष" के स्थान पर शब्द "शेष" कर दिये गये हैं।

३९—खण्ड ९२ की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिनिर्णय" के स्थान पर शब्द "अभिनिर्णय" कर दिया गया है ।

४०—खण्ड ९२ के भाग (क) के द्वितीय प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिनिर्णय" के स्थान पर शब्द "अभिनिर्णय" कर दिया गया है।

४१—खण्ड ९२ की उपान्तीय टिप्पणी में "आदशो" के स्थान पर शब्द "आदेशों" कर दिया गया है ।

४२—खण्ड ९३ की पांचवीं पंक्ति में "गय" के स्थान पर शब्द "गये" कर दिया गया है।

४३—खण्ड ९५ की उपान्तीय टिप्पणी में "को" के बाद शब्द "देय" तथा "धनराशियों" के बाद शब्द "की" जोड़ दिये गये हैं।

४४—खण्ड ९६ के उपखण्ड (३) के पूर्व का बड़ा कोष्ठक हटा दिया गया है, उसकी पंक्ति दो में शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "किन्हीं" कर दिया गया है और प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द "किन्तु" हटा दिया गया है तथा शब्द "उसमें" के स्थान पर "उनमें" कर दिया गया है, तथा पंक्ति तीन में "सत" के स्थान पर शब्द "मत" कर दिया गया है एवं पंक्ति चार में शब्द "न्यायाधिकरण" तथा "सभी" के बीच में शब्द "के" जोड़ दिया गया है।

४५—खण्ड ९७ के उपखण्ड (२) की द्वितीय पंक्ति में "समझ" के स्थान पर शब्द "समझे" कर दिया गया है।

४६—खण्ड ९८ के उपखण्ड (१) के भाग (ख) की द्वितीय पंक्ति में "एसा" के स्थान पर शब्द "ऐसा" कर दिया गया है।

४७—खण्ड ९८ के उपखण्ड (१) के भाग (ङ) की प्रथम पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

४८—खण्ड १०५ के उपखण्ड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "(Stipenidary)" के स्थान पर शब्द "(Stipendary)" कर दिया गया है।

४९—खण्ड १०७ के पार्श्व में उल्लिखित ऐक्ट संख्या को खण्ड १०६ के प्रतिबन्ध के सामने रख दिया गया है।

५०—खण्ड १०७ की दूसरी पंक्ति में "भजे" के स्थान पर शब्द "भेजे" कर दिया गया है।

५१—खण्ड १११ के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "निबन्ध" के स्थान पर शब्द "निबन्धन" कर दिया गया है।

५२—खण्ड ११२ की द्वितीय पंक्ति में "बिशेष" के स्थान पर शब्द "विशेष" कर दिया गया है।

५३—खण्ड १२४ की पांचवी पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है तथा अन्तिम पंक्ति में शब्द "में" तथा "सेवक" के बीच में शब्द "लोक" जोड़ दिया गया है।

५४—खण्ड १२५ के उपखण्ड (४) में नीचे से दूसरी पंक्ति में "समामलन" के स्थान पर शब्द "समामेलन" कर दिया गया है।

५५—खण्ड १२६ के उपखण्ड (१) की द्वितीय पंक्ति में "क" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

५६—खण्ड १२६ के उपखण्ड (३) की प्रथम पंक्ति में धारा "१३" के स्थान पर "धारा १६" कर दिया गया है।

५७—खण्ड १३० के उपखण्ड (२२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "समापित" कर दिया गया है।

५८—खण्ड १३१ के उपखण्ड (२) में अंक "७९" के स्थान पर अंक "७७" कर दिया गया है।

५९—खण्ड १३४ के उपखण्ड (५) में उल्लिखित संशोधन (१) के पश्चात् शब्द "खण्ड (द)" के पूर्व "(२)" जोड़ दिया गया है।

६०—खण्ड १३५ की उपान्तीय टिप्पणी में शब्द "संख्य" के स्थान पर शब्द "संख्या" कर दिया गया है।

———

विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६६) के प्रथम गुरुवार के लिये

(श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर)

७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत बद्रीनाथ मोटर सड़क पर जोशीमठ में बिड़ला भवन के सामने से व सिंहधार मोटर स्टेशन वाली मोटर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है या डी० जी० बी० आर० (फौज) के मातहत है ?	७—यह सड़क डी० जी० बी० आर० के मातहत है।

सुचेता कृपालानी

मुख्य मन्त्री ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३८० पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीण उपबंध) (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिए :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ ।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ।

(२) यह १ अप्रैल, १९६४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ की धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ की धारा २ का संशोधन

"(ख) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपए की दर से होगा,"

उद्देश्य और कारण

सभा सचिवों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है और विधान मण्डल के सदस्य होने के नाते वे केवल मासिक वेतन पाने के हकदार हैं । १ अप्रैल, १९६४ से विधान मण्डल के सदस्यों के दैनिक भत्ते की दर १० रु० से बढ़ाकर १५ रु० कर दी गई है । सार्वजनिक कार्यों के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए दैनिक भत्ते के भुगतान के विषय में सभा सचिवों तथा विधान मंडल के सदस्यों में समता लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ को संशोधित करने का निर्णय किया गया है ।

उपर्युक्त उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सुचेता कृपालानी
मुख्य मंत्री ।

वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन पत्र ।

विधेयक की धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में—

(१) दैनिक भत्ते में ५ रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गयी है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के अधिनियमित हो जाने पर (लगभग) ३,६०० रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगा ।

सुचेता कृपालानी
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'ञ'

[देखिये पीछे पृष्ठ ३८१ पर]

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए—

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २ का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के बीच में निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय ।

"(१-क) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो उपधारा (१) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, सार्वजनिक कार्यों के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से, प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिए जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा, और"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ५ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल १४ दिन की अवधिपर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ के अधीन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति या सभा-सचिव के पद पर आसीन न हों, प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जाते हैं जिनसे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने के अधिकारी होते हैं । यह सुविधा राज्य विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों को अभी तक नहीं दी गयी है जो उपर्युक्त किसी भी पद पर आसीन हों । अतएव, यह वांछनीय समझा जाता है कि सार्वजनिक कार्यों के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए उक्त प्रकार की सुविधा उन्हें भी दी जानी चाहिए ? इस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा २ का संशोधन करने का प्रस्ताव है । इस अवसर पर धारा ५ में भी औपचारिक संशोधन किया जा रहा है ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

बनारसी दास,
संसदीय कार्य-मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ के सम्बन्ध में ज्ञापन पत्र

विधेयक के खण्ड २ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २ में उपधारा (१–क) मंत्रियों, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्रियों, उपाध्यक्ष, उप-सभापति और सभा सचिव को भी सार्वजनिक कार्यों से सम्बद्ध यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए राज्य के भीतर प्रथम श्रेणी के असंक्रमणीय कूपनों द्वारा यात्रा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से बढ़ाई गयी है। इस प्रकार विधेयक के अधिनियम बन जाने पर राज्य की संहत निधि से लगभग १७,५५० रुपये आवर्तक अनुमानित वार्षिक व्यय होगा ।

बनारसी दास,
संसदीय कार्य-मंत्री ।

ज्ञापन पत्र जिसमें उन विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें स्पष्ट की गयी हैं जो उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में अन्तग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है । राज्य विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों के संबंध में भी, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति या सभा-सचिव के पद पर आसीन हों विधेयक के खण्ड २ द्वारा उसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जैसी कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २ की उपधारा (१) में की गयी है और इस प्रकार उनको निःशुल्क असंक्रमणीय प्रथम श्रेणी के कूपन दिए जायेंगे जिनसे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने के अधिकारी होंगे । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा २ की उपधारा(१) में निर्धारित है, राज्य सरकार को ऐसी रीति जिसके अनुसार और दिनांक जब से ऐसे सदस्यों को उपर्युक्त कूपन दिए जायेंगे, के संबंध में नियम बनाने का अधिकार होगा ।

प्रतिनिहित विधायन की उपर्युक्त प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं ।

बनारसी दास,
संसदीय कार्य-मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४२ एस० ए०—१९६६—८६२ ।